सेकी SECI

सूर्य सदैव SUN FOR EVER

पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट
5th Annual Report
2015-16

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
(भारत सरकार का उपक्रम)

SOLAR ENERGY CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Government of India Enterprise)

सेकी
SECI
सूर्य सदैव SUN FOR EVER

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
(भारत सरकार का उपक्रम)

SOLAR ENERGY CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Government of India Enterprise)

दृष्टि :

प्रचुर सौर विकिरण का इस्तेमाल कर 'हरित भारत' बनाना और देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना।

लक्ष्य :

सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर, अनुसंधान और विकास सहित नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने और लगाने में अग्रणी होना।

बड़े पैमाने पर सौर अधिष्ठापनों, सौर संयंत्रों और सौर उद्यानों का विकास करने में अग्रणी होना और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और वाणिज्यीकरण करना ताकि यह भारत के दूर–दराज क्षेत्रों में पहुंच सके।

उद्देश्य :

- सौर पार्कों सहित अल्ट्रा मेगा तथा बड़े पैमाने पर सौर संयंत्रों का विकास करना।
- रुफटॉप सहित ग्रिड संयोजी तथा ऑफ ग्रिड सौर अधिष्ठापनों, दोनों का स्वामित्व, प्रचालन, विकास व प्रबंधन करना।
- सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामीण एवं दूर–दराज क्षेत्रों के लिए ऊर्जा उपयोग कार्यक्रम चलाना।
- व्यावसायीकरण हेतु प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करना।
- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ऊर्जा विनिमय, वितरण तथा व्यापार करना।
- परंपरागत एवं नवीकरणीय स्रोतों सहित एकीकृत ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

विषय सूची

क्रम संख्या		पेज संख्या
1.	निदेशक मंडल	2
2.	अध्यक्षीय संबोधन	4
3.	वार्षिक आम सभा की सूचना	6
4.	निदेशकों की रिपोर्ट	11
	अनुबंध क – सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन एवं समेकित)	30
	अनुबंध क1 – समेकित वित्तीय विवरण पर सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंधन का उत्तर	46
	अनुबंध ख – भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी (स्टैंडअलोन एवं समेकित)	47
	अनुबंध ग – निदेशकों की रिपोर्ट के निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट	50
	अनुबंध घ – पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा निगमित अभिशासन के अनुपालन के संबंध में प्रमाण पत्र	53
	अनुबंध ङ – वार्षिक रिर्टन का उद्धरण	54
	अनुबंध च – सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	60
5.	तुलन पत्र (स्टैंडअलोन)	64
6.	लाभ एवं हानि लेखा (स्टैंडअलोन)	65
7.	नकदी प्रवाह विवरण (स्टैंडअलोन)	66
8.	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (स्टैंडअलोन)	68
9.	फार्म एओसी–1	94
10.	तुलन पत्र (समेकित)	97
11.	लाभ एवं हानि लेखा (समेकित)	98
12.	नकदी प्रवाह विवरण (समेकित)	99
13.	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (समेकित)	101
14.	बैंकरों, लेखापरीक्षकों, कंपनी सचिव के ब्यौरे तथा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय का पता	130

निदेशक मण्डल

उपेंद्र त्रिपाठी
अध्यक्ष

डॉ. अश्विनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (सौर)

राकेश कुमार
निदेशक (विद्युत प्रणाली)

सी. कन्नन
निदेशक (वित्त)

राजीव भारद्वाज
निदेशक (मानव संसाधन)

निदेशक मण्डल

पांचवीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्षीय भाषण

प्रिय सदस्यों,

आज 26 सितंबर, 2016 को आयोजित सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पांचवीं वार्षिक आम सभा में आप सभी का स्वागत है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी के शानदार प्रदर्शन के बारे में आपको बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आपकी कंपनी कामयाबी के उस शिखर को आशा भरी नजरों से देख रही है, जिसे वह आने वाले वर्षों में प्राप्त कर सकती है।

यह वर्ष आपकी कंपनी के लिए वैश्विक और देशीय क्षितिज पर नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में स्वर्णिम रहा। नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि हुई और रिकॉर्ड निवेश हासिल किया गया। पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 118 गिगावाट क्षमता स्थापित की गई और आरई क्षेत्र में लगभग 286 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दुनिया में बिजली उत्पादन की क्षमता में आधे से अधिक वृद्धि नवीकरणीय स्रोतों के कारण हुई है।

इस वर्ष, वैश्विक पटल पर दो बड़े आयोजन हुए – पेरिस में सीओपी–21 समिट, जिसने बहु–सरकारी कार्यनीति संबंधी निर्णयों के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताओं के लिए एक मंच प्रदान किया और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ – जो टिकाऊ पर्यावरणीय तरीके से सौर ऊर्जा के उत्पादन जैसे महान कार्य के लिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के 120 से अधिक राष्ट्रों को एक साथ ला रहा है। इस तरह के आयोजनों में दुनिया के ऊर्जा के प्लेटफार्म को बदलने की क्षमता है और यह समावेशी, स्वच्छ और दीर्घावधि विकास के नए युग का शुभारंभ है।

आरई क्षेत्र इन वैश्विक रूझानों का अगुवा रहा है – क्योंकि सरकार नीति, मूल्य और सतत् निगरानी तंत्रों के माध्यम से 175 गिगावाट प्रतिबद्धता क्षमता को निरंतर पूरा कर रही है। 42.8 गिगावाट (मार्च, 2016 को) की स्थापित क्षमता के साथ आरई क्षेत्र ने 35 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष की वृद्धि दर्ज की है।

आपकी कंपनी ने इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेएनएनएसएम की पहली वीजीएफ योजना के तहत कुल 530 मेगावाट की विशाल ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजनाएं और कुल 21 एमडब्ल्यूपी की रूफटॉफ सौर परियोजनाएं आरंभ की गईं। लगभग 33,576 करोड़ रुपए मूल्य वाले 5596 मेगावाट के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। आपकी कंपनी ने राजस्थान में 10 मेगावाट क्षमता की अपनी सौर ऊर्जा परियोजना भी आरंभ की है।

वित्तीय मोर्चे पर, आपकी कंपनी ने अपने अस्तित्व के पांचवें वर्ष (और लाभप्रदाता के दूसरे वर्ष) में कुल 579 करोड़ रुपए के राजस्व और 19.1 करोड़ रुपए के कर ऊपरांत लाभ (पीएटी) के साथ मजबूत विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।

इस वर्ष, सेकी ने अपने परामर्श व्यवसाय का विस्तार किया है और टर्नकी आधार पर सौर परियोजनाएं निष्पादित करने के लिए अपनी परियोजना में वृद्धि की है तथा इसने 877 मेगावाट के लिए निविदा आमंत्रण सूचना पहले ही जारी कर दी है। इसके प्रतिष्ठित ग्राहकों में कोल इंडिया लिमिटेड, इरेडा, भारतीय पत्तन एसोसिएशन और आयुध निर्माणी फैक्टरी बोर्ड शामिल हैं।

प्रमुख घरेलू सौर बिजली कंपनी होने के फलस्वरूप, सेकी ने सरकार की वीजीएफ योजनाओं के तहत 15 राज्यों में इस वर्ष चालू की गई परियेाजनाओं से 954 मिलियन यूनिटों का व्यवसाय किया है।

सेकी की प्रारंभिक योजनाओं की सफलता के बाद, आपकी कंपनी को वीजीएफ योजनाओं के तहत बड़ी परियोजनाओं की 2000 मेगावाट और 5000 मेगावाट क्षमता और रूफटॉप योजनाओं के तहत 1500 मेगावाट क्षमता के अगले चरण आवंटित किए गए हैं। ये योजनाएं इस समय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, आपकी कंपनी के लिए विकास की नई संभावनाएं और अवसर लेकर आई हैं। सेकी ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में व्यवसाय शुरू किया है और यह प्रतिस्पर्धी आधार पर 1000 मेगावाट सीटीयू कनेक्टिड पवन बिजली खरीदने के लिए निविदा जारी करने जा रही है, जो अपने आप में

एक बढ़िया प्रयास है और इसकी सफलता देश में पवन बिजली के विकास की गति को और तेज करेगी। कंपनी ने विश्व बैंक की सहायता से बैटरी स्टोरेज के साथ और इसके बिना पवन और फ्लोटिंग सौर पीवी वाले सौर के संकरण की नई और उभरती अवधारणा के आधार पर बिजली की लगभग 400 मेगावाट क्षमता का विकास भी शुरू किया है।

सेकी ने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर विदेशों में भारतीय सौर विशेषज्ञता का लोहा मनवाने के लिए विदेशी यूनिट स्थापित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना के संयोजन के रूप में यह कदम विश्व में खासकर दक्षिण एशियाई देशों और अफ्रीका में सौर ऊर्जा के विकास को प्रेरित करेगा, जिससे विनिर्माण से लेकर इंजीनियरी कार्य और इंजीनियरी कार्य से लेकर प्रचालनों तक की पूरी आपूर्ति श्रृंखला उत्प्रेरित होगी।

सौर ऊर्जा ने जलवायु के अनुकूल विकास के मजबूत समाधान के रूप में स्वयं को मजबूती से स्थापित कर लिया है। बड़ी संख्या में हितधारक और आम जनता ऊर्जा के इस सौम्य और सुरक्षित स्रोत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित हो रही हैं। यह स्पष्ट है कि आरई क्षेत्र भारत के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस तरह से यह ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बना रहा है। यह क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है और सेकी इस प्रगति का लगभग आधा सफर तय कर चुका है।

हर तरफ आशावादी परिदृश्य के बीच, आपकी कंपनी को अभी भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे तेजी से विकास के साथ सामंजस्य करने के लिए नए व्यवसाय मॉडल शुरू करना और बदलते समय के साथ इसकी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अपनाना सेकी के लिए सतत् विकास और प्रगति की आशाओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। अपनी स्थापनाओं में उच्च स्तरीय गुणवत्ता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी होगा। सेकी सर्वश्रेष्ठ निगमित अभिशासन पद्धतियों का निरंतर अनुसरण कर रहा है। निगमित अभिशासन की रिपोर्ट का उल्लेख निदेशकों की रिपोर्ट में पहले ही किया जा चुका है। सेकी एक नई कंपनी है और अपने अनुभवी और प्रतिभाशाली युवा प्रतिभाओं की सहायता से यह सफलता हासिल करेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

मैं, भारत सरकार विशेषकर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राज्य सरकारों, केन्द्रीय और राज्य विनियामक आयोगों और राज्य नोडल एजेंसियों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। हमारे मूल्यवान साझेदारों यथा कोल इंडिया लिमिटेड, इरेडा, टीएचडीसी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, आयुध निर्माणी फैक्टरी बोर्ड और दूसरे ग्राहकों ने सौर परियोजनाएं स्थापित करने में मदद करने के लिए सेकी की क्षमताओं में अपना जो विश्वास दिखाया है, उसके लिए हम उनका विशेष रूप से धन्यवाद प्रकट करते हैं। मैं, सौर परियोजना विकासकर्ताओं और ईपीसी साझेदारों का भी आभार प्रकट करता हूं, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में हमारी मदद कर रहे हैं। मैं, इस अवसर पर उभरती संभावनाओं को वास्तव में बदलने के लिए सेकी की समर्पित टीम को भी बधाई देता हूँ।

आपका,

ह0/–

(उपेन्द्र त्रिपाठी)

अध्यक्ष

डीआईएन नं. 02942700

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26 सितंबर, 2016

आम सभा की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की पांचवीं वार्षिक आम सभा का आयोजन सम्मेलन कक्ष, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ब्लॉक 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में 26 सितंबर, 2016 (सोमवार) को अपराह्न 2:45 बजे किया जाएगा।

सामान्य कार्य

मद संख्या – 1

निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण) के साथ उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 31 मार्च, 2016 को लेखापरीक्षित तुलन पत्र और लाभ एवं हानि लेखा विवरण को प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसे अंगीकार करना।

सदस्यों से निवेदन है कि ऊपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करें और यदि उपयुक्त समझें तो एक सामान्य संकल्प के रुप में निम्न संकल्प को संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा उसके बिना पारित करें :–

'**संकल्प पारित** किया जाता है कि शेयरधारकों को परिचालित और बैठक के समक्ष रखे गए अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण) और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए (लेखाकरण नीतियों और लेखाओं के लिए टिप्पणियों के साथ) लेखापरीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण को प्राप्त, विचारित और अंगीकृत समझा जाए।''

मद संख्या – 2

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 9.36 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की घोषणा करना।

सदस्यों से निवेदन है कि ऊपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करें और यदि उपयुक्त समझें तो एक सामान्य संकल्प के रुप में निम्न संकल्प को संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा उसके बिना पारित करें :–

''**संकल्प पारित** किया जाता है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार, 20,40,000 इक्विटी शेयरों पर 9.36 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश घोषित किया गया और उसे एतद्द्वारा घोषित समझा जाए और उसका कंपनी के योग्य सदस्यों को भुगतान किया जाए।''

मद संख्या – 3

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रुप में मैसर्स आर0 एस0 पी0 एच0 एंड एसोसिएट्स के पारिश्रमिक के निर्धारण पर विचार करना।

सदस्यों से निवेदन है कि ऊपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करें और यदि उपयुक्त समझें तो एक सामान्य संकल्प के रुप में निम्न संकल्प को संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा उसके बिना पारित करें :–

संकल्प पारित किया जाता है कि मैसर्स आर0 एस0 पी0 एच0 एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, जिन्हें पत्र संख्या सीए0वी/सेंट्रल गवर्न्मेंट, एसईसीआई(0) 1010 दिनांक 12.08.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सी एण्ड एजी द्वारा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रुप में नियुक्ति की गई है, को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 3,00,000 रुपए का एक एकीकृत शुल्क + शुल्क के 10 प्रतिशत से अनधिक जेब खर्च + यथा लागू करों का भुगतान किया जाएगा।

पुनः संकल्प किया जाता है कि प्रबंध निदेशक को पारिश्रमिक में किसी परिवर्तन और उसके साथ संबंध में ऐसे अन्य कार्यों अथवा आनुषंगिक अथवा सहायक कार्यों को करने के लिए मैसर्स आर0 एस0 पी0 एच0 एवं एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स उनके साथ वचनबद्ध की शर्तों को अंतिम रुप देने के लिए अधिकृत हैं और एतद्द्वारा अधिकृत किए जाते हैं।''

विशेष कार्य

मद संख्या – 4

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए लेखापरीक्षा शुल्क में 60,000/– रुपए से 2,50,000/–रुपए तक (स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण) और 50,000/–रुपए (एकीकृत वित्तीय विवरण के लिए) + शुल्क के 10 प्रतिशत से अनधिक जेब खर्च + यथा लागू सेवा कर में वृद्धि करने पर विचार करना।

सदस्यों से निवेदन है कि ऊपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करें और यदि उपयुक्त समझें तो एक सामान्य संकल्प के रुप में निम्न संकल्प को संशोधन (संशोधनों)

के साथ अथवा उसके बिना पारित करें :–

संकल्प पारित किया जाता है कि मैसर्स एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (जिन्हें पत्र संख्या सीए0 वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्न्मेंट, एसईसीआई(0)/532 दिनांक 16.07.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सी एण्ड एजी द्वारा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखापरीक्षक के रुप में नियुक्त किया गया है) के लेखापरीक्षा शुल्क वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 60,000/– रुपए (साठ हजार रुपए) + शुल्क के 10 प्रतिशत से अनधिक जेब खर्च + यथा लागू सेवा कर है और उसमें 2,50,000/– रुपए (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण) तक और 50,000/– रुपए (समेकित वित्तीय विवरण के लिए) + शुल्क के 10 प्रतिशत से अनधिक जेब खर्च + यथा लागू सेवा कर तक की वृद्धि की जाती है।

मद संख्या – 5

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए 1 मिलियन यूएस डॉलर (वर्तमान विनिमय दर पर लगभग 6.8 करोड़ रुपए) के अंशदान के लिए अनुमोदन पर विचार करना।

सदस्यों से निवेदन है कि ऊपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करें और यदि उपयुक्त समझें तो एक सामान्य संकल्प के रुप में निम्न संकल्प को संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा उसके बिना पारित करें :–

संकल्प पारित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए 1 मिलियन यूएस डॉलर (वर्तमान विनिमय दर पर लगभग 6.8 करोड़ रुपए) का सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा अंशदान अधिकृत है और एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

पुनः संकल्प पारित किया जाता है कि 1 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर की उक्त राशि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) को जारी की जाए, जिसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए एक अलग बैंक खाते में एनआईएसई द्वारा रखा जाए और जिसके वार्षिक ब्याज को उसके साथ संबंध में संबंधित व्ययों के लिए उपयोग किया जाए।''

यह संकल्प भी पारित किया जाता है कि प्रबंध निदेशक, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके साथ संबंध में ऐसे अन्य कार्यों अथवा आनुषंगिक अथवा सहायक कार्यों को करने के लिए के लिए अधिकृत हैं और एतद्द्वारा अधिकृत किए जाते हैं।''

निदेशक मंडल के आदेश से

ह0/–

(एस0 के0 गुप्ता)

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26.09.2016

टिप्पणी :–

1. बैठक में शामिल होने और मत देने के हकदार एक सदस्य को अपने स्वयं के स्थान पर शामिल होने और मत देने हेतु परोक्षी नियुक्त करने का हक है और परोक्षी का कंपनी का एक सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी फॉर्म सलंग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुकरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या – 4

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क में 60,000/– रुपए से 2,50,000/–रुपए तक (स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण) और 50,000/–रुपए (एकीकृत वित्तीय विवरण के लिए) + शुल्क के 10 प्रतिशत से अनधिक जेब खर्च + यथा लागू सेवा कर में वृद्धि करने पर विचार करना।

मैसर्स एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, एसईसीआई(0)/532 दिनांक 16.07.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सी एण्ड एजी द्वारा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सांविधिक लेखापरीक्षक के रुप में नियुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए लेखापरीक्षा शुल्क छठी लेखापरीक्षा समिति की बैठक के दौरान रखे गए प्रस्ताव की सिफारिश पर आधारित 60,000 रुपए (साठ हजार रुपए) + शुल्क के 10 प्रतिशत से अनधिक जेब खर्च + यथा लागू सेवा कर निर्धारित किया गया था और पुनः 12 अगस्त, 2015 को हुई कंपनी की चौथी वार्षिक आम सभा के दौरान स्वीकृत किया गया था।

नियुक्ति के तदंतर, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 3 कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया है और तद्नुसार कंपनी एक व्यावसायिक संगठन के रुप में कार्य कर रही है। जबकि नियुक्ति धारा 8 कंपनी के रुप में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की लेखापरीक्षा के लिए की गई थी और बाद में कंपनी की प्रकृति पूर्णतः परिवर्तित हो गई थी, जिसके कारण कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के अंतर्गत सांविधिक अनुपालनों, महत्वपूर्ण रुप से अतिरिक्त कार्य और सूचनापेक्षी अपेक्षाओं में वृद्धि हो गई थी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए, लेखापरीक्षकों को यह भी रिपोर्ट करना अपेक्षित है कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय नियंत्रण, जो वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान सूचनापेक्षी अपेक्षा हेतु लागू नहीं थे, की प्रचालन प्रभावकारिता है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे वित्तीय वर्ष 2015–16 के अकेले और एकीकृत वित्तीय विवरण दोनों पर अपनी लेखापरीक्षा राय व्यक्त करें और वित्तीय वर्ष 2014–15, जिसके लिए लेखापरीक्षकों से केवल अकेले वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने की अपेक्षा की गई थी, की तुलना के संबंध में वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कार्य के क्षेत्र में एतद्द्वारा वृद्धि करें।

कार्य और सूचनापेक्षी अपेक्षाओं की महत्वपूर्ण वृद्धि को देखते हुए, कंपनी के लेखापरीक्षक मैसर्स एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 15 जून, 2015 द्वारा लागू सेवाकर को छोड़कर 5,25,000/–रुपए पर वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क में वृद्धि के लिए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

7वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक की सिफारिश पर आधारित, आम सभा में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन 28 जुलाई, 2016 को हुई अपनी 20वीं बैठक में सेकी के निदेशक मंडल ने 60,000/–रुपए से 2,50,000/–रुपए (अकेले वित्तीय विवरण) और 50,000/–रुपए (एकीकृत वित्तीय विवरण के लिए) + शुल्क के 10 प्रतिशत से अनधिक जेब खर्च + वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए यथा लागू सेवाकर के साथ लेखापरीक्षा शुल्क में वृद्धि के लिए सिफारिश की थी।

उपर्युक्त को देखते हुए, सदस्यों से निवेदन किया जाता है कि उसके लिए एक विशेष संकल्प पारित करके उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार करें।

मद संख्या – 5

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए 1 मिलियन यूएस डॉलर (वर्तमान विनिमय दर पर लगभग 6.8 करोड़ रुपए) के अंशदान के लिए अनुमोदन पर विचार करना।

एनआईएसई के मंच से फ्रांस के राष्ट्रपति जैसे अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में 25 जनवरी, 2016 को उच्च कोटि के आईएसए कार्यक्रम के दौरान अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) को अंशदान के लिए माननीय विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय उर्जा और खान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने घोषणा की।

आईएसए को अंशदान 121 देशों के आईएसए साईबर चैनल पर कंपनी के कार्यक्रम और रुपरेखा के निर्माण हेतु पूरक आधार पर प्रतिवर्ष एक घंटे अपनी बात कहने का सेकी को एक अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा, सेकी को अपने कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए आईएसए नेटवर्क के माध्यम से वेबीनार आयोजित करने और समस्त आईएसए सदस्य देशों के शेयरधारकों और नागरिकों के साथ परस्पर अंतःसंवाद करने का अवसर भी प्राप्त होगा। सेकी को आईएसए पत्र–पत्रिकाओं में लेखों के द्वारा अपनी अंतर्दृष्टि और राय रखने का अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा आने वाले दशकों में सभी आईएसए आयोजित प्रदर्शनियों/गोष्ठियों/परिसंवादों आदि में सेकी विशेष होगा।

यह देखा गया कि उपरोक्त उल्लिखित विशेषाधिकार सेकी को वैश्विक स्तर पर, विशेषकर अफ्रीका में करोबार के नए व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने में

सहायता करेंगे, जिसके लिए भारत सरकार ने अगले पांच वर्षों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया है और सेकी का अगले 5 वर्षों के दौरान 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक लक्ष्य है।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के लिए अंशदान के नोट दिनांक 24/01/2016 के द्वारा परिचालन संकल्प संख्या 5/2015–16 के माध्यम से पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा, एमएनआरई ने अपने ओएम दिनांक 15 जुलाई 2016 द्वारा सेकी से अनुरोध किया है कि यथा प्रतिबद्धता के अनुसार, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर रुपयों को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) को जारी किया जाए। एनआईएसई राशि को आईएसए के प्रयोजनों के लिए एक अलग खाते में रखेगा, जिसके वार्षिक ब्याज को आईएसए व्ययों के लिए उपयोग कर सकता है।

28 जुलाई, 2016 को हुई अपनी 20वीं बैठक में निदेशक मंडल ने अगली आम सभा/वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्तमान विनिमय दर पर लगभग 6.8 करोड़ रुपए) के अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के लिए अंशदान को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त प्रस्ताव को उसके लिए एक विशेष संकल्प पारित करके स्वीकार करें।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह0/–

(एस0 के0 गुप्ता)

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26.09.2016

प्रॉक्सी फार्म

मैं/हम .... सुपुत्र/सुपुत्री...

निवासी.. ऊपर उल्लिखित कंपनी का/के सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा

....सुपुत्र/सुपुत्री .... निवासी

.... को अथवा उनकी अनुपस्थिति में ....

सुपुत्र/सुपुत्री.. निवासी .... को

कंपनी की ....को .... बजे होने वाली 5वीं आम सभा में या उसके किसी स्थगन के बाद होने वाली सभा में मेरे/हमारे और मेरी/हमारी तरफ से मत देने हेतु अपने प्रॉक्सी के रुप में नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं।

....2016 के..दिवस को हस्ताक्षरित।

____

हस्ताक्षर

टिप्पणी :

प्रॉक्सी फार्म अवश्य वापस किया जाना चाहिए और यह उपर्युक्त सभा के आयोजित करने के समय से 48 घंटे या अधिक समय पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। प्रॉक्सी के लिए कंपनी का शेयरधारक होना जरुरी नहीं है।

निदेशकों की रिपोर्ट 2015–16

सेवा में,

सदस्यगण,

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

निदेशकों को 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी के व्यवसाय और प्रचालनों पर पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रदर्शन की मुख्य बातें

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी के निष्पादन की मुख्य बातें और पिछले वर्ष के निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार हैः–

राशि (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
शेयर पूंजी	20,400.00	10,335.00
निवल परिसंपत्ति	22,114.70	10,400.30
कुल राजस्व	57,912.25	4,009.65
कर पूर्व लाभ/(हानि)	3,246.85	1,191.94
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	1,910.14	1,059.70

वित्तीय निष्पादन

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निवल लाभ में 80.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और यह 10.60 करोड़ रुपए से बढ़कर 19.10 करोड़ रुपए हो गया है। 31 मार्च, 2016 को कंपनी की निवल परिसंपत्ति में 112.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 104 करोड़ रुपए से बढ़कर 221.15 करोड़ रुपए हो गई है।

लाभांश

कंपनी ने कर ऊपरांत लाभ के 10 प्रतिशत के बराबर लाभांश का प्रस्ताव किया है, जो कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के अध्यधीन है।

शेयर पूंजी

31 मार्च, 2016 को कंपनी की निर्गमित और प्रदत्त पूंजी प्रति शेयर 1000 रुपए मूल्य वाले 20,40,000 इक्विटी शेयर और प्राधिकृत शेयर पूंजी प्रति शेयर 1000 रुपए मूल्य वाले 2,00,00,000 शेयरों में विभाजित 2,000 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कम्पनी ने 10,06,500 शेयर भारत के राष्ट्रपति को आवंटित किए हैं। कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 100 प्रतिशत भारत के राष्ट्रपति के पास है।

निधि और गैर निधि आधारित सुविधा

कंपनी को राजस्थान में स्थापित 10 मेगावाट सौर पीवी परियोजना परिसम्पति के बंधक के लिए भारतीय स्टेट बैंक से 49 करोड़ रुपए के सावधि ऋण की स्वीकृति मिली है। कंपनी को एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और भारतीय स्टेट बैंक से प्रत्येक से 50 करोड़ रुपए की सुविधा आधारित गैर निधि की भी स्वीकृति मिली है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्वीकृत सीमा सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों को रेहन रखकर है।

वीजीएफ सहायता के माध्यम से ग्रिड सम्बद्ध और विद्युत परियोजनाएं

750 मेगावाट वीजीएफ योजना

सेकी ने जेएनएनएसएम (चरण–2, बैच–1) के अंतर्गत पहली वीजीएफ योजना कार्यान्वित की है और यह समीक्षाधीन वर्ष के दौरान देश के 7 राज्यों में कुल 680 मेगावाट की बड़ी सौर पीवी परियोजनाओं को चालू करने में भी समर्थ हुआ है।

एमएनआरई ने यह योजना 2013 में शुरू की थी और यह 25 वर्षों तक 5.45 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच की पहले से निर्धारित दर पर सौर बिजली का उत्पादन करने के लिए विकासकर्ताओं को व्यवहार्यता अन्तर निधियन उपलब्ध कराने की अवधारणा पर आधारित थी। क्षमता खुले स्रोत सौर सैल/मॉडयूल और घरेलू रूप से निर्मित सौर सैल/मॉडयूल के बीच बराबर वितरित की गई थी।

इस योजना के तहत विकासकर्ताओं का चयन पारदर्शी प्रतिस्पर्धी रिवर्स–बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था।

700 मेगावाट (45 परियोजनाएं) के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे, हालांकि कुल 680 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजनाएं ही वित्तीय पूर्णता को प्राप्त कर पाई थी। प्रगति की निरंतर निगरानी और परियोजनाओं के विकास में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए समय पर हस्तक्षेप करने के कारण 150 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाएं समय से पहले शुरू की गई।

सेकी ने चुने गए विकासकर्ताओं के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किए और क्रेता वितरण कंपनियों के साथ पीएसए पर हस्ताक्षर किए ताकि इसके द्वारा भुगतान जोखिम को कम किया जा सके और जिससे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। विकासकर्ताओं के लिए भुगतान जोखिम को शामिल करने के लिए एक भुगतान सुरक्षा प्रणाली (पीएसएम) भी स्थापित की गई। इस योजना से भारत में पहली बार सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर अंतर–राज्य हस्तांतरण को प्रोत्साहन मिला।

सभी परियोजनाएं वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन हैं और सेकी ने 481 करोड़ रुपए का वीजीएफ जारी किया है।

2000 मेगावाट की वीजीएफ योजना

वीजीएफ योजना के पहले चरण की सफलता के आधार पर एमएनआरई ने सेकी को कार्यान्वयन के लिए 2000 मेगावाट का दूसरा बैच आवंटित किया है। सौर ऊर्जा की गिरती कीमतों का संज्ञान लेते हुए इस बैच के तहत सेकी द्वारा विकासकर्ताओं से सौर बिजली की खरीद का मूल्य घटाकर 25 वर्षों के लिए 4.43 रुपए प्रति किलोवाट घंटा निश्चित किया गया है। वितरण कंपनियों को 4.50 रुपए प्रति किलोवाट घंटे की दर पर सौर बिजली की आपूर्ति की गई थी। सौर पार्कों के विकास का लाभ लेने के लिए राज्यों द्वारा विकसित किए जा रहे सौर पार्कों या जहां पार्क तैयार नहीं थे वहां सौर पार्कों के बाहर परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति दी गई थी।

इस बैच की दूसरी विशेषता यह थी कि इसका ध्यान बिजली के अंतर–राज्य ट्रांसमिशन के बजाए राज्यों पर था। अतः यह योजना इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स–बोली और रिवर्स–नीलामी मोड के अंतर्गत राज्य विशिष्ट निविदाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष के दौरान, सेकी ने एनआईटी को विभिन्न राज्यों के लिए 2685 मेगावाट की क्षमता जारी की है, जिसका विवरण इस प्रकार हैः– महाराष्ट्र (450 मेगावाट), उत्तर प्रदेश (550 मेगावाट), आंध्र प्रदेश (500 मेगावाट), कर्नाटक (1000 मेगावाट), छत्तीसगढ़ (100 मेगावाट), पुडुचेरी (35 मेगावाट) और हिमाचल प्रदेश (50 मेगावाट)। इस क्षमता में घरेलू रूप से निर्मित सैल्स और मॉडयूल की श्रेणी के तहत 250 मेगावाट का घटक शामिल था। महाराष्ट्र में 450 मेगावाट क्षमता प्रदान (31 मार्च, 2016 तक) की गई थी।

5000 मेगावाट वीजीएफ योजना

वीजीएफ योजनाओं के लिए बाजार के शानदार प्रत्युत्तर के आधार पर वर्ष के दौरान एमएनआरई ने 5000 मेगावाट क्षमता के एक और बैच को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना में 2015–16 से प्रत्येक वर्ष के लिए 1250 मेगावाट क्षमता को शामिल किया गया है। 31 मार्च, 2016 को सेकी ने विभिन्न राज्यों यथा गुजरात में (250 मेगावाट), ओडिशा में (500 मेगावाट), आंध्र प्रदेश में (650 मेगावाट) और महाराष्ट्र में (500 मेगावाट) 1900 मेगावाट के लिए विकासकर्ताओं के चयन हेतु एनआईटी जारी किए हैं। इस योजना के तहत सेकी द्वारा विकासकर्ताओं से सौर बिजली की खरीद का मूल्य 25 वर्षों के लिए 4.43 रुपए प्रति किलोवाट घंटा निश्चित किया गया है। वितरण कंपनियों को 4.50 प्रति किलोवाट घंटे की दर पर सौर बिजली की आपूर्ति की गई थी। परियोजनाएं राज्यों द्वारा विकसित किए जा रहे सौर पार्कों या गैर सौर पार्कों में स्थापित की जा रही हैं।

नहर के ऊपर/नहर तट योजना

सौर बिजली की पैठ बढ़ाने के लिए वैकल्पिक जगह तलाशने के लिए एमएनआरई ने कुल 100 मेगावाट की क्षमता के साथ नहर ऊपर/नहर तट योजना के नाम से एक पायलट योजना शुरू की है। सेकी कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है और कंपनी का कार्य विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना और प्रगति संबंधी उपलब्धियों के आधार पर सीएफए प्रदान करना है। परियोजनाएं आठ राज्यों यथा पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और पश्चिम बंगाल में विकसित की जा रही हैं और यह कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में चल रही हैं। सेकी ने 43 करोड़ रुपए का सीएफए (31 मार्च, 2016 तक) संवितरित किया है।

एनआरईडीसीएपी–1 मेगावाट सीटी–1

रक्षा योजना

सौर बिजली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए रक्षा स्थापनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने 300 मेगावाट की कुल क्षमता वाली वीजीएफ योजना शुरू की है। सेकी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। परियोजनाओं के विकास को सुगम बनाने के लिए सेकी आयुध निर्माणी फैक्टरी बोर्ड, सैन्य इंजीनियरी सेवाएं, सीमा सुरक्षा बलों, छावनी बोर्डों और वायु सेना स्टेशनों सहित विभिन्न संगठनों से लगातार बात कर रही है। इनमें से कई स्थापनाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययन का काम पूरा कर लिया गया है। 7 मेगावाट क्षमता के लिए विकासकर्ताओं के चयन हेतु आरएफएस दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं (आयुध निर्माणी फैक्टरी बोर्ड, अंबजहरि और आयुध निर्माणी फैक्टरी बोर्ड, भंडारा) और ठेके प्रदान कर दिए गए हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सेकी ने 15 मेगावाट क्षमता के लिए ईपीसी ठेकेदार के चयन हेतु आरएफएस दस्तावेज जारी कर दिए हैं (भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड)।

सीपीएसयू योजना

विभिन्न सरकारी पहल के भाग के रूप में एमएनआरई ने सीपीएसयू को सौर बिजली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। योजना की लक्ष्य क्षमता 1000 मेगावाट है और इसमें क्रमशः घरेलू रूप से निर्मित सौर सैल/माडॅयूल और घरेलू रूप से निर्मित सौर माडॅयूल के इस्तेमाल पर आधारित सौर बिजली परियोजनाओं के विकास हेतु सीपीएसयू को 1 करोड़ रुपए/मेगावाट और 0.5 करोड़ रुपए/मेगावाट का सीएफए उपलब्ध कराना शामिल है। सेकी इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है। 31 मार्च, 2016 को 257 मेगावाट क्षमता कार्यान्वित की जा रही है। सेकी द्वारा 125 करोड़ रुपए का सीएफए जारी किया गया है।

ग्रिड सम्बद्ध रूफ–टॉप योजना

आपकी कंपनी को नोडल एजेंसी के रूप में एमएनआरई की प्रमुख रूफटॉप योजना (एं) कार्यान्वित करने का काम सौंपा गया है। कंपनी खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया अपनाकर योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुकूल माहौल तैयार करके, 'व्यवसाय की सुगमता' के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाकर, सम्मेलनों/कार्यशालाओं/गोल मेज बैठकों के जरिये विभिन्न हितधारकों में जागरूकता फैलाकर, एमएनआरई के चैनल पार्टनरों, नए उद्यमियों और एसएमई को प्रोत्साहित करके और मजबूत निगरानी/सत्यापन/निरीक्षण प्रोटोकॉल स्थापित करके उच्च क्षमता वाली सौर रूफटॉप पीवी सेगमेंट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

एमएनआरई से परामर्श करके विभिन्न क्षेत्रों को लक्ष्य करके कई योजनाए शुरू की गई हैं या शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। वर्तमान में सब्सिडी पाने के पात्र क्षेत्रों में आवासीय, शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं। सरकारी मंत्रालयों, विभागों, केन्द्रीय एवं राज्य पीएसयू के लिए उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन योजना भी अधिसूचित की गई है और यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।

आपकी कंपनी औद्योगिक और वाणिज्यिक सेगमेंट के लिए भी एक बिजनस मॉडल तैयार कर रही है, जिसमें कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। परंपरागत ग्रिड से कम बिजली लेकर पर्यावरण हितेषी बनने के लिए उत्पादित सौर बिजली का अधिकांश हिस्सा अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अगर बिजली बच जाती है तो इसे ग्रिड को दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, सेकी ने कैपेक्स और रेस्को मॉडल वाली योजनाएं कार्यान्वित की हैं। इनमें से ध्यान देने योग्य कुछ योजनाएं निम्नानुसार हैंः–

- 24 मेगावाट पीक (15 प्रतिशत सब्सिडी के साथ) के प्रति 19.5 मेगावाट पीक के लिए एलओए जारी किए गए थे। इसमें रेस्को के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की 12 सरकारी इमारतों के लिए सेकी के स्वामित्व वाली 1 मेगवाट पीक क्षमता शामिल है।
- केलोनिवि/सरकारी स्वामित्व वाली इमारतों के लिए रेस्को मोड में 50 मेगावाट पीक रूफ कनेक्टिड योजना के संबंध में विभिन्न सफल वैंडरों को कुल 42.75 मेगावाट पीक आवंटित किए गए थे।

एमएनआरई/डीपीई के साथ हस्ताक्षरित वित्तीय वर्ष 2015–16 के एमओयू लक्ष्यों के अनुसार, सेकी द्वारा कुल 50 मेगावाट पीक आवंटित की जानी थी, जिसकी तुलना में वैंडरों को 62.25 मेगावाट पीक सफलतापूर्वक आवंटित की गई।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, देशभर में कुल 30.6 मेगावाट पीक क्षमता वाली कुल 156 परियोजनाएं शुरू की गई थी। वित्तीय वर्ष के अंत तक 28 मेगावाट पीक क्षमता से अधिक की परियोजनाएं चालू की गई हैं।

एकल स्थान पर कुछ बड़ी रूफटॉप परियोजनाएं (≥500 **केडब्ल्यूपी**) निम्नानुसार हैं:–

क्र. सं.	राज्य	स्थान	क्षमता (केडब्ल्यूपी)
1	दिल्ली	पुष्पा भवन, नई दिल्ली	500
2	गुजरात	मैसर्स टाटा मोटर्स लि. नैनो प्लांट	500
3	महाराष्ट्र	असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, नवीं मुंबई	500
4		मैसर्स एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, पुणे	775
5		मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, पुणे	500
6	पंजाब	मैसर्स जेसीबीएल लिमिटेड, मोहाली	1000
7	राजस्थान	मैसर्स मणिपाल यूनिवर्सिटी, जयपुर	504
8	तमिलनाडु	मैसर्स असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, कांचीपुरम	970
9		टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, होसुर	1000
10		मैसर्स वैल्लूर इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैल्लूर	500
11		मैसर्स मदुरा कोट्स प्राइवेट लिमिटेड, तिरूनेलवेली	500
12	उत्तर प्रदेश	लखनऊ एयरपोर्ट	500
13		हल्दीराम स्नैक्स (प्रा.) लिमिटेड, नोएडा	500
		कुल	8249

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान क्षेत्रवार स्थापित सौर रूफटॉप क्षमता का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

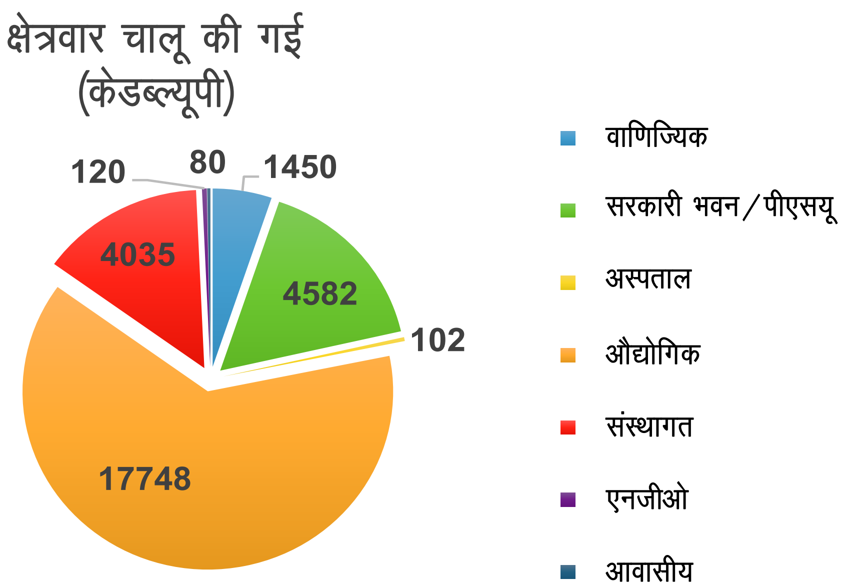

जैसाकि देखा जा सकता है कि अधिकतम रूफटॉप क्षमता औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र (>60%) में कार्यान्वित की गई और उसके बाद सरकारी इमारतों (~15%) और संस्थानों (~15%) में कार्यान्वित की गई।

वित्तीय वर्ष के दौरान, नई दिल्ली की कुछ प्रमुख सरकारी इमारतें, जिनमें यह परियोजना कार्यान्वित की गई, उनके नाम हैंः– यूपीएससी (100 केडब्ल्यूपी), पुष्पा भवन (500 केडब्ल्यूपी), निर्माण भवन (200 केडब्ल्यूपी), शास्त्री भवन (250 केडब्ल्यूपी), सेवा भवन (100 केडब्ल्यूपी), ईस्ट ब्लॉक (250 केडब्ल्यूपी) और सीजीओ कॉम्पलेक्स (150 केडब्ल्यूपी)।

सरकारी इमारत में सोलर पावर पैनल स्थापित किया गया (शास्त्री भवन, नई दिल्ली)

विज्ञान भवन (160 केडब्ल्यूपी), कृषि भवन (200 केडब्ल्यूपी), श्रम शक्ति भवन (125 केडब्ल्यूपी), आईपी भवन (220 केडब्ल्यूपी), विद्युत भवन (80 केडब्ल्यूपी), परिवहन भवन (70 केडब्ल्यूपी), जीपीओ आईएन, (150 केडब्ल्यूपी) और सफदरजंग अस्पताल (232 केडब्ल्यूपी) का कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है।

रूफटॉप योजना के लिए सेकी द्वारा अपनाई गई प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कीमत में काफी कमी आई। वर्ष 2013–14 में एमएनआरई बैंचमार्क मूल्य 130 रुपए/वाट में लगभग 40 प्रतिशत की कमी आई और यह 2015–16 में 75 रुपए/वाट हो गया है। इन परियोनाओं को टीयर–1, टीयर–2 और टीयर–3 तक विस्तारित करने से रूफटॉप योजना को काफी प्रचार मिला है और आम जनता में भारी जागरूकता और इसके प्रति दिलचस्पी देखी गई। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, सफल वैंडरों को लगभग 40 करोड़ रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता संवितरित की गई है।

हाल ही में, आपकी कंपनी ने मुख्यतया रूफटॉप परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों/पीएसयू यथा संस्कृति मंत्रालय, एनआईएफटीईएम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

निदेशक (पीएस) एनडीएमसी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए

स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने चरण–1 में 20 शहरों और चरण–2 में 13 शहरों की पहचान की है। कार्यक्रम के अनुसार, स्मार्ट सिटी को वर्ष 2022 तक अपनी खपत का 10 प्रतिशत भाग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना होगा। ऊपरोक्त लक्ष्यों को पाने में विभिन्न शहरी नगर निगमों की मदद करने के लिए सेकी को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

निदेशक (पीएस) इंदौर स्मार्ट सिटी में सोलर परियोजनाओं की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए

अतः आपकी कंपनी ने घोषित स्मार्ट सिटी के नगर निगमों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए पहल की है और इसने वाराणसी, सूरत, भोपाल, इंदौर, एनडीएमसी और उदयपुर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर लिए हैं।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और सूरत नगर निगम एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए

अप्रैल, 2016 में एमएनआरई ने आपकी कंपनी को 30 प्रतिशत सब्सिडी योजना के तहत 500 मेगावाट की रूफटॉप क्षमता की स्वीकृति प्रदान की है। दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक यह योजना आवासीय, संस्थागत और सामाजिक क्षेत्रों को कवर करती है। इसके अलावा, कंपनी को वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्र (बिना सब्सिडी) के लिए 500 मेगावाट और 25 प्रतिशत तक के उपलब्धि आधारित इन्सेंटिव के साथ सरकारी एवं केन्द्र एवं राज्य दोनों के पीएसयू के लिए 1000 मेगावाट रूफटॉप योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो आरएफएस चरण में है।

अतः आपकी कंपनी राष्ट्रीय सौर मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए एमएनआरई द्वारा दिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम कर रही है।

सौर पार्क योजना

सौर बिजली परियोजनाओं के तेजी से विकास के दृष्टिगत सौर पार्क की अवधारणा शुरू की गई और एमएनआरई ने विकसित सौर पार्कों में 20,000 मेगावाट की क्षमता को लक्ष्य करके एक विशिष्ट योजना शुरू की। इसका मूल उद्देश्य राज्य द्वारा भूमि की पहचान करना और बिजली निकासी, सड़कों, पानी आदि के लिए सौर पार्क कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण करना था। योजना को उत्साहजनक प्रत्युत्तर मिला और 20,000 मेगावाट क्षमता के 34 पार्कों को मंजूरी दी गई। इन सौर पार्कों के विकास का कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है, तथापि, अधिकांश राज्यों में सौर बिजली के प्रति काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। सेकी इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। ये पार्क राज्य सरकार की एजेंसियों या प्राइवेट कंपनियां या सेकी और राज्य सरकार की एजेंसियों की संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा विकसित किए जा रहे हैं।

सेकी राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ स्थापित संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से 6 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश) में सौर पार्कों के विकास से सीधा जुड़ा है। 5 संयुक्त उद्यम कंपनियां पहले ही स्थापित कर ली गई थी और हिमाचल प्रदेश के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी हाल ही में शुरू की गई है। इन पार्कों के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है। इन पार्कों में निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन सौर पार्कों में शुरू किए गए कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–

- **कर्नाटक :** 2000 मेगावाट क्षमता के तुमकर सौर पार्क के लिए 11000 एकड़ भूमि की पहचान कर ली गई है, जिसमें से 10371 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। आंतरिक निकासी अवसंरचना के विकास का कार्य चल रहा है।
- **आन्ध्र प्रदेश :**
  - 1500 मेगावाट क्षमता के अनंतरपुर सौर पार्क के लिए 7181 एकड़ भूमि की पहचान कर ली गई है, जिसमें से 6693 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। आंतरिक और बाहरी ट्रांसमिशन के निर्माण और बिजली निकासी प्रणाली का कार्य प्रगति पर है। एनटीपीसी ने 250 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं चालू कर दी हैं। शेष क्षमता की परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है।

- 1000 मेगावाट क्षमता के कडप्पा सौर पार्क के लिए 6075 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। आंतरिक निकासी अवसंरचना के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है।
- 1000 मेगावाट क्षमता के करनूल सौर पार्क के लिए 5811 एकड़ भूमि की पहचान की गई है और 5208 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। सड़क, नालियों का कार्य और आंतरिक एवं बाहरी ट्रांसमिशन और बिजली निकासी प्रणाली का कार्य प्रगति पर है। 1000 मेगावाट की पूरी क्षमता प्रदान कर दी गई है।
- 500 मेगावाट की क्षमता के अनंतपुरमु–2 सौर पार्क के लिए 4448 एकड़ भूमि की पहचान कर ली गई है और 4022 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। 2 नग 220/33 केवी पूलिंग सब–स्टेशन और 400/220 केवी ग्रिड सब–स्टेशन तक की कनेक्टिंग लाइन; 250 मेगावाट के प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक पूलिंग सब–स्टेशन के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। 500 मेगावाट परियोजना क्षमता के लिए राज्य सरकार निविदा जारी करेगी।

- **मध्य प्रदेश :** 750 मेगावाट के रीवा सौर पार्क के लिए लगभग 3390 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। प्रापण और निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।
- **उत्तर प्रदेश :** 600 मेगावाट, जिसमें संशोधन करके 440 मेगावाट किया गया है, की क्षमता के यूपी सौर पार्क के लिए लगभग 2300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। पार्क में सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है।
- **केरल :** 200 मेगावाट की क्षमता के कसाडकोड सौर पार्क के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और 50 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

इन पार्कों के विकास के लिए 31 मार्च, 2016 तक सेकी ने कार्यान्वयन एजेंसियों को इस योजना के तहत 368 करोड़ रुपए का सीएफए जारी किया है।

सेकी की अपनी परियोजनाएं

सेकी ने अपने कार्यों में दीर्घावधि निरंतरता के लिए राजस्व अर्जित करने वाली परिसंपत्तियां बनाने के लिए अपनी सौर बिजली परियोजनाओं का विकास करने की योजना बनाई है। इसी के भाग के रूप में जेएनएनएसएम की एमएनआरई की बंडलिंग योजना के तहत राजस्थान के जोधपुर जिले के बड़ी सिद में वर्ष के दौरान 10 मेगावाट क्षमता की पहली परियोजना चालू की गई है। इस परियोजना की सौर बिजली 25 वर्षीय बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के तहत एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनवीवीएन को बेची जा रही है। परियोजना संतोषजनक ढंग से काम कर रही है और इसके प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए इस पर करीब से निगरानी रखी जा रही है। मार्च, 2016 में इसकी शुरूआत होने के बाद परियोजना ने (अगस्त, 2016 तक) 7.4 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है।

बड़ी सिद, जोधपुर, राजस्थान में स्थापित 10 मेगावाट सोलर पावर परियोजना

सेकी विभिन्न राज्यों यानि आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में 600 मेगावाट की क्षमता की जमीन आधारित सौर पीवी परियोजनाएं स्थापित करने की योजना बना रहा है। इनमें विश्व बैंक की सहायता वाली फ्लोटिंग सौर, सौर–पवन हाइब्रिड और बैटरी–स्टोरेज टेकनोलॉजी सहित सौर की अवधारणा पर आधारित परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, सेकी अपनी बड़ी क्षमता वाली ग्रिड कनेक्टिड रूफटॉप सौर परियोजनाएं शुरू करने पर भी विचार कर रहा है।

परामर्श परियोजनाएं

क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता पर भरोसा करते हुए, सेकी अपने परिचालनों के लिए राजस्व प्राप्त करने के दृष्टिगत परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) का विकास करने पर निरंतर काम कर रहा है। इसके भाग के रूप में सेकी विभिन्न संगठनों/संस्थानों को पीएमसी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। इनमें से कुछ परियोजनाएं निम्नानुसार हैं, जो कार्यान्वयन के अंतिम चरणों में है ।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट के लिए परियोजनाएं

कसारगोड, केरल में 50 मेगावाट की परियोजना : सेकी ने आईआरईडीए के पीएमसी के कार्यों के तहत परियेाजना का विकास शुरू किया है। यह परियोजना कसारगोड में सौर पार्क में स्थित है। 50 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने के लिए ईपीसी के चयन हेतु आरएफएस सेकी द्वारा आमंत्रित किए गए और ठेका दे दिया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मध्य प्रदेश में 2X100 मेगावाट परियोजनाएं: सेकी कोल इंडिया के लिए पीएमसी कार्यों के तहत परियेाजनाओं का विकास शुरू कर रही है। ई–निविदा के माध्यम से मध्य प्रदेश में 2X100 मेगावाट की सौर पीवी परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए आरएफएस आमंत्रित किए गए और इसके बाद ई–रिवर्स ई–नीलामी मोड अपनाया गया। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। सीआईएल/सहायक कंपनियां के गो–अहेड प्राप्त होने के बाद एलओए जारी किए जाने की संभावना है। एक और 800 मेगावाट की क्षमता के कार्यान्वयन के लिए चर्चा की जा रही है।

मेडक, तेलंगाना में 15 मेगावाट: सेकी ने मेडक, तेलंगाना में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के लिए 15 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना का विकास कार्य शुरू कर दिया है। यह परियोजना रक्षा स्थापनाओं के लिए एमएनआरई की वीजीएफ योजना के अंतर्गत है। सेकी ने ईपीसी ठेकेदार के चयन हेतु आरएफएस आमंत्रित किए थे और ठेका दे दिया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

समुद्री पत्तनों के लिए परियोजनाएं

सेकी ने परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं के तहत टर्नकी आधार पर सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भारतीय पत्तन एसोसिएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बाद में, 5 पत्तनों पर कार्य प्रगति पर है। शुरू किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है (31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार):–

विजाग पत्तन: 10 मेगावाट क्षमता के लिए ईपीसी ठेकेदार के चयन हेतु आरएफएस आमंत्रित किए गए और एलओआई जारी किए गए। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पारादीप पत्तन: समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 10 मेगावाट क्षमता के लिए ईपीसी ठेकेदार के चयन हेतु आरएफसी आमंत्रित किए गए और एलओआई जारी किए गए। बहरहाल, चुने गए ईपीसी ठेकेदार द्वारा एलओआई को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण वर्तमान वर्ष के दौरान क्षमता के लिए पुनः निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

न्यू मंगलोर पत्तन: 4 मेगावाट क्षमता की परियोजना के लिए ईपीसी ठेकेदार के चयन हेतु आरएफएस आमंत्रित किए गए। ठेका दे दिया गया है और निर्माण कार्य प्रगति पर है।

कमराजार पत्तन: वर्ष 2015–16 में 1 मेगावाट क्षमता के लिए ईपीसी ठेकेदार के चयन हेतु आरएफएस आमंत्रित किए गए। बहरहाल, क्षमता को कम करके 250 किलोवाट किए जाने के कारण परियोजना के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान पुनः निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

कोलकाता पत्तन: वर्ष 2015–16 में ईपीसी ठेकेदार के चयन हेतु आरएफएस आमंत्रित किए गए। बहरहाल वर्तमान वर्ष में साइट तैयार करने में समस्या के कारण निविदा में संशोधन किया गया है।

अन्य पत्तन: वीओसीपीटी और जेएनपीटी पत्तनों के लिए परियोजना आकार पर चर्चा और कार्यान्वयन के तौर–तरीकों का कार्य प्रगति पर है।

बिजली का व्यापार

सेकी को भारत सरकार की वीजीएफ योजनाओं के तहत आने वाली परियोजनाओं से बिजली खरीदने और इसे विभिन्न वितरण कंपनियों/खरीदार यूटिलिटियों को बेचने का कार्य सौंपा गया है। इस संबंध में, सेकी ने सौर परियोजना विकासकर्ताओं के साथ 45 बिजली क्रय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में सौर पीवी परियोजनाएं स्थापित की हैं। इस बिजली की बिक्री करने के लिए सेकी ने 680 मेगावाट की क्षमता के लिए दिल्ली, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड की विभिन्न वितरण कंपनियों/खरीदार यूटिलिटियों के साथ 17 बिजली विक्रय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

सेकी और डीएमआरसी एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए

बिजली का व्यापार करने में समर्थ बनने के लिए सेकी ने सीईआरसी से श्रेणी 2 व्यापार लाइसेंस प्राप्त किया है। सेकी ने क्रेता वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों के लिए इन परियोजनाओं से बिजली प्राप्त करने के लिए 25 वर्षों की अवधि के लिए सीटीयू से दीर्घावधि ओपन एक्सेस (एलटीए) भी प्राप्त किया है। ठोस प्रयासों और पावरग्रिड के पूर्ण सहयोग से कंपनी दीर्घावधि ओपन एक्सेस प्राप्त करने और सौर बिजली पीवी परियोजनाओं के प्रगतिशील शुभारंभ के साथ 400 मेगावाट क्षमता के लिए ट्रांसमिशन सेवा समझौता करने में समर्थ हुई है। पीपीए में परियोजना को आंशिक रूप से शुरू करने या पहले चालू करने का प्रावधान था। तदनुसार, सेकी ने जितनी अवधि के लिए एलटीए प्रदान किया था, उतनी अवधि के लिए गुजरात से ओडिशा तक अल्पावधि आधार पर 24 मार्च, 2015 को अंतर–राज्य बिजली व्यापार शुरू किया।

सेकी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 में 954 मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया। सेकी ने बैक–एंड सपोर्ट सेवाओं के लिए मैसर्स पीटीसी इंडिया लिमिटेड को नियुक्त किया। सेकी ने 1000 मिलियन यूनिट की व्यापार मात्रा को पार करके अप्रैल 2016 में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और लगभग 1376 मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया (08.09.2016 तक)।

ऑफ–ग्रिड सौर

वर्ष 2015–16 के दौरान, सेकी ने प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 3 स्कूलों में ऑफ–ग्रिड सौर पीवी प्रणाली और 40 सौर स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम किया। वाराणसी में 500 सौर स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम चल रहा है।

आपकी कंपनी सीएसआर के तहत आरईसी और आईएफसीएल प्रायोजित सौर लालटेन कार्यान्वित कर रही थी और इस योजना के तहत देश के पिछड़े जिलों में 1.85 लाख सौर लालटेन वितरित की जाएंगी।

वर्ष के दौरान, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के पिछड़े जिलों में 50,000 से अधिक सौर लालटेन आवंटित की गई थी। नेपाल के भूकंप पीड़ितों के लिए 5000 सौर लालटेन भेजी गई थीं। पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य को 1000 सौर लालटेन दी गई थीं। झारखंड (5000), बिहार (5000), उत्तराखंड (5000), पश्चिम बंगाल (3000) और उत्तर प्रदेश (10000) के राज्य भी कवर किए गए थे।

इरेडा ने लगभग 20 लाख रुपए की स्वीकृति के साथ सीएसआर कार्यकलाप के तहत उत्तर प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए स्कूल के लिए 40 किलोवाट पीक के कार्यान्वयन में सहायता की थी। इरेडा ने 30 लाख रुपए की सीएसआर सहायता के साथ उत्तर प्रदेश में वृंदावन में वृद्धाश्रम में 30 किलोवाट पीक ऑफ–ग्रिड सौर पीवी प्रणाली लगाने में भी सहायता की थी, जिसे शुरू कर दिया गया है। इसका लाभ इस परिसर में रह रही लगभग 100

वृद्ध विधवाओं को मिलेगा।

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

2.5 मेगावाट काजा सौर–पवन हाइब्रिड परियोजना

सेकी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम में रंगग्रीक, काजा (हिमाचल प्रदेश) में एक पायलट सौर–पवन–बैटरी हाइब्रिड परियोजना का विकास कर रहा है।

प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास के लिए स्थान लगभग 12000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय पर्वतमाला के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। अत्यधिक ठंड (सर्दियों में तापमान गिरकर – 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है) के अलावा साइट तक पहुंच परियोजना के कार्यान्वयन में सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है।

वर्ष के दौरान, परियोजना साइट के लिए बिजली की खपत/लोड के आंकड़ों को एचपीएसईबीएल के समन्वय से एकत्रित किया गया था और कार्यान्वयन के तरीके को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके बाद, सेकी और एचपीएसईबीएल के बीच संयुक्त उद्यम बनाकर कार्य शुरू किया गया। परियोजना की तकनीकी विशिष्टियां तैयार कर ली गई हैं और हितधारकों के सुझाव शामिल किए गए हैं। 1 एमडब्ल्यूएच बैटरी स्टोरेज के साथ 2.5 मेगावाट हाइब्रिड संयंत्र स्थापित करने के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए विस्तृत एनआईटी जारी कर दी गई हैं।

प्रबंध निदेशक, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एचपीएसईबीएल के साथ संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर करते हुए

सौर दिशानिर्देश वेब पोर्टल

भारत–जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम (आईजीईएन) के तहत "सौर दिशानिर्देश" वेब पोर्टल नाम की पहल सरकारों द्वारा समय–समय पर घोषित नीति फ्रेमवर्क, सीईआरसी द्वारा घोषित विनियामक फ्रेमवर्क, एमओईएफ के विनियमों और देश में सौर स्थापनाओं को समय पर शुरू करने और वित्तीय पूर्णता के लिए अपेक्षित स्वीकृति और क्लीयरेंश की प्रक्रिया संबंधी विवरण से संबंधित नवीनतम जानकारी के प्रसार को सुगम बनाने के लिए भारत सौर बिजली क्षेत्र के तेजी से विकास को बढ़ावा देने के लिए वेब आधारित प्लेटफार्म है। परियोजना के पहले चरण में वेबसाइट (www.solarguidelines.in) बनाई गई और राजस्थान राज्य में सौर परियोजनाओं को चालू करने के लिए आवश्यक चरण–वार प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया। परियोजना के दूसरे चरण में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण

पत्र प्रणाली, ऑफ–ग्रिड सौर ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों और केप्टिव इस्तेमाल के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं में सहभागिता के लिए रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं की योजनाओं को शामिल करने के साथ 7 और राज्यों (कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश) को शामिल करने के लिए डाटाबेस का विस्तार किया गया है।

एनआईएसई, ग्वालपहाड़ी में कैलिब्रेशन लैब यूनिट

सेकी सौर विकिरण मापक संसरों के लिए कैलिब्रेशन सुविधा का विकास करने के लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के साथ मिलकर एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का वित्तपोषण एमएनआरई द्वारा किया जा रहा है। एनआईएसई में एक प्रयोगशाला बनाई गई है और इसने काम करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में, संसरों का कैलिब्रेशन का काम नियमित रूप से किया जा रहा है और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 11 एसआरआरए संसरों का अंशशोधन किया गया है। यह सुविधा एनआईएसई द्वारा परिचालित और प्रबंधित की जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अंशशोधन कंपनियों के लिए केन्द्रीकृत सर्वर सुविधा और नवीनतम डेस्कटॉप/लैपटॉप के साथ आधुनिक एवं सुरक्षित व्यवस्थित डेटा नेटवर्क का रख–रखाव कर रहा है। सर्वर कक्ष उच्च गति वाले एलएएन और डब्ल्यूएएन कनेक्टीविटी के साथ नेटवर्क और इंटरनेट सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित हैं। ग्राहक स्थलों पर बैठकों/चर्चाओं के लिए वीडियों कान्फ्रेंसिंग सुविधा का इस्तेमाल किया जा रहा है।

कंपनी के पास नई निगमित वेबसाइट और सुरक्षित ई–मेल कनेक्टीविटी की सुविधा है। नई रिस्पोन्सिव निगमित वेबसाइट सभी प्रकार के मोबाइल और डेस्कटॉप डिवाइस के साथ काम करने में समर्थ है और इसमें उपयोगकर्ता की पसंद के अनुसार प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के लिए गतिशील लिप्यंतरण की सुविधा है। सेकी से संबंधित प्रासंगिक सूचना के प्रसार को सुगम बनाने के लिए एक इंट्रानेट वेबसाइट शुरू की गई है, जिसे सभी कर्मचारी आसानी से देख सकते हैं।

कंपनी टविटर, फेसबुक, लिंकडिन और यूटयूब जैसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों में खुद को सक्रियता से प्रोमोट कर रही है। कुशलता में सुधार लाने और प्रापण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एसटीक्यूसी प्रमाणित ई–निविदा प्रणाली और दूरसंचार परामर्शक इंडिया लिमिटेड की ई–नीलामी प्रणाली को अपनाया गया है।

कंपनी 750 मेगावाट बड़ी योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं के उत्पादन का पता लगाने के लिए सौर उत्पादन रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। वेतन एवं विविध दावों के लिए पेरोल प्रणाली और वेंडर भुगतान का पता लगाने के लिए बिल निगरानी प्रणाली जैसे दूसरे अनुप्रयोगों का विकास किया गया है और इन्हें इंट्रानेट पर लगाया गया है।

सेकी भारतभर में स्थित विभिन्न बिजली विकासकर्ताओं द्वारा सूचित पैरामीटरों का विस्तृत और समेकित दृश्य प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लाने की तैयारी कर रही है। यह एप्लीकेशन सेकी से जनता को महत्वपूर्ण सूचना भेजने और उनके फीडबैक दर्ज करने में एक सेतु का काम करेगा।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो

वित्तीय वर्ष के दौरान केवल नीचे दी गई घटनाओं को छोड़कर ऐसी कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई, जिसका कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े:–

निगम के स्टेटस में बदलाव हुआ है, यह धारा 8 कंपनी (कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत) से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई है और कंपनी रजिस्ट्रार, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय और भारत सरकार ने 9 नवंबर, 2015 को निगमीकरण का नया प्रमाण पत्र जारी किया है ताकि यह स्वतः स्थापित और स्वतः उत्पादक संगठन बन सके; वाणिज्यिक संगठन के रूप में काम करने; सौर ऊर्जा के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा, विजुलाइज्ड जिओ–थर्मल ऑफ शोर विंड, टाइडल आदि के सभी सेगमेंट का विकास शुरू करने में समर्थ बन सके।

संयुक्त उद्यम

आन्ध्र प्रदेश सोलर पावर कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेडः यह सेकी, एपीजीईएनसीओ और एनआरईडीसीएपी के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसकी शेयरधारिता का अनुपात क्रमशः 50:41:9 है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन आन्ध्र प्रदेश में 1500 मेगावाट अनंतपुर सौर पार्क और 1000 मेगावाट करनूल सौर पार्क का विकास करने के लिए किया गया है।

कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेडः यह संयुक्त उद्यम सेकी ओर केआरईडीएल के बीच है और इसकी शेयरधारिता का अनुपात 50:50 है। इस संयुक्त उद्यम का गठन कर्नाटक के तुमकुर में 2000 मेगावाट सौर पार्क का विकास करने के लिए किया गया है।

लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेडः यह संयुक्त उद्यम सेकी और यूपीएनईडीए के बीच है और इसकी शेयरधारिता का अनुपात 50:50 है। संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा, मिर्जापुर, इलाहाबाद और जालौन जिलों में 600 मेगावाट सौर पार्क का विकास करने के लिए किया गया है।

रिन्यूबल एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ केरलः यह सेकी और केएसईबी के बीच एक संयुक्त उद्यम है और इसमें शेयरधारिता का अनुपात 50:50 है। संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन कसागौड, केरल में 200 मेगावाट सौर पार्क का विकास करने के लिए किया गया है।

रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेडः यह सेकी और एमपीयूवीएनएल के बीच एक संयुक्त उद्यम है और इसकी शेयरधारिता का अनुपात 50:50 है। इस संयुक्त उद्यम का गठन मध्य प्रदेश के आगर और नीमच में 750 मेगावाट सौर पार्क का विकास करने के लिए किया गया है।

मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष के दौरान, मानव संसाधन प्रबधन का फोकस मानव संसाधन योजनाओं को समग्र व्यवसायिक उद्देश्यों के अनुरूप बनाना और मानव संसाधन कार्य को व्यवसाय ओरिएंटेशन के साथ चलाकर मानव संसाधन में बदलाव लाने पर रहा है। इसके कारण जनशक्ति की उत्पादकता में वृद्धि करने और हमारी जनशक्ति पर निवेश प्रतिफल को अधिकतम करने के लिए उच्च स्तरीय मानकों को हासिल करने में उल्लेखनीय सफलता मिली।

वर्ष के दौरान, सेकी के कुल स्थायी कर्मचारियों की संख्या 63 है। सेकी के बोर्ड द्वारा पांच कार्मिक नीतियां बनाई गई थीं और/या इसमें बदलाव और अद्यतन किया गया। ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विभाग के सतत् प्रयासों के भाग के रूप में वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 54 कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए भेजे गए थे ताकि वे नई जानकारी हासिल करके नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हुए नवीनतम विकासों की जानकारी लेकर अपनी क्षमता को बढ़ा सकें।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन

चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह

सेकी ने उपयुक्त तरीके से सेकी स्थापना दिवस मनाकर लाभप्रदता के प्रथम वर्ष का जश्न मनाया, इसकी शुरूआत रक्तदान शिविर के साथ हुई और इसके बाद पांचवी कक्षा तक के बच्चों के लिए चार विभिन्न सर्वोदय विद्यालयों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई और आखिरी में समारोह का समापन लिम्का बुक विश्व रिकार्ड धारक श्री मुजीब खान के निर्देशन में मुम्बई की टीम द्वारा अत्यंत लोकप्रिय नाटक ''रश्मिरथि'' के मंचन के साथ किया गया जिसका सरलीकरण रामधारी सिंह दिनकर की न्याय समिति द्वारा किया गया था और इस नाटक में जो पराकाष्ठा दर्शायी गयी वह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दृष्टिकोण से मेल खाती है।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता

वर्ष के दौरान, सेकी के मानव संसाधन के कदमों को उस समय मान्यता मिली, जब निदेशक (एचआर), सेकी को मुंबई में फरवरी, 2016 में विश्व एचआरडी कांग्रेस द्वारा आयोजित सीएचआरओ एशिया द्वारा 'मोस्ट इन्फ्लुएंशल एचआर लीडर्स इन इंडिया'' से सम्मानित किया गया। वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित योग शिविर

कर्मचारियों के विवरण

31 मार्च, 2016 को कंपनी अधिनियम 2013 के कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के साथ पठित नियम 5(1) की धारा 197(12) के तहत कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में सूचना निम्नानुसार हैः **शून्य**

राजभाषा

हमारे दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में और राजभाषा विभाग द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जोरदार प्रयास किए गए ताकि अपने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जा सके। इसके लिए वर्ष के दौरान, चार कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनमें अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के बारे में बताया गया। इनके अलावा, अधिकारियों और कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। कंपनी ने राजभाषा कार्यान्वयन में की गई प्रगति की तिमाही समीक्षा भी की। वर्ष के दौरान, प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं। कंपनी के अंदर सभी फार्म और मानक प्रारूप द्विभाषी बनाए गए हैं। वर्ष के दौरान, हिंदी और अंग्रेजी की द्विभाषिक विषय–वस्तु वाली सेकी की डिजिटल पत्रिका ''सूर्यांश'' के तीन संस्करण प्रकाशित किए गए।

''सूर्यांश'' डिजिटल पत्रिका को 'गृह पत्रिका पुरस्कार 2014–15' के अंतर्गत नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) द्वारा द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नराकास की 41वीं बैठक में 29 जुलाई, 2015 को यह पुरस्कार निदेशक (एचआर) ने प्राप्त किया।

1 सितंबर, 2015 से 14 सितंबर, 2015 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजभाषा से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हमारे अध्यक्ष और सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा बीस विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

सेकी ने अपने यहां कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 लागू किया है। आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक महिला सदस्य हैं। पिछले वर्ष सूचित लंबित शिकायत महिला संविदा कर्मी से प्राप्त हुई थी। आंतरिक शिकायत समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें कहा गया है कि शिकायत सही साबित नहीं हो सकी है। इस आधार पर उक्त शिकायत को बंद कर दिया गया है। वर्ष के दौरान, इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सतर्कता

सतर्कता विभाग को यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सभी निर्देशों/दिशानिर्देशों का सेकी में अनुपालन किया जाए। सतर्कता विभाग किए गए/किए जाने की संभावना वाले कदाचारों का पता लगाने के लिए निरोधक जांच करता है; शिकायतों की जांच करता है, अगली जरूरी कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्टों पर कार्रवाई करता है, जहां कहीं आवश्यकता हो वहां सलाह के लिए मामले सीवीसी को भेजता है और सेकी कार्यविधियों और प्रणालियों में अधिक समानता और निष्पक्षता लाने के लिए प्रणाली सुधार के लिए सुझाव देता है/सिफारिश करता है।

सतर्कता विभाग ने सतर्कता प्रशासन के लिए तकनीक का लाभ उठाने के आधार पर प्रणाली में सुधार करने के कई सुझाव दिए हैं। परिणामस्वरूप, वैंडरों और सप्लायरों के बिलों की निगरानी और भुगतान के लिए ऑनलाइन वर्कफ्लो प्रणाली कार्यान्वित की गई है। पदोन्नति, कन्फर्मेशन, विदेशी दौरों और यात्राओं, बाहरी रोजगार के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र और दूसरे संगठनों को आवेदन अग्रेषित करने और अन्य प्रयोजनों के संबंध में प्राप्त अनुरोधों के अनुसार सतर्कता अनापत्ति स्थिति भी उपलब्ध करायी गई है। फाइल ट्रेकिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम कंपनी में शुरू करने के लिए भी सुझाव दिया गया है और यह सिस्टम नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इन्कार्पोरेटेड के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

26 अक्टूबर, 2015 से 31 अक्टूबर, 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय था ''सुशासन के साधन के रूप में निरोधक सतर्कता''। इस कार्यक्रम को शपथ ग्रहण समारोह के साथ मनाया गया, जिसमें सेकी के सभी कर्मचारियों को कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता बनाए रखने और जीवन के हर क्षेत्र से भ्रष्टाचार को समाप्त करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर निबंध, कार्टून, स्लोगन और वाद–विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। ''निरोधक सतर्कता और सतर्कता जागरूकता'' पर आधे दिन की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें काफी लोगों ने भाग लिया।

सूचना का अधिकार

आपकी कंपनी ने भारत के नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने और कंपनी की कार्यप्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है। कंपनी ने अपने पंजीकृत कार्यालय में एक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय अधिकारी नामित किया है। वर्ष 2015–16 के दौरान, 51 आरटीआई आवेदन प्राप्त किए गए और सभी पर कार्रवाई की गई और उनके जवाब दिए गए।

धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी और निवेश के विवरण

कंपनी ने कोई ऋण प्रदान नहीं किया है। तथापि, कंपनी ने ट्रांसमिशन कंपनियों, कर प्राधिकारियों और अन्य के पक्ष में 16.77 करोड़ रुपए की गारंटी/साख पत्र जारी करने के लिए बैंकों को इन्डेमिनिटी दी है। कंपनी ने सेकी को अधिशेष निधियां और एमएनआरई निधियां बैंकों की अल्पावधि जमा राशियों में निवेश की है और कोई अन्य निवेश नहीं किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समाहन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय के विवरण

कंपनी ने कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की है। इस अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय 16,03,888 रुपए रहा जो मुख्यतः अधिकारिक यात्राओं, सेमिनारों और सब्सक्रिप्शन के लिए किया गया।

लेखों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए मैसर्स एल0 डी0 सरोगी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउटेंट्स को सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट **अनुबंध–क** के रूप में संलग्न है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने (स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण) कोई टिप्पणी नहीं की है। तथापि, समेकित वित्तीय विवरण और उन पर प्रबन्धन के उत्तर के संबंध में कुछ टिप्पणियां **अनुबंध–क1** में दी गई हैं। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी **अनुबंध–ख** के रूप में संलग्न है। नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शून्य होने के कारण प्रबंधन द्वारा उत्तर देना लागू नहीं है।

निगमित अभिशासन

इस रिपोर्ट के भाग के रूप में निगमित अभिशासन की रिपोर्ट **अनुबंध–ग** के रूप में संलग्न है। पेशेवर कंपनी सचिव, आशु गुप्ता एंड कंपनी, कंपनी सचिव से प्राप्त निगमित अभिशासन के अनुपालन का प्रमाण पत्र **अनुबंध–घ** के रूप में संलग्न है।

वार्षिक विवरण का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी का सार इस रिपोर्ट में **अनुबंध–ङ** के रूप में संलग्न है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

बोर्ड ने व्यवसाय नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, धोखाधड़ी और चूक को रोकने और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वनीय वित्तीय प्रकटन समय पर तैयार करने सहित अपने व्यवसाय के कुशल और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और कार्यविधियों का अनुसरण किया है।

निगमित सामाजिक दायित्व

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत शामिल किया गया था और यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII से संबंधित क्रियाकलापों में लगी हुई है। इस निगम को 09 नवम्बर, 2015 से धारा 3 कम्पनी में परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा कम्पनी के निदेशक मण्डल ने 28.07.2016 को आयोजित अपनी 20वीं बैठक में सी एस आर समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार आगामी वर्षों में अपने सीएसआर क्रियाकलाप करेगी।

आचार संहिता

डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए कंपनी ने आचरण एवं नैतिक संहिता ("संहिता") तैयार की है, जो सभी बोर्ड सदस्यों और बोर्ड से एक पद नीचे के वरिष्ठ प्रबंधकीय कर्मचारियों पर लागू है। सभी बोर्ड सदस्यों और बोर्ड से एक पद नीचे के वरिष्ठ प्रबंधकीय कर्मचारियों से संहिता के अनुपालन का वचन लिया गया है।

निदेशक उत्तरदायित्व विवरण

1. महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया;
2. उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन किया गया और उनका निरंतर अनुपालन किया गया तथा ऐसे अधिनिर्णय लिए गए और अनुमान लगाए गए, जो औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण थे, 31 मार्च, 2016 की समाप्ति पर कंपनी के सही एवं उचित कार्यकलापों तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के आय एवं व्यय विवरण की सही एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत की जा सकें;
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के प्रबंधन का उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया; और
4. वार्षिक लेखों को सतत् आधार पर तैयार किया गया है।
5. कंपनी द्वारा उचित आंतरिक नियंत्रणों का पालन किया गया और ऐसे आंतरिक नियंत्रण प्रभावकारी और उपयुक्त साबित हुए;
6. सभी लागू विधियों और उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई है और ये प्रणालियां पर्याप्त थी और असरदार ढंग से काम कर रही थी।

सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के अनुसरण में निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स आशु गुप्ता एंड कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव, नई दिल्ली को नियुक्त किया है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति **अनुबंध–च** के रूप में संलग्न है।

आभार

आपके निदेशक भारत सरकार विशेषकर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ ट्रांसफार्मेशन ऑफ इंडिया (नीति आयोग), सार्वजनिक उद्यम विभाग, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षक, राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्डों, वितरण कंपनियों, राज्य नोडल एजेंसियों से प्राप्त सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

आपके निदेशक सेकी को परियोजना प्रबंधन परामर्श के अंतर्गत अपने ग्रिड कनेक्टिड सौर बिजली परियोजनाओं की स्थापना करने से संबंधित कार्य प्रदान करने में सभी ग्राहकों और हितधारकों द्वारा दिखाएं गए भरोसे और विश्वास के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। हम इसकी भूरि–भूरि सराहना करते हैं।

हमारे कुछ सम्मानित ग्राहकों में कोल इंडिया लिमिटेड, इरेडा, टीएचडीसी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और आयुध निर्माणी फैक्टरी बोर्ड शामिल हैं।

आपके निदेशक विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा कंपनी पर दिखाए गए विश्वास के लिए भी उनका धन्यवाद करते हैं।

हम कर्मचारियों द्वारा कंपनी की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हरेक स्तर पर दिए गए उनके योगदान और अथक प्रयासों की भी प्रशंसा करते हैं।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह0/–

(उपेन्द्र त्रिपाठी)

अध्यक्ष

डीआईएन नं. 02942700

अनुबंध–क

एल0 डी0 सराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

101–104, बसंत कॉम्पलेक्स,
38, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली–110092
दूरभाष: 22424482, 22500529
ईमेल: ldsaraogi@gmail.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यगण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और विशिष्ट लेखाकरण नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण देने वाली सूचना का सार शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। यह वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 में विहित लेखाकरण मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और रोकड़ प्रवाह की सत्य और सटीक स्थिति दर्शाती है। इस उत्तरदायित्व में शामिल है– कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए और कपट एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनको पकड़ने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकॉर्डों का अनुरक्षण, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय लेना एवं आकलन तैयार करना और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना और उनको बनाए रखना जो सत्य एवं सटीक स्थिति दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखाकरण रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली ढंग से विद्यमान रहे हैं और सारभूत गलतबयानी –कपट अथवा भूलवश– से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमने इस अधिनियम के उपबंधों, इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले लेखाकरण एवं लेखापरीक्षण मानकों और मामलों को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखापरीक्षा हेतु तय मानकों के अनुरूप अपनी लेखापरीक्षा संपन्न की है। इन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम नैतिक वांछनीयताओं का पालन करें और लेखापरीक्षा की योजना तैयार कर उसका इस प्रकार निष्पादन करें ताकि यह तर्कसंगत आश्वासन सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सारभूत गलतबयानी से मुक्त हों।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दर्शाई जाने वाली राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को संपन्न करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक की समझ पर निर्भर करती है, जिसमें कपट अथवा त्रुटि किसी भी कारण से वित्तीय विवरणों में पाई जाने वाली सारभूत गलतबयानी के जोखिम का आकलन भी शामिल है। इन जोखिमों का आकलन करते समय लेखापरीक्षक परिस्थिति विशेष में उपयुक्त पाए जाने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के प्रयोजन से सत्य और सटीक स्थिति दर्शाने वाली वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु कंपनी के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है। लेखापरीक्षा के अंतर्गत, प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखाकरण आकलनों की युक्तिसंगतता और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा यह विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त एवं उचित हैं।

एल0 डी0 सराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

101–104, बसंत कॉम्पलेक्स,
38, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली–110092
दूरभाष: 22424482, 22500529
ईमेल: ldsaraogi@gmail.com

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण इस अधिनियम में यथापेक्षित सूचना यथापेक्षित रीति के अनुसार प्रदान करती हैं तथा 31 मार्च, 2016 की स्थिति को कंपनी की कार्यप्रणाली और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभों और नकदी प्रवाहों के बारे में भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और सटीक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।

मामलों पर बल

हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:–

i) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखाकरण नीति संख्या 1.9.2 जो उन विहित धन–राशियों के लेखाकरण विवेचन का वर्णन करती है, जो भुगतान सुरक्षा निधि को सीधे क्रेडिट एवं डेबिट की जाती हैं।

ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 25.19 जो 4,80,16,000/– रुपए की सौर ऊर्जा के विक्रय के विरुद्ध उगाही से संबंधित अनिश्चितता का वर्णन करती है। यह राशि राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल) के पास अभी भी लंबित है।

iii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 25.20, जो कंपनी के विचाराधीन 2000 मेगावाट योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा विकासकों में से एक की राजस्व मान्यता से संबंधित अनिश्चितता का वर्णन करती है।

iv) कंपनी के निदेशक मंडल और लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने तथा स्वतंत्र निदेशकों वाली मानदेय समिति के गठन के लंबित होने तक वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान वेतन एवं अनुग्रह राशि से संबंधित निष्पादन उपबंध के बारे में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 25.21.

v) विभिन्न बकायों के बारे में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 25.25 जो समाशोधन/पुष्टि और संबंधित अनुवर्ती समायोजनों के अधीन है।

vi) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 09 नबंवर, 2015 से कंपनी के धारा 8 से धारा 3 में तब्दीली के बारे में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 25.27, जो कंपनी की वाणिज्यिक प्रकृति में 01 अप्रैल, 2015 से ऑपरेशनों में परिवर्तन होने का वर्णन करती है।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य मामले

i) 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई थी, जिसकी 25 जून, 2015 तारीख वाली रिपोर्ट इन विवरणों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संयुक्त रूप से नियंत्रित 4 कंपनियों का वित्तीय विवरण/सूचना शामिल है, जिनकी वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2016 को 84,03,83,834/–रुपये की निवल संपत्ति में कंपनी के शेयर को प्रतिबिंबित करती है। संयुक्त रूप से नियंत्रित इन कंपनियों की वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखापरीक्षा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें सौंपी गई है, और संयुक्त रूप से नियंत्रित इन कंपनियों के बारे में शामिल की गई राशियों और प्रकटनों से संबंधित हमारी राय, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के उपर्युक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर पूर्णतः आधारित है।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अर्थों में भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) की अपेक्षाओं के अनुसार, हम उक्त आदेश, लागू सीमा तक, के पैराग्राफ 3 और 4 में विहित मामलों पर 'अनुबंध–क में विवरण देते हैं।

एल0 डी0 सराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

101–104, बसंत कॉम्पलेक्स,
38, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली–110092
दूरभाष: 22424482, 22500529
ईमेल: ldsaraogi@gmail.com

2. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी की ऐसी बहियों और रिकॉर्डों की जांचों के आधार पर, जिन्हें हम उपयुक्त मानते हैं और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर 'अनुबंध–ख' में विवरण देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट देते हैं कि:–

क) हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, जहां तक इन बहियों की जांच से हमें प्रतीत होता है, कंपनी ने विधि के अनुसार अपेक्षित लेखा बहियां अनुरक्षित कर रखी हैं।

ग) इस रिपोर्ट में दिया गया कंपनी का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली 2015 के नियम 3 के अंतर्गत विहित लेखाकरण मानकों का अनुपालन करती हैं।

ड.) सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा (2) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनगत प्रभावशीलता के बारे में "अनुबंध–ग" में दी गई हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें, और

छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुरूप, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के बारे में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार;

i) कंपनी के विरुद्ध ऐसा कोई वाद लंबित नहीं है, जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता हो;

ii) 31 मार्च, 2016 की स्थिति को कंपनी ने ऐसी दीर्घावधि संविदा नहीं की है, जिससे कोई सारवान् दूरदर्शी हानि होती हो। जैसा हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने कोई व्युत्पन्न संविदा नहीं की है;

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में कोई राशि जमा करवाना आवश्यक नहीं था;

कृते एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 005524एन
ह0/–
(जितेन्द्र साराओगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 502337

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2016

एल0 डी0 सराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

101–104, बसंत कॉम्पलेक्स,
38, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली–110092
दूरभाष: 22424482, 22500529
ईमेल: ldsaraogi@gmail.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–क

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यगणों को संबोधित हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संदर्भित अनुबंध

लेखापरीक्षा के अनुक्रम में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा लेखा बहियों और हमारे द्वारा जांचे गए अन्य रिकॉर्डों को ध्यान में रखते हुए और हमारे द्वारा संपन्न की गई विभिन्न लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट देते हैं:–

(i) क) सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) ने परिमाणात्मक ब्यौरे और कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियों की दशा सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उपयुक्त रिकॉर्ड का सामान्यतः अनुरक्षण कर रखा है।

ख) सभी स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए वार्षिक कार्यक्रम भी बनाया गया है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए तर्कसंगत है। ऐसे सत्यापनों में कोई सारवान् त्रुटि नहीं पाई गई है।

ग) स्थायी संपत्ति के हक विलेख ग्राम बड़ी सिद, तहसील–बप, जोधपुर, राजस्थान स्थित पट्टे वाली भूमि है, जो कंपनी के नाम पर धारित है।

(ii) कंपनी ने कोई भौतिक मालसूची नहीं बनाई है, तद्नुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(ii) लागू नहीं होता है।

(iii) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 189 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में व्याप्त कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारियों अथवा अन्य पक्षकारों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है। तद्नुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(iii) लागू नहीं होता है।

(iv) हमारी राय में, कंपनी ने, अधिनियम की धारा 185 और 186 के उपबंधों के संदर्भ में कोई लोन अथवा गारंटी अथवा सिक्योरिटी नहीं दी है। संयुक्त उद्यम कंपनियों में किए गए निवेश के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 186 के उपबंधों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने, अधिनियम की धारा 73 से 76 के अर्थों में अथवा अधिनियम और उसके अधीन विरचित नियमावली के अन्य उपबंधों के अंतर्गत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

(vi) केंद्र सरकार द्वारा कंपनी के लिए अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्ड का अनुरक्षण विहित नहीं किया गया है।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी, उपयुक्त प्राधिकरणों को भविष्य निधि, आयकर, विक्रय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक देयों सहित निर्विवादित वैधानिक देयों को जमा कराने में सामान्यतः नियमित रही है।

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, भविष्य निधि, आयकर, विक्रय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य वैधानिक देयों के संबंध में 31 मार्च, 2016 की स्थिति को, कोई निर्विवादित वैधानिक राशि, उसके देय होने की तारीख से छह माह से ज्यादा अवधि के लिए, एरियर के रूप में देय नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, आयकर अथवा विक्रय कर अथवा सेवा कर अथवा सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित करों के संबंध में कोई सारवान् राशि देय नहीं थी, जो किसी विवाद के कारण उपयुक्त प्राधिकारियों को जमा नहीं कराई जा सकी हो।

(viii) कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, सरकार से कोई लोन अथवा उधार नहीं लिया है अथवा डिबेंचरधारकों को इसकी ओर से कोई देय नहीं है। हमारी राय में, कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक को आवधिक ऋण के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ix) हमारी राय में, कंपनी द्वारा लिया गया आवधिक ऋण उस प्रयोजन से इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए यह लिया गया था। कंपनी ने, वर्ष के दौरान, आरंभिक सार्वजनिक ऑफर अथवा अन्य सार्वजनिक ऑफर (ऋण लिखतों सहित) के द्वारा कोई धन इकट्ठा नहीं किया है।

एल0 डी0 सराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

101–104, बसंत कॉम्पलेक्स,
38, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली–110092
दूरभाष: 22424482, 22500529
ईमेल: ldsaraogi@gmail.com

(x) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के खिलाफ इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई सारवान् कपट नहीं पाया गया है या ध्यान में नहीं आया है।

(xi) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों पर अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती। तद्नसुार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xi) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xii) हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तद्नसुार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xii) लागू नहीं होता।

(xiii) हमारी राय में, संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए लेनदेन, यद्यपि, अधिनियम की धारा 188 के अनुपालन में और लागू सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए थे, अधिनियम की धारा 177 के अनुपालन में नहीं हैं क्योंकि ऐसे लेनदेनों को लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है :

संबद्ध पक्षकार संबंधों की प्रकृति और किया गया लेनदेन	**इसमें शामिल राशि (रुपये)**
क) नवीन एव नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय योजना के अंतर्गत संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों को जारी की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता	**2,60,73,30,000/–**
ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रबंधकीय मानदेय	**1,56,43,375/–**

ऐसे लेनदेनों का ब्यौरा, लागू लेखाकरण मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) समीक्षाधीन अवधि में, कंपनी ने शेयरों अथवा पूर्णतः या अंशत परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आवंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया है।

(xv) कंपनी ने इससे जुड़े हुए निदेशकों अथवा व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है। तद्नुसार, आदेश को पैराग्राफ 3(xv) लागू नहीं होता है।

(xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1ए के अंतर्गत कंपनी को पंजीकृत करवाना अपेक्षित नहीं है।

कृते एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 005524एन
ह0/–
(जितेन्द्र साराओगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 502337

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2016

एल0 डी0 सराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

101–104, बसंत कॉम्पलेक्स,
38, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली–110092
दूरभाषः 22424482, 22500529
ईमेलः ldsaraogi@gmail.com

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों/~~उप दिशानिर्देशों~~ के अनुसार, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआईएनः यू40106डीएल2011जीओआई225263) के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने सभी दिशानिर्देशों/~~उप दिशानिर्देशों~~ का अनुपालन किया है।

कृते एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 005524एन
ह0/–
(जितेन्द्र साराओगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 502337

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2016

एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

101–104, बसंत कॉम्पलेक्स,
38, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली–110092
दूरभाष: 22424482, 22500529
ईमेल: ldsaraogi@gmail.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–ख

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यगणों को संबोधित हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में संदर्भित अनुबंध

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए जारी दिशानिर्देशों पर रिपोर्ट

क्रमांक	दिशानिर्देश	उस पर की गई कार्रवाई	कंपनी के लेखों और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के लिए क्रमशः स्पष्ट हक/लीज विलेख हैं? यदि नहीं, तो कृपया उस फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्रफल बताएं जिसके हक/लीज विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	कंपनी के पास संपूर्ण लीजहोल्ड जमीन के लिए हक/लीज विलेख हैं।	शून्य
2	क्या ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है। यदि हां, तो उसके कारण और उसकी राशि।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऋण/लोन/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।	शून्य
3	क्या तृतीय पक्षकार के पास पड़ी मालसूची के अनुरक्षण और सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से दान/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के लिए उपयुक्त रिकॉर्डों का अनुरक्षण किया जा रहा है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तृतीय पक्षकार के पास कोई मालसूची पड़ी हुई नहीं है और कंपनी ने सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से कोई परिसंपत्ति दान/अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं की है।	शून्य

कृते एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 005524एन

ह0/–
(जितेन्द्र साराओगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 502337

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2016

एल0 डी0 सराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

101–104, बसंत कॉम्पलेक्स,
38, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली–110092
दूरभाषः 22424482, 22500529
ईमेलः ldsaraogi@gmail.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ग"

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यगणों को संबोधित हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में संदर्भित अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा (3) के खंड (झ) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर मौजूद आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन से लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी ('मार्गदर्शी टिप्पणी') में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, कपट और त्रुटियों का निवारण एवं उनको पकड़ना, लेखाकरण रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता, और अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी सहित इसके कारोबार का व्यवस्थित और दक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली रूप से कार्यरत पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा बनाना, कार्यान्वयन करना, और उन्हें बनाए रखना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर मौजूद कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना है। आईसीएआई द्वारा लेखांकन पर जारी मानकों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित समझे गए मानकों, यथा लागू सीमा तक, और आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन किया है। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी की यह अपेक्षा है कि हम नैतिक वांछनीयताओं का पालन करें और इस बात का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए अपनी लेखापरीक्षा की रूपरेखा तैयार करें और लेखापरीक्षा संपादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित थे और क्या ऐसे नियंत्रण समस्त सारवान पहलुओं में प्रभावी रहे।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन संबंधी प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, निष्पादक प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, मौजूद कमजोरी के किसी जोखिम का आकलन, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और प्रचालन संबंधी प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षक के विवेक पर आधारित हैं, जिसमें कपट अथवा गलती के कारण वित्तीय विवरणों में सारवान गलतबयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वो कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर मौजूद आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रकिया है, जिन्हें सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आंतरिक प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता है। एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो (1) रिकॉर्डों के अनुरक्षण से संबंधित हों और, तर्कसंगत ब्यौरे में, कंपनी के लेनदेनों और परिसंपत्तियों के व्ययों को शुद्धता और ऋजुता के साथ प्रतिबिम्बित करती हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान

एल0 डी0 सराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

101–104, बसंत कॉम्पलेक्स,
38, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली–110092
दूरभाषः 22424482, 22500529
ईमेलः ldsaraogi@gmail.com

करती हैं कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेनों को जरुरी होने के कारण दर्ज किया गया है, और कि कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) वित्तीय विवरणों पर सारवान् प्रभाव डालने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, इस्तेमाल, अथवा व्ययन के निवारण अथवा समय पर इनको पकड़ने के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन देती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर मौजूद आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

दुरभिसंधि अथवा नियंत्रणों के अनुपयुक्त प्रबंधकीय उल्लंघन की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर मौजूद आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, त्रुटि या कपट के कारण ऐसी सारवान् गलतबयानी हो सकती है, जिसे पकडा ना जा सके। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपौंटिग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर मौजूद आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, दशाओं में परिवर्तन होने के कारण अपर्याप्त भी हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री की स्थिति खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कंपनी में, सभी सारवान पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2016 की स्थिति को प्रभावशाली तरीके से कार्यरत थे।

कृते एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 005524एन

ह0/–
(जितेन्द्र साराओगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 502337

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2016

एल0 डी0 सराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

101–104, बसंत कॉम्पलेक्स,
38, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली–110092
दूरभाष: 22424482, 22500529
ईमेल: ldsaraogi@gmail.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एतद्पश्चात् "कंपनी" के रूप में निर्देशित) और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों (कंपनी और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों को "समूह" के रूप में निर्देशित किया गया है) की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2016 की स्थिति को समेकित तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण, समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण और विशिष्ट लेखाकरण नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण देने वाली सूचना का सार शामिल (एतद्पश्चात् "समेकित वित्तीय विवरणों" के रूप में निर्देशित) है।

समेकित वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (एतद्पश्चात् "अधिनियम" के रूप में निर्देर्शित) की अपेक्षाओं के अनुसार अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 में विहित लेखाकरण मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित रोकड़ प्रवाहों की सत्य और सटीक स्थिति दर्शाने वाली समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। कंपनी और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, समूह की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए और कपट एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनको पकड़ने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकॉर्डों का अनुरक्षण, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय लेना एवं आकलन तैयार करना और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा, उनका कार्यान्वयन और उनको बनाए रखना,जो सत्य एवं सटीक स्थिति दर्शाने वाली वित्तीय विवरणों को तैयार करने और सटीक प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखाकरण रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावीशाली ढंग से विद्यमान रहे हैं और सारभूत गलतबयानी – कपट अथवा भूलवश – से मुक्त हैं, के लिए उत्तरदायी है, और इनका उपर्युक्तानुसार इस्तेमाल, कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजनार्थ किया गया है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। लेखापरीक्षा करते समय, हमने इस अधिनियम के उपबंधों, इस अधिनियम के उपबंधों और उनके अधीन बनाई गई नियमावली के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले लेखाकरण एवं लेखापरीक्षण मानकों और मामलों को ध्यान में रखा है।

हमने, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखापरीक्षा हेतु तय मानकों के अनुरूप अपनी लेखापरीक्षा संपन्न की है। इन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम नैतिक वांछनीयताओं का पालन करें और लेखापरीक्षा की योजना तैयार कर, उसका इस प्रकार निष्पादन करें ताकि यह तर्कसंगत आश्वासन सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरणियां सारभूत गलतबयानी से मुक्त हों।

लेखापरीक्षा में, समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाई जाने वाली राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को संपन्न करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षक की समझ पर निर्भर करती हैं, जिसमें कपट अथवा त्रुटि किसी भी कारण से समेकित वित्तीय विवरणों में पाई जाने वाली सारभूत गलतबयानी के जोखिम का आकलन भी शामिल है। इन जोखिमों का आकलन करते समय लेखापरीक्षक परिस्थिति विशेष में उपयुक्त पाए जाने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के प्रयोजन से सत्य और सटीक स्थिति दर्शाने वाली समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु कंपनी के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है। लेखापरीक्षा के अंतर्गत, प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखाकरण आकलनों की युक्तिसंगतता और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा यह विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामलों वाले पैराग्राफ के उप–पैराग्राफ

एल0 डी0 सराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

101–104, बसंत कॉम्पलेक्स,
38, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली–110092
दूरभाष: 22424482, 22500529
ईमेल: ldsaraogi@gmail.com

(क) में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के अर्थों में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, इन समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी अर्हक लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त एवं उचित हैं।

अर्हक राय हेतु आधार

i) रिन्यूबल पावर कारपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में से एक, की समेकित वित्तीय विवरणों के असमेकन के बारे में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 1.2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, क्योंकि संयुक्त रूप से नियंत्रित उक्त कंपनी का प्रथम लेखाकरण 15 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए होगा। हमारी राय में, उपर्युक्त असमेकन लेखाकरण मानक–27, संयुक्त उद्यम में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग के उपबंधों के अनुरूप नहीं है। समेकित वित्तीय विवरणों के मानक के साथ उपर्युक्त असमेकन का परिणाम प्रभाव अभी सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

ii) आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में से एक, को एनआरईडीसीएपी से वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए माह अप्रैल, 2016 में एन0 पी0 कुंता मंडल, अनंतपुरमु जिला, आंध्र प्रदेश में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना करने के लिए पट्टे पर ली गई 4,427.59 एकड़ सरकारी जमीन के पट्टा किराए के लिए 7.07 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ है। संयुक्त रूप से नियंत्रित उक्त कंपनी ने उपर्युक्त देय पट्टा किराए के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की है। संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एनटीपीसी के साथ 16 सितंबर, 2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और उक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार, सौर परियोजना लगाने के लिए भूमि नाममात्र के पट्टा किराए पर प्रदान की जाएगी। संयुक्त रूप से नियंत्रित उक्त कंपनी 1/– रुपए प्रति एकड़ का नाममात्र पट्टा किराया लेने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध कर रही है। अनिश्चितता होने के कारण, देय पट्टा किराया के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इससे प्रगति में कार्य में 7.07 करोड़ रुपए कम आकलित किए गए हैं और वर्तमान दायित्व और उपबंध 7.07 करोड़ रुपए कम हो गए हैं।

iii) आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में से एक, ने सकुनाला एवं गनी गांव, जिला कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना करने के लिए पट्टे पर ली गई 4,897.19 एकड़ सरकारी जमीन के वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु पट्टा किराए के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। सूचना के अभाव में, इस परियोजना के लिए पट्टा किराया की राशि निर्धारित नहीं की जा सकी, इसलिए, वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव की पहचान नहीं की जा सकी।

अर्हक राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, अर्हक राय हेतु आधार वाले पैराग्राफ में उल्लिखित मामले के प्रभावों के सिवाय, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण इस अधिनियम में यथापेक्षित सूचना, यथापेक्षित रीति के अनुसार प्रदान करती हैं तथा 31 मार्च, 2016 की स्थिति को समूह की समेकित कार्यप्रणाली और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके समेकित लाभों और समेकित नकदी प्रवाहों का भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और सटीक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।

मामलों पर बल

हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों के निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

i) समेकित वित्तीय विवरणों की लेखाकरण नीति संख्या 1.11.2 जो भुगतान सुरक्षा निधि को सीधे क्रेडिट एवं डेबिट की जाने वाली विहित धन–राशियों के लेखाकरण विवेचन का वर्णन करती है,

ii) समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 26.19 जो 4,80,16,000/– रुपए की सौर ऊर्जा के विक्रय के विरुद्ध उगाही से संबंधित अनिश्चितता का वर्णन करती है। यह राशि राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल) के पास अभी भी लंबित है।

iii) समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 26.20 जो कंपनी के समक्ष अभी भी विचारार्थ लंबित 2000 मेगावाट योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा विकासकों

एल0 डी0 सराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

101–104, बसंत कॉम्पलेक्स,
38, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली–110092
दूरभाष: 22424482, 22500529
ईमेल: ldsaraogi@gmail.com

में से एक की राजस्व मान्यता से संबंधित अनिश्चितता का वर्णन करती है।

iv) कंपनी के निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने तथा स्वतंत्र निदेशकों वाली मानदेय समिति के गठन के लंबित होने तक वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान वेतन एवं अनुग्रह राशि से संबंधित निष्पादन उपबंध के बारे में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 26.21 ।

v) विभिन्न बकायों के बारे में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 26.25 जो समाशोधन/पुष्टि और संबंधित अनुवर्ती समायोजनों के अधीन है।

vi) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 09 नबंवर, 2015 से कंपनी के धारा 8 से धारा 3 में तब्दीली के बारे में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 26.27, जो कंपनी की वाणिज्यिक प्रकृति में 01 अप्रैल, 2015 से ऑपरेशनों में हुए परिवर्तन होने का वर्णन करती है।

vii) समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 26.28, जो आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, संयुक्त रूप से नियंत्रित एक कंपनी से संबंधित है। जैसा संबंधित लेखापरीक्षक को संयुक्त रूप से नियंत्रित उक्त कंपनी के प्रबंधन द्वारा बताया गया है, इसने वर्ष के दौरान, अपने वाणिज्यिक ऑपरेशनों की शुरुआत नहीं की है और वर्ष के दौरान किए गए सभी खर्च पूंजीकृत कर दिए गए हैं और चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और ये खर्च परियोजना की शुरुआत पर अर्जित होने वाली बड़ी परिसंपत्तियों पर आबंटित किए जाएंगे इसलिए, कंपनी ने अधिनियम की धारा 129(2) के साथ पठित धारा 2(40) के अनुसरण में लाभ एवं हानि विवरण तैयार किया है।

viii) सरकारी अनुदानों/सहायता, जो शेयरधारक की निधियों के अंतर्गत अलग रेखीय मद के रूप में प्रकट करने के लिए अचल परिसंपत्तियों में कटौती के रूप में परिवर्तित हुई है, के उपयोग के बारे में आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, संयुक्त रूप से नियंत्रित एक कंपनी की लेखाकरण नीति के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 26.29। वर्ष के अंत तक वाणिज्यिक ऑपरेशनों की शुरुआत न होने के कारण, वित्तीय विवरणों पर इनका प्रभाव शून्य है। लेखाकरण नीति में इस परिवर्तन का परिणाम, सरकारी अनुदानों के स्थान पर पूर्ण मूल्य पर अचल परिसंपत्तियों का प्रकटन होगा।

ix) समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 26.28, जो लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, संयुक्त रूप से नियंत्रित एक कंपनी, से संबंधित है। इस कंपनी ने वर्ष के दौरान, अपने वाणिज्यिक ऑपरेशनों की शुरुआत नहीं की है और वर्ष के दौरान किए गए सभी खर्च पूंजीकृत कर दिए गए हैं और चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और ये खर्च परियोजना की शुरुआत पर अर्जित होने वाली बड़ी परिसंपत्तियों पर आबंटित किए जाएंगे इसलिए, कंपनी ने अधिनियम की धारा 129(2) के साथ पठित धारा 2(40) के अनुसरण में लाभ एवं हानि विवरण तैयार नहीं किए हैं।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य मामले

1) हमने, संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों की वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/सूचना 31 मार्च, 2016 को परिसंपत्तियों, और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व और निवल नकदी प्रवाहों के नीचे दिए गए ब्यौरे को उस सीमा तक परिलक्षित करती है, जिस तक ये समेकित वित्तीय विवरणों में परिलक्षित होता है:–

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी का नाम	परिसंपत्ति	कुल राजस्व	निवल नकदी प्रवाह
1) लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	10,93,73,754	–	21,70,29,408
2) रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	19,79,53,944	–	39,30,62,140
3) आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	1,08,06,20,817	–	(5,06,31,508)
4) कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	51,45,21,181	–	71,77,71,857
कुल	**1,90,24,69,696**	**–**	**1,27,72,31,897**

एल0 डी0 सराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

101–104, बसंत कॉम्पलेक्स,
38, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली–110092
दूरभाष: 22424482, 22500529
ईमेल: ldsaraogi@gmail.com

इन वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमें सौंपी है और जहां तक संयुक्त रूप से नियंत्रित इन कंपनियों के बारे में शामिल राशि एवं प्रकटनों का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में और संयुक्त रूप से नियंत्रित उपर्युक्त कंपनियों के बारे में अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, पूर्णतः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई विधिक एवं अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य के बारे में हमारे विश्वास और उपर्युक्त मामलों के बारे में अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के संबंध में परिवर्तित नहीं हुई है।

2) यद्यपि, कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, संयुक्त रूप से नियंत्रित एक कंपनी, वैधानिक देयों को जमा कराने में सामान्यतः नियमित रही है पर इसने 31 मार्च, 2016 की स्थिति को स्रोत पर कटौती की गई आयकर राशि 1,89,99,592/–रुपए जमा नहीं की है और संबंधित लेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अंतर्गत दी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 29 जून, 2016 में जैसा उल्लिखित है, यह राशि बाद में दिनांक 08 जुलाई, 2016 को जमा करवा दी गई है।

इन मामले के बारे में हमारी राय में परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट देते हैं कि:–

क. हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ख. हमारी राय में, जहां तक इन बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों से प्रतीत होता है, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित विधि की अपेक्षा के अनुसार उपयुक्त लेखा बहियां अनुरक्षित की गई हैं।

ग. इस रिपोर्ट में दिया गया समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित संगत लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

घ. अर्हक राय आधार पैराग्राफ के पैरा (झ) में वर्णित मामलों के प्रभावों के सिवाय, हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 के अंतर्गत विहित लेखाकरण मानकों का अनुपालन करती हैं।

ङ. सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा (2) के उपबंध कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों पर लागू नहीं होते।

च. समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर मौजूद आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनगत प्रभावशीलता के बारे में, "अनुलग्नक–क" में दी गई हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें, और

छ. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम–11 के अनुरूप, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:–

i) कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के विरुद्ध ऐसा कोई वाद लंबित नहीं है, जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता हो।

एल0 डी0 सराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

101–104, बसंत कॉम्पलेक्स,
38, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली–110092
दूरभाष: 22424482, 22500529
ईमेल: ldsaraogi@gmail.com

ii) 31 मार्च, 2016 की स्थिति को, कंपनी ने ऐसी दीर्घकालिक संविदा नहीं की है, जिससे कोई सारवान् दूरदर्शी हानि होती हो। हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने कोई व्युत्पन्न संविदा नहीं की है। इसके अलावा, इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों ने व्युत्पन्न संविदा सहित कोई दीर्घकालिक संविदाएं नहीं की हैं, जिससे कोई सारवान् दूरदर्शी हानि होती हो।

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में कोई राशि जमा करवाना आवश्यक नहीं था।

कृते एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 005524एन

ह0/–
(जितेन्द्र साराओगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 502337

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2016

एल0 डी0 सराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

101–104, बसंत कॉम्पलेक्स,
38, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली–110092
दूरभाष: 22424482, 22500529
ईमेल: ldsaraogi@gmail.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "क"

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यगणों को संबोधित हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

31 मार्च 2016 को समाप्त तारीख एवं वर्ष तक, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन से, हमने कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर मौजूद आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है। ये कंपनियां उसी तारीख को भारत में निगमित कंपनियां (कंपनी और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां सामूहिक रूप से "समूह" के रूप में निर्देशित हैं) हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी कंपनियों, ये कंपनियां भारत में निगमित कंपनी हैं, का संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी ('मार्गदर्शी टिप्पणी') में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, संबंधित कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, कपट और त्रुटियों का निवारण एवं उनको पकड़ना, लेखाकरण रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता, और अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी सहित इसके कारोबार का व्यवस्थित और दक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली रूप से कार्यरत पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा बनाना, कार्यान्वयन करना, और उन्हें बनाए रखना, शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर मौजूद, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना है। आईसीएआई द्वारा लेखांकन पर जारी मानकों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित समझे गए मानकों, यथा लागू सीमा तक, और आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन किया है। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी की यह अपेक्षा है कि हम नैतिक वांछनीयताओं का पालन करें और इस बात का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए अपनी लेखापरीक्षा की रूपरेखा तैयार करें और लेखापरीक्षा संपादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित थे और ऐसे नियंत्रण समस्त सारवान् पहलुओं में प्रभावी रहे।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन संबंधी प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, निष्पादक प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, मौजूद कमजोरी के किसी जोखिम का आकलन, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और प्रचालनगत प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षक के विवेक पर आधारित हैं, जिसमें कपट अथवा गलती के कारण वित्तीय विवरणों में सारवान गलतबयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है और नीचे दिए गए अन्य मामलों वाले पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के अनुसार अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर मौजूद आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर मौजूद आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रकिया है, जिन्हें सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आंतरिक प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता है।

एल0 डी0 सराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

101–104, बसंत कॉम्पलेक्स,
38, वीर सावरकर ब्लॉक,
शकरपुर, दिल्ली–110092
दूरभाष: 22424482, 22500529
ईमेल: ldsaraogi@gmail.com

एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो (1) रिकॉर्डों के अनुरक्षण से संबंधित हों और, तर्कसंगत ब्यौरे में, कंपनी के लेनदेनों और परिसंपत्तियों के व्ययों को शुद्धता और ऋजुता के साथ प्रतिबिम्बित करती हों (2) यह युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेनों को जरुरी होने के कारण दर्ज किया गया है, और कि कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) वित्तीय विवरणों पर सारवान् प्रभाव डालने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, इस्तेमाल, अथवा व्ययन के निवारण अथवा समय पर इनको पकड़ने के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन देती हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर मौजूद आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

दुरभिसंधि अथवा नियंत्रणों के अनुपयुक्त प्रबंधकीय उल्लंघन की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर मौजूद आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, त्रुटि या कपट के कारण ऐसी सारवान् गलतबयानी हो सकती है, जिसे पकड़ा ना जा सके। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिर्पोटिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर मौजूद आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, दशाओं में परिवर्तन होने के कारण, अपर्याप्त भी हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री की स्थिति खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, का सभी सारवान् पहलुओं में रिपोर्टिंग मापदंड के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद है और आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड के ऊपर स्थापित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2016 की स्थिति को प्रभावशाली तरीके से कार्यरत थे।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर मौजूद आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनगत प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(झ) के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित चार कंपनियों से संबंधित है, भारत में निगमित इन कंपनियों के लेखापरीक्षकों की संगत रिपोर्टों पर आधारित है।

कृते एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 005524एन

ह0/–
(जितेन्द्र साराओगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 502337

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2016

अनुबंध–क1

समेकित वित्तीय विवरणों पर सांवधिक लेखापरीक्षकों की अर्हक राय पर प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षकों की अर्हक राय	प्रबंधन का उत्तर
1	रिन्यूबल पावर कारपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड , संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में से एक, की समेकित वित्तीय विवरणों के असमेकन के बारे में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 1.2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, क्योंकि संयुक्त रूप से नियंत्रित उक्त कंपनी का प्रथम लेखाकरण 15 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए होगा। हमारी राय में, उपर्युक्त असमेकन लेखाकरण मानक–27, संयुक्त उद्यम में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग के उपबंधों के अनुरूप नहीं है। समेकित वित्तीय विवरणों के मानक के साथ उपर्युक्त असमेकन का परिणाम प्रभाव अभी सुनिश्चित नहीं किया जा सका।	रिन्यूबल पावर कारपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड के निदेशक मंडल की दिनांक 03.02.2016 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष की अवधि, प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च की समाप्ति तक अनुमोदित की गई है। निदेशक मंडल द्वारा रिन्यूबल पावर कारपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड हेतु प्रथम वित्तीय वर्ष अवधि 15 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक भी अनुमोदित की गई है।
2	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में से एक, को एनआरईडीसीएपी से वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए माह अप्रैल, 2016 में एन0 पी0 कुंता मंडल, अनंतपुरम जिला, आंध्र प्रदेश में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना करने के लिए पट्टे पर ली गई 4,427.59 एकड़ सरकारी जमीन के पट्टा किराए के लिए 7.07 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ है। संयुक्त रूप से नियंत्रित उक्त कंपनी ने उपर्युक्त देय पट्टा किराए के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की है। संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एनटीपीसी के साथ 16 सितंबर, 2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और उक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार, सौर परियोजना लगाने के लिए भूमि नाममात्र के पट्टा किराए पर प्रदान की जाएगी। संयुक्त रूप से नियंत्रित उक्त कंपनी 1/– रुपए प्रति एकड़ का नाममात्र पट्टा किराया लेने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध कर रही है। अनिश्चितता होने के कारण, देय पट्टा किराया के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इससे प्रगति में कार्य में 7.07 करोड़ रुपए कम आकलित किए गए हैं और वर्तमान दायित्व और उपबंध 7.07 करोड़ रुपए कम हो गए हैं।	दिनांक 16.09.2014 को आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा एनटीपीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए तथा समझौता ज्ञापन के अनुसार, सौर परियोजना की स्थापना के लिए भूमि नाममात्र पट्टे किराए पर उपलब्ध करायी जाएगी। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक नाममात्र पट्टे किराए का निर्धारण नहीं किया गया है। एपीएसपीसीएल ने आन्ध्र प्रदेश सरकार से 1/–रुपए प्रति एकड़ की दर से नाममात्र पट्टा किराया संग्रहित करने का अनुरोध किया है। आन्ध्र प्रदेश सरकार से निर्णय प्राप्त होने के बाद ही प्रगति में कार्य पर धनराशि प्रभारित की जा सकती है तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक लेखा प्रविष्टियां की जाएंगी।
3	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में से एक, ने सकुनाला एवं गनी गांव, जिला कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना करने के लिए पट्टे पर ली गई 4,897.19 एकड़ सरकारी जमीन के वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु पट्टा कराए के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। सूचना के अभाव में, इस परियोजना के लिए पट्टा किराया की राशि निर्धारित नहीं की जा सकी, इसलिए, वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव की पहचान नहीं की जा सकी।	आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने आवश्यक आदेश के द्वारा एनआरईडीसीएपी के माध्यम से भूमि सुपुर्द की है और तद्नुसार एनआरईडीसीएपी ने सौर पार्कों के विकास के लिए भूमि एपीएसपीसीएल को सौंपी गई। भूमि प्राप्ति की तिथि से कंपनी द्वारा राज्य सरकार को पट्टा किराया का भुगतान किया जाएगा। कंपनी ने राज्य सरकार से विकास स्तर पर पट्टा किराया माफ करने का अनुरोध किया है क्योंकि सौर पार्क विकसित होने की अवधि तक, कंपनी की प्रचालन एवं अनुरक्षण आय नहीं है। राज्य सरकार के लंबित अनुमोदन के कारण, कंपनी की लेखा बहियों में पट्टा किराए के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

अनुबंध–ख

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत लेखाकरण के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कार्य उनकी दिनांक 28 जुलाई, 2016 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अन्तर्गत सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा, वैधानिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से संपन्न की गई है और मोटे तौर पर वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की जांच और कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों के चयनित परीक्षण तक सीमित है। मेरे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण बात मेरे संज्ञान में नहीं आई है, जो कि वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने अथवा उसकी अनुपूर्ति करने के लिए जरुरी हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(नंदना मुंशी)
महानिदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा मंडल–3
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 सितंबर, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत लेखाकरण के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कार्य उनकी दिनांक 28 जुलाई, 2016 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ए) के अनुसार संपन्न की है। हमने, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संपन्न की है, परंतु उस तारीख को वर्ष के अंत के लिए अनुबंध–1 में सूचीबद्ध संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से संपन्न की गई है और मोटे तौर पर वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की जांच और कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों के चयनित परीक्षण तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात मेरे संज्ञान में नहीं आई है, जो कि वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने अथवा उसकी अनुपूर्ति करने के लिए जरुरी हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(नंदना मुंशी)
महानिदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा मंडल–3
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 सितंबर, 2016

अनुबंध–1

सोलर एनर्जी पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की संयुक्त रूप से नियंत्रित उन कंपनियों की सूची जिनकी वर्ष 2015–16 की वित्तीय विवरणियों की भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

क. भारत में निगमित संयुक्त उद्यम

1. आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
2. कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
3. लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
4. रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड

अनुबंध–ग

निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट

कंपनी, जेएनएनएसएम के अधीन निर्धारित सतत् एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विवेक, खुलेपन, न्यायपूर्ण, व्यावसायिक और उत्तरदायित्व पर आधारित सही निगमित अभिशासन पद्धतियां लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

1. निगमित अभिशासन की संहिता के बारे में कंपनी का सिद्धांत

कंपनी सही निगमित अभिशासन में दृढ विश्वास रखती है तथा उसके अनुसार आचरण भी करती है। कंपनी की नीतियों की झलक पारदर्शिता, व्यावसायिकता तथा उत्तरदायित्व के मूल्यों में दिखती है। कंपनी इन पहलुओं की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे वह अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, हितधारकों तथा समस्त समाज के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्यों का सृजन करती है।

सभी नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा कुशल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता और बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगी, ग्राहक अनुकूल और विकासोन्मुख संगठन बनने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. निदेशक मंडल

सेकी का निदेशक मंडल नेतृत्व प्रदान करने, नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करने, प्रबंधन के स्वतंत्र विषयगत निर्णय लेने और कंपनी पर नियंत्रण रखने के साथ शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी रहता है।

2.1 निदेशक मंडल की संरचना

सेकी के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशकों, जिनमें प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं, और गैर–कार्यकारी निदेशकों, जिनमें सरकार के नामिति शामिल हैं, का उपयुक्त मिश्रण है। इस रिपोर्ट की तारीख पर निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार हैः–

पूर्णकालिक कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक

1. डॉ0 अश्विनी कुमार, प्रबंध निदेशक
2. श्री राकेश कुमार, निदेशक (विद्युत प्रणाली)
3. श्री सी0 कन्नन, निदेशक (वित्त)
4. श्री राजीव भारद्वाज, निदेशक (मानव संसाधन)

अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिति)

1. श्री उपेन्द्र त्रिपाठी – सरकारी नामिति और अध्यक्ष
2. श्री तरुण कपूर – सरकारी नामिति (10/11/2011 – 17/08/2016)

कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय यानि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सेकी के निदेशक मंडल में अंश–कालिक गैर–सरकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति करने का अनुरोध किया है। प्रशासनिक मंत्रालय (एमएनआरई) इस पर विचार कर रहा है।

2.2 वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, निदेशक मंडल की पांच बैठकें आयोजित की गई, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः–

क्र. सं.	निदेशक मंडल की बैठक संख्या	निदेशक मंडल की बैठक की तारीख
1	निदेशक मंडल की 15वीं बैठक	25.06.2015
2	निदेशक मंडल की 16वीं बैठक	12.08.2015
3	निदेशक मंडल की 17वीं बैठक	05.10.2015
4	निदेशक मंडल की 18वीं बैठक	08.02.2016
5	निदेशक मंडल की 19वीं बैठक	30.03.2016

निदेशक मंडल को निगमित अभिशासन के लिए निर्धारित डीपीई के दिशानिर्देशों में निर्धारित सूचना सहित कंपनी के अंदर की सभी संगत सूचनाएं उपलब्ध हैं।

2.3 निदेशक मंडल की बैठकों और वार्षिक आम सभा में निदेशकों की उपस्थिति रिकॉर्ड और अन्य कंपनियों में निदेशक पद/समिति सदस्यता/अध्यक्ष पद की संख्या

वर्ष 2015–16 में आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों और 12 अगस्त, 2015 को आयोजित पिछली वार्षिक आम सभा में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति और अन्य निदेशक पद/समिति सदस्यता/अध्यक्ष पद की संख्या नीचे दी गई है:–

निदेशक का नाम और पदनाम	निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या		दूसरी कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	अन्य कंपनियों की समितियों की सदस्यता		पिछली एजीएम में उपस्थिति (12.08.2015)
	वर्ष के दौरान आयोजित (कार्यकाल के अनुसार)	उपस्थिति (कार्यकाल के अनुसार)		सदस्य	अध्यक्ष	
श्री उपेन्द्र त्रिपाठी, अध्यक्ष	5	5	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री तरुण कपूर, सरकारी नामिति निदेशक	5	3	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
डा0 अश्विनी कुमार, प्रबंध निदेशक	5	5	2	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री राकेश कुमार, निदेशक (पीएस)	5	5	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री सी0 कन्नन, निदेशक (वित्त)	5	5	3	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री राजीव भारद्वाज, निदेशक (एचआर)	5	5	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित

3. लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 177 के प्रावधानों और निगमित अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में सेकी ने 26.03.2013 को "लेखापरीक्षा समिति" नाम से एक समिति का गठन किया है।

3.1 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या

वर्ष 2015–16 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकें आयोजित की गई, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठक की संख्या	लेखापरीक्षा समिति की बैठक की तारीख
1	लेखापरीक्षा समिति की पांचवीं बैठक	25.06.2015
2	लेखापरीक्षा समिति की छठी बैठक	12.08.2015

3.2 लेखापरीक्षा समिति की संरचना और बैठकों, जिनमें लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों ने भाग लिया, का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1.	श्री उपेन्द्र त्रिपाठी	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री तरुण कपूर	निदेशक (सरकारी नामिति)	2	1
3.	श्री राकेश कुमार	कार्यात्मक निदेशक	2	2

निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षक और सांविधिक लेखापरीक्षक लेखपरीक्षा समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित व्यक्ति थे। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए गए थे।

4. आम सभा की बैठकें

सेकी की पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों का विवरण अर्थात् दिनांक, समय और स्थान निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	एजीएम	तारीख	समय	स्थान
2012-13	दूसरी	27.08.2013	1700 बजे	सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनबीसीसी प्लाजा, चतुर्थ तल, टॉवर–1, साकेत, नई दिल्ली–110017
2013-14	तीसरी	12.09.2014	1230 बजे	सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डी–3, विंग ए, प्रथम तल, रेलीगेयर बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली–110017
2014-15	चौथी	12.08.2015	1630 बजे	सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डी–3, विंग ए, प्रथम तल, रेलीगेयर बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली–110017

5. प्रकटन

(i) संबंधित पक्ष से संव्यवहार

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस) 18 द्वारा यथापेक्षित सबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहार का प्रकटीकरण कंपनी के वित्तीय विवरण की लेखाओं की टिप्पणी (टिप्पणी सं. 2.6) में किया गया है।

(ii) निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर–कार्यकारी निदेशकों का वर्ष के दौरान (अपने कार्यकाल के दौरान) बोर्ड/उप–समितियों की बैठकों में उपस्थित रहने का शुल्क ग्रहण करने के अलावा कंपनी के संव्यवहार से कोई आर्थिक सरोकार नहीं था। किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी के कोई शेयर/संपरिवर्तनीय लेखपत्र नहीं हैं।

(iii) अनुपालन नहीं करने के लिए कंपनी पर लगाए गए दंढ और उसके विरूद्ध निंदा प्रस्ताव

कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं करने अथवा किसी अन्य मामले में किसी सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर दंढ लगाने अथवा निंदा प्रस्ताव लाने की कोई घटना नहीं हुई।

(iv) लेखांकन पद्धति

कंपनी ने वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 में उल्लिखित मानकों का अनुपालन किया है। महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां, जिनका लगातार पालन किया जा रहा है, लेखों की टिप्पणियों के अनुबंध में निर्धारित की गई हैं।

(v) निगमित अधिशासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन का विवरण

सीपीएसई के लिए निगमित अधिशासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की सभी अनिवार्य अपेक्षाओं, बोर्ड और समितियों में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या से संबंधित अपेक्षा को छोड़कर, का अनुपालन किया है।

(vi) लेखा पुस्तकों में डेबिट की गई व्यय की मद, जो व्यापार के प्रयोजन के लिए नहीं है : शून्य

6. लेखापरीक्षा टिप्पणी:

शून्य (एकल वित्तीय विवरणों में)

7. बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण:

यह आवश्यकता पर आधारित है।

अनुबंध–घ

निगमित अभिशासन प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्य

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

रेलीगेयर भवन, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली – 110 017

मैंने, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में अनुबंधित अनुसार और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार 31.03.2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निगमित अभिशासन के अनुपालन की शर्तों की जांच की है। निगम को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत धारा–25 कंपनी के रूप में सम्मिलित किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 के प्रावधानों के अनुसार 9 नवंबर, 2015 से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित किया गया है।

निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। मेरी, जांच निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह निगम के वित्तीय विवरणों पर न तो एक लेखापरीक्षा और न ही राय की एक अभिव्यक्ति है।

मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी और मुझे प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, मैं प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने नीचे उल्लिखित सीमा को छोड़कर डीपीई दिशानिर्देशों में अनुबंधित अनुसार निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है:–

1. जैसाकि भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) में अपेक्षित है, कंपनी निदेशक मंडल का अपेक्षित संघटन नहीं है, कार्यात्मक निदेशकों की संख्या मंडल की वास्तविक संख्या से 50 प्रतिशत अधिक है एवं मंडल में कोई स्वतंत्र (गैर–सरकारी) निदेशक नहीं है।

2. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (2) के उपबंधों के अधीन अपेक्षित अनुसार मंडल में किसी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।

   मैं पुनः रिपोर्ट करता हूं कि प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण अनुसार, स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) और महिला निदेशक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

3. स्वतंत्र निदेशकों की अनुलब्धता के परिणामस्वरुप, लेखापरीक्षा समिति का संघटन और इसके कार्य निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नहीं थे।

   मैं पुनः उल्लेख करता हूं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता और न ही कुशलता और प्रभावकारिता, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है, के संबंध में एक आश्वासन है।

ह0/–

(आशु गुप्ता)

कार्यरत कंपनी सचिव

एफसीएस संख्या : 4123

सीपी संख्या : 6646

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22.09.2016

अनुबंध–ङ

फार्म संख्या : एमजीटी 9

वार्षिक विवरण का उद्धरण

31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष को

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

1	सीआईएन	यू 40106 डीएल2011जीओआई 225263
2	पंजीकरण संख्या	20-09-2011
3	कंपनी का नाम	सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	कंपनी शेयरों द्वारा सूचीबद्ध है सरकारी कंपनी
5	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क ब्यौरा	डी–3, पहली मंजिल, विंग ए, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017 दूरभाष संख्या : (011) 71989200 फैक्स संख्या : (011) 71989244, ई–मेलः corporate@seci.co.in
6	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
7	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा	लागू नहीं

II. कंपनी के प्रमुख व्यावसायिक कार्यकलाप

(उन सभी व्यावसायिक कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगा, जिनका कंपनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या अधिक योगदान है)

क्र.सं.	प्रमुख उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पादों/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार की प्रतिशतता
3	सौर विद्युत की बिक्री	35105	92.26

III. शेयरधारिता, सहायक और संबद्ध कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	शेयरधारिता, सहायक और संबद्ध	धारित शेयरों की प्रतिशतता	लागू धारा
1	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड पता : 6–3–856/ए, 3 साजद मंजिल कंपाउंड, अमीरपेट, हैदराबाद – 500016	यू40300टीजी 2014पीटीसी 096549	संबद्ध कंपनी (संयुक्त उद्यम)	50	धारा 2(6)
2	रिन्यूबल पावर कारपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड पता : केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड विद्युत भवन, पट्टोम थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम, केरल – 695004 भारत	यू40106केएल2016 पीएलसी039891	संबद्ध कंपनी (संयुक्त उद्यम)	50	धारा 2(6)
3	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड पता : ऊर्जा शवन लिंक रोड नंबर 2, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश –462003 भारत	यू 40102 एमपी2015 पीएलसी 034450	संबद्ध कंपनी (संयुक्त उद्यम)	50	धारा 2(6)
4	लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड पता : यूपीएनईडीए भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010	यू 40300 यूपी 2015 पीएलसी 072134	संबद्ध कंपनी (संयुक्त उद्यम)	50	धारा 2(6)
5	कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड पता : बीज राज सीड काम्प्लेक्स, द्वितीय तल, साउथ साइड, हेब्बल बेंगलुरु, कर्नाटक – 560024 , भारत	यू 40107 केए 2015 पीएलसी 079223	संबद्ध कंपनी (संयुक्त उद्यम)	50	धारा 2(6)

IV. शेयरधारिता पैटर्न

(कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

(i) श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2015 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2016 को)				वर्ष के दौरान बदलाव की प्रतिशतता
	डिमेट	भौतिक रूप में	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	डिमेट	भौतिक रूप में	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	
क) प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/हिंदू संयुक्त परिवार		6	6	0.00		6	6	0.00	0.00
ख) केन्द्र सरकार	-	10,33,494	10,33,494	100.00	-	20,39,994	20,39,994	100.00	100.00
ग) राज्य सरकार(सरकारें)									
घ) निगम निकाय									
च) बैंक/वित्तीय संस्थाएं									
छ) कोई अन्य	-				-				
उप–योग (क)(1)	-	10,33,500	10,33,500	100.00	-	20,40,000	20,40,000	100.00	0.00
(2) विदेशी									
क) अनिवासी भारतीय वैयक्तिक									
ख) अन्य वैयक्तिक									
ग) निगम निकाय									
घ) कोई अन्य									
उप–योग (क) (2)	-								
योग (क)	-	-		-	-	-	-	-	-
ख) सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचल फंड									
ख) बैंक/वित्तीय संस्थाएं									
ग) केन्द्र सरकार									
घ) राज्य सरकार(सरकारें)									
च) उद्यम पूंजी निधि									
छ) बीमा कंपनियां									
ज) वित्तीय संस्थाएं									
झ) विदेशी उद्यम पूंजी निधि									
ण) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
उप–योग (ख) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर–संस्थान									
क) निगम निकाय									
i) भारतीय									
ii) विदेशी									
ख) वैयक्तिक									
i) वैयक्तिक शेयरधारिता – एक लाख रुपए तक मामूली शेयरधारिता									
ii) वैयक्तिक शेयरधारिता – एक लाख रुपए से अधिक मामूली शेयरधारिता									
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
अनिवासी भारतीय									
विदेशी निगम निकाय									
विदेशी नागरिक									
समाशोधन सदस्य									
न्यास									
विदेशी निकाय– डीआर									
उप–योग (ख) (2)	-								
कुल सार्वजनिक (ख)	-								
ग) जीडीआर एवं एडीआर हेतु अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर									
कुल योग (क + ख + ग)	-	10,33,500	10,33,500	100.00	-	20,40,000	20,40,000	100.00	100

(ii) प्रवर्तक की शेयरधारिता

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों में प्रतिशत	कुल शेयरों में से प्रोद्भूत/ऋणग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशत	कुल शेयरों में से प्रोद्भूत/ऋणग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति	10,33,494	100.00	0	20,39,994	100.00	0	100.00
2	श्री तरूण कपूर	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
3	श्री राकेश कुमार	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
4	श्री अश्विनी कुमार	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
5	श्री सी0 कन्नन	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
6	श्री रूचिन गुप्ता	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
7	श्री राजीव भारद्वाज	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
	योग	10,33,500	100.00		20,40,000	100.00		

(iii) प्रवर्तक शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया निर्दिष्ट करें)

क्र.सं.	विवरण	तिथि	कारण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के आरंभ में			10,33,494	100.00	10,33,494	100.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन						
		25-06-2015	आवंटित	86,500		11,19,994	
		12-08-2015	आवंटित	1,34,200		12,54,194	
		31-03-2016	आवंटित	7,85,800		20,39,994	
	वर्ष के अंत में			20,39,994		20,39,994	

(iv) सर्वाधिक शेयर रखने वाले दस शेयरधारकों का शेयरधरिता पैटर्न
(निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों को छोड़कर)

क्र.सं.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में प्रत्येक शेयरधारक के लिए	तिथि	कारण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1	नाम						
	वर्ष के आरंभ में			-	-	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			-	-	-	-
	वर्ष के अंत में			-	-	-	-
2	नाम						
	वर्ष के आरंभ में			-	-	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			-	-	-	-
	वर्ष के अंत में			-	-	-	-

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता :

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	तिथि	कारण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1	श्री तरूण कपूर						
	वर्ष के आरंभ में			1	0.00	1	0.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			-	0.00	-	0.00
	वर्ष के अंत में			1	0.00	1	0.00
2	श्री अश्विनी कुमार						
	वर्ष के आरंभ में			1	0.00	1	0.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			-	0.00	-	0.00
	वर्ष के अंत में			1	0.00	1	0.00
3	श्री सी0 कन्नन						
	वर्ष के आरंभ में			1	0.00	1	0.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			-	0.00	-	0.00
	वर्ष के अंत में			1	0.00	1	0.00
4	श्री राजीव भारद्वाज						
	वर्ष के आरंभ में			1	0.00	1	0.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			-	0.00	-	0.00
	वर्ष के अंत में			1	0.00	1	0.00
4	श्री राकेश कुमार						
	वर्ष के आरंभ में			1	0.00	1	0.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			-	0.00	-	0.00
	वर्ष के अंत में			1	0.00	1	0.00

V. ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता, जिसमें बकाया ब्याज/प्रोद्भूत ब्याज परन्तु भुगतान के लिए देय नहीं, शामिल है

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन		-		-
ii) देय ब्याज परन्तु भुगतान नहीं किया गया		-		-
iii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं	-	-		-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* परिवर्धन	24,63,20,000.00	-	-	24,63,20,000.00
* कमी		-	-	-
निवल परिवर्तन	24,63,20,000.00	-	-	24,63,20,000.00
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	24,63,20,000.00	-	-	24,63,20,000.00
ii) देय ब्याज परन्तु भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	24,63,20,000.00	-	-	24,63,20,000.00

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की पारिश्रमिक

क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक प्राप्तकर्ता का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम				कुल राशि
	नाम	अश्विनी कुमार	राकेश कुमार	सी. कन्नन	राजीव भारद्वाज	(रुपए लाख में)
	पदनाम	प्रबंध निदेशक	निदेशक (विद्युत प्रणाली)	निदेशक (वित्त)	निदेशक (मानव संसाधन)	
1	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन	24,90,467.00	27,81,019.00	24,90,265.00	24,49,924.00	1,02,11,675.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के उपबंधों के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्य	3,63,475.00	15,600.00	3,56,561.00	4,17,464.00	11,53,100.00
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के उपबंधों के अनुसार वेतन की एवज में लाभ					-
2	स्टॉक विकल्प					-
3	स्वेट इक्विटी					-
4	कमीशन					-
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में					-
	- अन्य, निर्दिष्ट करें					-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें					-
	कुल (क)	28,53,942.00	27,96,619.00	28,46,826.00	28,67,388.00	1,13,64,775.00
	अधिनियम के अनुसार सीमा					

ख) अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम			कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक				
	बोर्ड समिति बैठक में भाग लेने के लिए फीस				
	कमीशन				
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें				
	कुल (1)				
2	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक				
	बोर्ड समिति बैठक में भाग लेने के लिए फीस				
	कमीशन				
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें				
	कुल (2)				
	कुल (ख) =(1+2)				
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक				
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा				

ग) प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशकों/प्रबंधक को छोड़कर अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	कुल राशि
	नाम	एस0 के0 गुप्ता	(रुपए लाख में)
	पदनाम	कंपनी सचिव	
1	सकल वेतन		
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन	20,16,532.00	20,16,532.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के उपबंधों के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्य	3,45,015.00	3,45,015.00
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के उपबंधों के अनुसार वेतन की एवज में लाभ		-
2	स्टॉक विकल्प		-
3	स्वेट इक्विटी		-
4	कमीशन		-
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में		-
	- अन्य, निर्दिष्ट करें		-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		-
	कुल	23,61,547.00	23,61,547.00

VII. दंड/सजा/अपराधों की कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सजा/अधिरोपित कंपाउंडिंग फीस	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	अपील, यदि कोई की गई हो (विवरण दें)
क) कंपनी					
दंड					
सजा					
कंपाउंडिंग					
ख) निदेशक					
दंड					
सजा					
कंपाउंडिंग					
ग) चूक में अन्य अधिकारी					
दंड					
सजा					
कंपाउंडिंग					

अनुबंध–च

फार्म सं.: एम.आर. 3

सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च , 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार)

सेवा में,

सदस्य,

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

डी–3, प्रथम तल, ए–विंग

डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली – 110017

मैंने, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे इसके बाद कंपनी कहा गया है) द्वारा उचित निगमित पद्धतियों के अनुपालन और लागू सांविधिक उपबंधों का पालन करने के संबंध में सचिवालय लेखापरीक्षा की है। निगम को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा–25 कंपनी के रुप में शामिल किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 के उपबंधों के अनुसार 9 नवंबर, 2015 से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित किया गया है। सचिवालय लेखापरीक्षा इस विधि से की गई जिससे मुझे निगम के कार्य संचालन/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त–पुस्तकों, फार्मों और कंपनी द्वारा दाखिल विवरणियों और रखे गए अन्य रिकॉर्ड का मेरे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालय लेखापरीक्षा के दौरान दी गई सूचना के आधार पर भी मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरे विचार में, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि, जिसमें 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लेखापरीक्षा अवधि) शामिल है, के दौरान नीचे उल्लिखित सांविधिक उपबंधों का पालन किया है और कंपनी की उचित निदेशक मंडल प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र उस सीमा तक और उस रुप में मौजूद हैं जिसका इसके बाद उल्लेख किया गया है।

मैंने, निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार 31 मार्च , 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त–पुस्तिका, फार्मों और दाखिल विवरणियों तथा अन्य रिकॉर्डों की जांच की है :

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम

(2) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके अधीन बनाए गए नियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)

(3) निक्षेप (डिपोजिटरीज) अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उप–नियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)

(4) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारियों की सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(5) प्रतिभूति और भारतीय विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अधीन विहित विनियम और दिशानिर्देश; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)

   (क) सेबी (सूची देयताएं एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015

   (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण और कार्यभार) विनियम, 2011;

   (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरस्थ कारोबार प्रतिबंध) विनियम, 1992 एवं 2015;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम और कर्मचारी स्टॉक खरीद स्कीम) दिशानिर्देश, 1999

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गम और सूची) विनियम, 2008

(छ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक से व्यवहार करने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण हेतु रजिस्ट्रार) विनियम, 1993

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009 और

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998

(6) विशेषकर कंपनी के लिए लागू अन्य विधियां, अर्थात :–

(क) बोनस संदाय अधिनियम, 1965

(ख) उपदान संदाय अधिनियम, 1972

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

(घ) शिक्षु अधिनियम, 1961

(ङ) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

(च) भारतीय स्टैम्प अधिनियम, 1899 और

मैंने, निम्नलिखित के लिए लागू उपबंधों के अनुपालन के संबंध में भी जांच की हैः–

(1) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालय मानक (क्योंकि 05.12.2015 से जब कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई); और

(2) स्टॉक एक्सचैंज के साथ कंपनी द्वारा किए गए सूचीकरण करार; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं) ।

संवीक्षाधीन अवधि के दौरान और सूचना, स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा की गई प्रस्तुति के आधार पर, कंपनी ने सामान्यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन अनुपालन किया है :–

1. जैसाकि भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निगमित अधिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) में अपेक्षित है, कंपनी के निदेशक मंडल का संघटन अपेक्षानुसार नहीं है, कार्यात्मक निदेशकों की संख्या मंडल की वास्तविक संख्या से 50 प्रतिशत अधिक है एवं निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र (गैर–सरकारी) निदेशक नहीं है।

2. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार मंडल में किसी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।

मैं, यह भी रिपोर्ट करता हूं कि निगम (कॉर्पोरेशन), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है। सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित/नियुक्त किए जाते हैं। लेखापरीक्षा के दौरान दिए गए स्पटीकरणो के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) और महिला निदेशक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

3. स्वतंत्र निदेशकों की अनुलब्धता के परिणामस्वरुप, लेखापरीक्षा समिति और उसके कार्यों का संघटन निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नहीं है।

4. कंपनी ने ऐसे एक तरीके में निदेशक मंडल की बैठकों को करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है, जिसमें निदेशक मंडल की किन्हीं दो लगातार बैठकों के बीच मध्यवर्ती अंतर 120 दिन से अधिक न हो।

मैं पुनः रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी के निदेशक मंडल का कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में किए गए परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किए गए।

निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त रुप से कम से कम सात दिन पहले नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची तथा कार्यसूची पर टिप्पणियां अग्रिम रुप से भेजी गई और बैठक में उपयोगी सहभागिता के लिए बैठक से पहले कार्यसूची पर और अधिक सूचना और स्पष्टीकरण

मांगने और प्राप्त करने की प्रणाली विद्यमान है।

बहुमत से निर्णय किए जाते हैं और निदेशक मंडल के किसी सदस्य द्वारा कोई असहमति व्यक्त नहीं की गई है।

कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और की गई प्रस्तुति और हमारे द्वारा किए गए विश्वास के अनुसार, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन को मॉनीटर करने और उसे सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरुप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रिया विद्यमान है।

मैं, यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, नीचे निर्दिष्ट को छोड़कर ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी में कोई विशिष्ट परिघटना/कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका कंपनी के कार्यों पर प्रमुख प्रभाव पड़ा हो :–

1. निगम ने 12.08.2015 को हुई वार्षिक आम सभा में एक विशेष संकल्प पारित किया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन जारी लाईसेंस का अभ्यर्पण किया है और कंपनी लिमिटेड के लिए धारा 8 कंपनी से अपनी स्थिति को परिवर्तित किया है और शामिल होने के शेयर और नया प्रमाण पत्र कारपोरेट कार्य मामले मंत्रालय द्वारा 9 नवंबर, 2015 को जारी किए गए।

ह0/–

(आशु गुप्ता)

कार्यरत कंपनी सचिव

एफसीएस संख्या : 4123

सीपी संख्या : 6646

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22.09.2016

टिप्पणी : यह रिपोर्ट हमारे समसंख्यक तारीख के पत्र के साथ पढ़ी जाए, जो अनुबंध–क के रुप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

सेवा में,

सदस्य,

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

डी–3, प्रथम तल, ए–विंग डिस्ट्रिक्ट सेंटर,

साकेत, नई दिल्ली – 110017

समसंख्यक तारीख की मेरी रिपोर्ट, इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवालय रिपोर्ट रखना, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालय रिकॉर्डों पर अपनी राय प्रकट करने की है।
2. मैंने उन लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है, जो सचिवालय रिकॉर्डों के तथ्यों की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था कि सचिवालय रिकॉर्डों में सही तथ्य दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि मैंने, जिन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है वे मेरी राय का उपयुक्त आधार हैं।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां आवश्यक था, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों की अनुपालना और परिघटनाओं आदि के होने के संबंध में प्रबंधन की प्रस्तुति प्राप्त की है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरी जांच परीक्षण के आधार पर कार्यविधियों का सत्यापन करने तक सीमित है।
6. सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता और प्रभावकारिता है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

ह0/–

(आशु गुप्ता)

कार्यरत कंपनी सचिव

एफसीएस संख्या : 4123

सीपी संख्या : 6646

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22.09.2016

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2016 को	31/03/2015 को
इक्विटी एवं देयताएं			
शेयरधारक निधि			
शेयर पूंजी	2	2,04,00,00,000	1,03,35,00,000
रिजर्व एवं अधिशेष	3	17,14,69,726	65,30,611
		2,21,14,69,726	**1,04,00,30,611**
शेयर आवेदन राशि, लंबित आवंटन		**-**	**8,65,00,000**
गैर–वर्तमान देयताएं			
दीर्घावधि उधार	4	24,63,20,000	-
आस्थगित कर देयताएं (निवल)		4,78,52,249	-
अन्य दीर्घावधि देयताएं	5	6,40,28,769	-
दीर्घावधि प्रावधान	6	1,39,16,670	1,45,37,930
		37,21,17,688	**1,45,37,930**
वर्तमान देयताएं			
व्यापार देय	7	1,17,46,11,492	2,32,26,577
अन्य वर्तमान देयताएं	8	4,27,38,62,021	1,54,23,05,504
अल्पावधि प्रावधान	9	4,20,59,549	16,16,317
		5,49,05,33,062	**1,56,71,48,398**
कुल		**8,07,41,20,476**	**2,70,82,16,939**
परिसंपत्तियां			
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां			
मूर्त परिसंपत्तियां	10	61,41,16,478	1,10,78,445
अमूर्त परिसंपत्तियां	10	29,64,497	29,41,100
पूंजीगत कार्य प्रगति में	11	5,61,800	11,60,727
परिसंपत्तियां पारगमन में		-	2,92,462
गैर–वर्तमान निवेश	12	2,55,00,000	5,00,000
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	99,09,32,939	74,85,10,342
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	14	3,00,000	3,00,000
		1,63,43,75,714	**76,47,83,076**
वर्तमान परिसंपत्तियां			
व्यापार प्राप्य	15	1,34,36,26,825	10,03,55,404
नकदी एवं बैंक शेष	16	3,80,92,89,188	1,71,25,97,104
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	17	4,74,70,514	1,31,03,079
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	18	1,23,93,58,235	11,73,78,276
		6,43,97,44,762	**1,94,34,33,863**
कुल		**8,07,41,20,476**	**2,70,82,16,939**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	**1**		
लेखों पर टिप्पणियां	**2 - 25**		

टिप्पणियां इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(एस0 के0 गुप्ता)
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या : 10840

ह0/–
(सी0 कन्नन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 06458185

ह0/–
(डॉ0 अश्विनी कुमार)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03547234

यहां तक की तारीख की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 005524एन

ह0/–
जितेन्द्र साराओगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 502337

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2016

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा विवरण

(राशि रुपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2016 को समाप्त वर्ष	31/03/2015 को समाप्त वर्ष
	राजस्व			
	प्रचालनों से राजस्व	19	5,73,90,27,485	37,59,83,830
	अन्य आय	20	5,21,97,373	2,49,81,515
I	**कुल राजस्व**		**5,79,12,24,858**	**40,09,65,345**
	व्यय			
	सौर विद्युत की खरीद		5,24,74,92,331	7,43,79,648
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	21	7,66,99,409	5,81,52,417
	वित्तीय लागत	22	62,761	-
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	10	43,88,216	38,65,398
	उप-ठेका व्यय		31,09,571	4,30,22,443
	अन्य व्यय	23	13,10,64,207	9,13,88,238
	पूर्व अवधि मदें (निवल)	24	37,23,109	2,39,374
II	**कुल व्यय**		**5,46,65,39,604**	**27,10,47,518**
III	**अपवादिक एवं असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ (I - II)**		32,46,85,254	12,99,17,827
IV	अपवादिक मदें		-	1,07,23,445
V	**असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ (III - IV)**		**32,46,85,254**	**11,91,94,382**
VI	असाधारण मदें		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ (V - VI)**		**32,46,85,254**	**11,91,94,382**
VIII	**कर व्यय**			
	(1) वर्तमान कर		8,58,18,565	-
	(2) आस्थगित कर		4,78,52,249	1,32,24,354
IX	**अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)**		**19,10,14,440**	**10,59,70,028**
X	**प्रति इक्विटी शेयर आयः**			
	(1) मूल		147.03	135.36
	(2) तनुकृत		147.03	134.79
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	**1**		
	लेखों पर टिप्पणियां	**2 - 25**		

टिप्पणियां इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए ओर उसकी ओर से

ह0/-
(एस0 के0 गुप्ता)
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या : 10840

ह0/-
(सी0 कन्नन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 06458185

ह0/-
(डॉ0 अश्विनी कुमार)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03547234

यहां तक की तारीख की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 005524एन

ह0/-
जितेन्द्र साराओगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 502337

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2016

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपए में)

विवरण	31/03/2016 को समाप्त वर्ष	31/03/2015 को समाप्त वर्ष
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ	32,46,85,254	11,91,94,382
निम्न के लिए समायोजन:		
जोड़ें		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	43,88,216	38,65,398
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	28,231	
ब्याज व्यय	62,761	1,54,95,273
घटाएं		
प्राप्त ब्याज	5,01,59,210	2,03,18,969
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	6,635	
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**27,89,98,617**	**11,82,36,084**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
प्रचालन परिसंपत्तियों के लिए समायोजन:		
घटाएं		
व्यापार प्राप्यों में वृद्धि	1,24,32,71,421	9,81,70,789
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि	3,43,67,435	55,10,678
अन्य परिसंपत्तियों में वृद्धि	1,12,19,79,959	8,44,77,230
जोड़ें		
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम में कमी/(वृद्धि)	1,28,50,226	(3,31,93,676)
प्रचालन देयताओं के लिए समायोजन:		
जोड़ें		
व्यापार देय में वृद्धि	1,15,13,84,915	2,32,26,577
अन्य वर्तमान देयताओं में वृद्धि	2,72,84,71,242	88,50,90,436
अल्पावधि प्रावधानों में वृद्धि	1,74,53,183	9,98,211
दीर्घावधि प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	(6,21,260)	69,02,831
अन्य दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि	77,25,128	-
घटाएं		
अन्य दीर्घावधि देयताओं में कमी	-	31,350
कर पूर्व प्रचालनों से नकदी अंतःप्रवाह/निर्गम प्रवाह	**1,79,66,43,236**	**81,30,70,416**
घटाएं : अग्रिम कर एवं वसूलीयोग्य टीडीएस	8,72,89,226	-
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**1,70,93,54,010**	**81,30,70,416**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
जोड़ें		
ब्याज आय	5,01,59,210	2,03,18,969
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	16,985	-
घटाएं		
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद एवं अग्रिम	55,01,03,631	30,86,234
किदवई नगर बिल्डिंग के लिए अग्रिम भुगतान	25,38,02,162	44,41,53,784
संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश	2,50,00,000	5,00,000
आवधिक जमा में निवेश	94,12,38,340	84,95,35,299
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(1,71,99,67,938)**	**(1,27,69,56,348)**

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपए में)

वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
घटाएं			
ब्याज व्यय		(2,52,328)	(1,54,95,273)
जोड़ें			
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्ति		92,00,00,000	46,35,00,000
शेयर आवेदन राशि, लंबित आवटन के लिए प्राप्ति		-	8,65,00,000
भारतीय स्टेट बैंक से सावधि ऋण से प्राप्ति		24,63,20,000	-
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**1,16,60,67,672**	**53,45,04,727**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल (कमी)/वृद्धि	(क)	**1,15,54,53,744**	**7,06,18,795**
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	(ख)	**9,49,51,947**	**2,43,33,152**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	(क+ख)	**1,25,04,05,691**	**9,49,51,947**
नकदी एवं नकदी समतुल्य का समाधान			
बैंकों के बचत खातों में शेष		-	27,99,754
बैंकों के चालू खातों में शेष		1,25,04,05,691	9,21,52,193
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**1,25,04,05,691**	**9,49,51,947**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां		**1**	
लेखों पर टिप्पणियां		**2 - 25**	

टिप्पणियां इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए ओर उसकी ओर से

ह0/–
(एस0 के0 गुप्ता)
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या : 10840

ह0/–
(सी0 कन्नन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 06458185

ह0/–
(डॉ0 अश्विनी कुमार)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03547234

यहां तक की तारीख की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 005524एन

ह0/–
जितेन्द्र साराओगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 502337

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में टिप्पणियां

1. महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां:

1.1 लेखा तैयार करने का आधार :

ये वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू सीमा तक) के उपबंधों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत लागू विहित लेखाकरण मानकों के साथ पठित यथा लागू सीमा तक कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 के अनुरूप भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं का अनुपालन करते हुए ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लेखाकरण के प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं।

कंपनी द्वारा ये लेखांकन नीतियां लगातार लागू की जाती हैं। बेहतर प्रकटन के लिए कुछ लेखांकन नीतियों के शब्दों में फेरबदल/पुनःसमूहन किया गया है, जिसका समूह के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पडता।

1.2 आकलनों का प्रयोग :

सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से यह अपेक्षा है कि वो ऐसे आकलन और अनुमान करे, जो वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट में दर्ज परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रचालनों के परिणाम को प्रभावित करें। हालांकि, ये अनुमान, प्रबंधन के वर्तमान घटनाओं और कार्यों के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित हैं, परंतु वास्तवित परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और आकलनों के बीच के अंतरों को उस अवधि में भविष्यलक्षी प्रभाव से मान्यता दी गई है, जिसमें उन्हें साकार किया गया है।

1.3 स्थायी परिसंपत्तिः

1.3.1 मूर्त परिसंपत्तियां संचित मूल्यह्रास और त्रुटि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाई गई हैं।

1.3.2 अधिग्रहण की लागत में क्रय मूल्य, आयात शुल्क और अन्य गैर–वापसी योग्य कर अथवा लेवी और कोई अन्य प्रत्यक्ष रूप से देय लागत, विनिर्माण के दौरान ब्याज, शुल्क, भाडा, और परिसंपत्तियों को अपेक्षित इस्तेमाल के लिए चालू हालत में लाने के लिए विनिर्माण/अधिग्रहण के दौरान संस्थापन और आवंटित आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

1.3.3 अमूर्त परिसंपत्तियां, संचित परिशोधन और त्रुटि हानि, यदि कोई हो, घटाकर उनकी अधिग्रहण लागत पर दर्शाई गई हैं।

1.3.4 परिसंपत्तियों की उन दशाओं में जहां ठेकेदारों से बिलों का अंतिम निपटान अभी होना है लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण एवं इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, वहां अंतिम निपटान के वर्ष में जरुरी समायोजनों के अधीन पूंजीकरण अनंतिम आधार पर किया गया है।

1.4 वर्तमान पूंजीगत कार्य

1.4.1 वर्तमान पूंजीगत कार्य लागत पर किए जाते हैं। परियोजना के लिए खपत हुए माल की लागत, उस पर उत्थापन प्रभारों के साथ किए गए अन्य संबंधित खर्च, पूंजीकरण की तारीख को पूंजीगत चालू कार्य के रूप में दर्शाए जाते हैं।

1.4.2 स्थायी परिसंपत्तियों के विनिर्माण के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय और अन्य प्रशासनिक एवं सामान्य ऊपरी व्यय संबंधित परिसंपत्ति की लागत पर व्यवस्थित तरीके से पहचान कर आवंटित कर दिए गए हैं।

1.5 मूल्यह्रास और परिशोधन

1.5.1 कम्पनी की ऊर्जा उत्पादक यूनिटों की मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को प्रशुल्क के नियतन के लिए सीईआरसी द्वारा यथा अधिसूचित दरों और क्रियाविधि का पालन करते हुए सीधी–रेखा पद्धति पर लाभ एंव हानि विवरण पर प्रभारित किया गया है।

1.5.2 पट्टा धारित जमीन को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया गया है।

1.5.3 नीति संख्या 1.5.1 और 1.5.2 में विहित परिसंपत्तियों के अलावा, परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 में विहित उपयोगी जीवन अवधि का पालन करते हुए सीधी रेखा पद्धति पर उपबंधित किया गया है।

1.5.4 अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवन अवधि पर अमूर्त परिसंपत्तियों पर लेखाकरण मानक 26 के अनुसार सीधी रेखा पद्धति के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए मूल्यह्रास की गणना की गई है।

1.5.5 यथानुपात के आधार पर मूल्यह्रास/परिशोधन की व्यवस्था उस तारीख से/तक की गई है, जिसको परिसंपत्तियां इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध हो पाईं।

1.5.6 परिसंपत्तियों पर घोषित/अप्रचलित मूल्यह्रास की व्यवस्था उस माह के अंत तक की गई है, जिसमें ऐसी घोषणा की गई है।

1.5.7 5,000 रुपए अथवा उससे नीचे की परिसंपत्ति को भौतिकता के कारण उसके अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है।

1.6 निवेश

1.6.1 दीर्घावधि निवेश लागत के आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों में गिरावट, अस्थायी से भिन्न, को देखते हुए कमी की व्यवस्था की जाती है।

1.6.2 वर्तमान निवेशों का मूल्य निर्धारण एकल निवेश के आधार पर निम्न लागत और उचित मूल्य पर किया जाता है।

1.7 उधारी लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा विनिर्माण के लिए उधारी लागतों को ऐसी परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति होती है, जो अपने आशायित इस्तेमाल के लिए तैयार होने में काफी लंबा समय लेती है। अन्य सभी उधारी लागतों को उस अवधि के व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वो व्यय किए जाते हैं।

1.8 मालसूची

मालसूचियों का मूल्य निर्धारण निम्न लागत और आकलित निवल उगाही योग्य मूल्य पर किया जाता है।

1.9 राजस्व और व्यय मान्यता

राजस्व और व्ययों को नीचे प्रकट किए गए प्राप्ति/भुगतान आधार पर खातों में लिए गए कुछ आय और व्ययों के सिवाय, लेखाकरण की प्रोद्भूत विधि के आधार पर खातों में लिया जाता है।

1.9.1 सौर ऊर्जा का क्रय और विक्रय

ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व को राज्य क्रेता कंपनियों के साथ हुए ऊर्जा विक्रय करारों (पीएसए) और उपभोक्ताओं के साथ सहमत हुई दरों के अनुसार मान्यता दी जाती है। वितरण कंपनियों/क्रेता कंपनियों के लिए इनवॉयस तैयार करने के लिए यूनिटों (किलोवाट घंटा) को अंतरा–राज्य ऊर्जा विक्रय की दशा में संयुक्त मीटर रीडिंग/राज्य ऊर्जा लेखाकरण (जेएमआर)(एसईए) और अंतर्राज्यीय लेन–देनों की दशा में क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाकरण (आरईए) के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

ऊर्जा के क्रय को संयुक्त मीटर रीडिंग/राज्य ऊर्जा लेखाकरण/क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाकरण (जेएमआर/एसईए/आरईए) के आधार पर सौर ऊर्जा विकासकों (एसपीडी) के साथ निष्पादित ऊर्जा क्रय करारों (पीपीए) की शर्तों के अनुसार खातों में लिया जाता है।

व्यापारित यूनिटों के साथ समाशोधन करने के लिए क्रय एवं विक्रय के लेन–देनों को नियमित अंतरालों पर समाशोधित किया जाता है।

पीएसए की शर्तों के अनुसार, वितरण कंपनियों पर ऊर्जा के विक्रय के लिए लगाए जाने वाले विलंब भुगतान पर सरचार्ज को प्राप्ति आधार पर मान्यता दी जाती है और इसी प्रकार, पीपीए की शर्तों के अनुसार, विलंब भुगतान पर सरचार्ज को वितरण कंपनियों से वसूली के आधार पर खातों में लिया जाता है।

क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र (आरएलडीसी)/राज्य लोड डिस्पैच केंद्र (एसएलडीसी)/ केंद्रीय प्रेषण कंपनियों (सीटीयू) द्वारा लगाया गया प्रभार, जो एजेंसी द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया है, पीपीए/पीएसए की यथा लागू शर्तों के अनुसार वसूल कर लिया जाता है/एसपीडी/वितरण कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है और ऐसे प्रभारों को प्राप्ति/भुगतान के आधार पर खातों में लिया जाता है।

1.9.2 जेएनएनएसएम चरण–2, बैच–1 के अधीन 750 मेगावाट ग्रिड–कनेक्टिड सोलर पीवी पावर परियोजना के बारे में सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, विकासकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) स्थापित की गई है। बैंक गारंटियों के नकदीकरण से प्राप्त धन, इस निधि पर अर्जित ब्याज, समय पूर्व भुगतान के लिए प्रोत्साहनों, अतिरिक्त मूल्यह्रास का दावा करने वाले विकासकों को 10 प्रतिशत कम शुल्क से आने वाली अतिरिक्त धनराशि और सरकार/एनसीईएफ से प्राप्त अनुदानों को इस निधि का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उपर्युक्त कारणों से प्राप्त होने वाली राशि को दिशानिर्देशों के अनुसार सीधे पीएसएफ में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

जेएनएनएसएम चरण–2, बैच–1 के अधीन 750 मेगावाट ग्रिड–कनेक्टिड सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए कार्यान्वयन योजना में आने वाली दिक्कतों को हटाने के लिए 01 मई, 2015 को हुई पांचवीं बैठक में उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप, पीएसएफ का इस्तेमाल उन व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाता है,जो क्रेता कंपनियों द्वारा अपने गृह राज्यों में तत्समय प्रवृत्त ऊर्जा इत्यादि की अंतर्राज्यीय अनुसूची बनाने के कारण खाते में न लेने वाले अल्पावधि ओपन एक्सेस प्रभार, यूआई प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों को खाते में न लिए जाने के कारण क्रेता कंपनियों से वसूल नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा, ऐसे व्यय आदि की क्षतिपूर्ति अतिरिक्त ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त अर्जनों से की जाती है, जो 3 रुपए किलोवाट/घंटा की दर से उपलब्ध होगी।

विभिन्न एसपीडी के साथ हस्ताक्षरित पीपीए की शर्तों के अनुसार, कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें प्रशुल्क को 5.45/किलोवाट घंटा से कम कर दिया गया था। शुल्क में कमी के कारण सौर ऊर्जा के क्रय में किसी धनराशि की कमी को पीएसएफ में सीधे क्रेडिट कर दिया जाता है।

नीति/विनियामक मुद्दों और प्रेषण निष्क्रमण/ओपन एक्सेस बाधाओं आदि के कारण औसत पूल मूल्य निर्धारण पर क्रय करने वाली कंपनियों/वितरण कंपनियों से प्रशुल्क की कम वसूली की दशा में सहमत पीपीए में से विकासकों को विभेदीकृत भुगतान सीधे पीएसएफ को डेबिट कर दिए जाते हैं।

1.9.3 राज्य ऊर्जा लेखाकरण (एसईए)/क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाकरण (आरईए)/संयुक्त मीटर रीडिंग (जेएमआर) को ऊर्जा के विक्रय और क्रय में पैदा हुए अंतर को खातों में उपयुक्त रीति से शामिल किया जाता है। क्रय की गई यूनिटों से ज्यादा बेची गई यूनिटों की दशा में, पैदा होने वाला अंतर पीएसएफ को क्रेडिट कर दिया जाता है। वितरण कंपनियों के लिए तैयार बिलों के ऊपर क्रय की गई यूनिटों की दशा में उसे एसपीडी से वसूल किया जाता है।

1.9.4 परामर्शी सेवाओं से प्राप्त राजस्व को संबंधित परामर्शी संविदाओं की शर्तों के अनुरुप सेवाओं की पूर्णता के स्तर के साथ अनुपातिक आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। उन मामलों में, जहां दावे के समय अंतिम उगाही युक्तियुक्त निश्चितता के साथ नहीं हो पाती, वहां मान्यता को उगाही होने तक स्थगित कर दिया जाता है।

1.9.5 <u>ग्रिड–कनेक्टिड रूफटॉप परियोजनाओं के मामलों में राजस्व मान्यता</u>

एमएनआरई द्वारा रूफटॉप परियोजनाओं के प्रचार, अभिमुखीकरण, जागरुकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं, फील्ड दौरों, निगरानी और तकनीकी मार्गदर्शन आदि के निमित्त केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) की 3 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है।

रूफटॉप परियोजनाओं के संबंध में परियोजना निगरानी और तकनीकी मार्गदर्शन से राजस्व–ग्रिड/ऑफ ग्रिड को परियोजनाओं को निम्नलिखित वर्णित प्रगति चरणों के आधार पर मान्यता प्रदान की गई हैः–

चरण	आवंटन का प्रतिशत	आवंटन की संचयी प्रतिशतता
आवंटन	1.50 प्रतिशत	1.50 प्रतिशत
मंजूर	0.25 प्रतिशत	1.75 प्रतिशत
शुरुआत	0.25 प्रतिशत	2.00 प्रतिशत
ऑपरेशन एंड निगरानी– प्रथम वर्ष	0.50 प्रतिशत	2.50 प्रतिशत
ऑपरेशन एंड निगरानी– द्वितीय वर्ष	0.50 प्रतिशत	3.00 प्रतिशत
	3.00 प्रतिशत	

प्रचार, अभिमुखीकरण, जागरुकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं और फील्ड दौरों के निमित्त किए गए वास्तविक व्यय की उपर्युक्त मान्यता प्राप्त राजस्व में से कटौती कर दी गई है और निवल आय को प्रकट कर दिया गया है।

उपर्युक्त के संबंध में रूफटॉप परियाजनाओं के अंतर्गत विकासक से प्राप्त सेवा प्रभारों को उस वर्ष की आय में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें परियोजना की क्षमता को मंजूरी दी गई है। सेवा प्रभारों के विलंब भुगतान पर लगने वाले प्रभारों को प्राप्ति आधार पर खाते में लिया गया है।

1.9.6 विभिन्न एमएनआरई योजनाओं के अंतर्गत निधि रख–रखाव प्रभारों को एमएनआरई द्वारा जारी अनुमति पत्र के अनुसार वितरित निधियों के अनुपात में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.9.7 2000 मेगावाट की राज्य विशिष्ट योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजना के संबंध में अनुमानित पूंजीगत लागत के 0.2 प्रतिशत की दर से सफलता फीस सौर ऊर्जा विकासकों से वसूली जाती है। इस 0.2 प्रतिशत के 90 प्रतिशत को तकनीकी आकलनों के अनुसार संपन्न गतिविधियों/दी गई सेवाओं के समापन पर एलओआई जारी करने के समय और 0.2 प्रतिशत के बकाया 10 प्रतिशत को सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत के समय की आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.9.8 <u>विनिर्माण संविदाओं के अंतर्गत राजस्व मान्यता</u>

संविदा राजस्व में संविदा के अनुसार संपन्न किए गए कार्य की लागत और समापन विधि की प्रतिशतता का इस्तेमाल करते हुए अनुपातिक लाभ शामिल होता है। समापन प्रतिशतता का निर्धारण नियत तारीख को कुल आकलित संविदा लागत के अनुपात में संपन्न कार्य के अनुपात में किया जाता है।

परियोजना और विनिर्माण से संबंधित प्रगतिशील कार्य को लागत के आधार पर उस काम, जिसे युक्तियुक्त रीति से निश्चित नहीं किया जा सकता, के परिणाम तक और उसके बाद उगाही योग्य मूल्य पर दर्शाया जाता है।

उन संविदाओं के दशा में, जहां संविदा की लागत, संविदा के राजस्व से बढ़ जाती है, वहां अनुमानित हानि को तुरंत मान्यता प्रदान कर दी जाती है।

1.9.9 ग्राहकों के साथ की गई संविदा में बढ़ोतरी और अतिरिक्त कार्यों का उपबंध नहीं किया गया, माध्यस्थम् पंचाट से उपजे दावों और बीमा दावों को प्राप्ति आधार पर खाते में लिया गया है।

1.9.10 विवादित/सुलह वाली संविदाओं के संबंध में संविदात्मक बाध्यताओं से पैदा हुए पूर्वनिर्धारित हर्जानों और देय/प्राप्तियोग्य के रूप में उचित न माने जाने वालों को अंतिम निपटान तक खातों में नहीं लिया जाता।

1.9.11 100,000/–रुपए और उससे नीचे की मदों के पूर्वप्रदत्त व्ययों और पूर्व अवधि के व्ययों/आय को भुगतान/प्राप्ति के वर्ष में स्वाभाविक लेखा शीर्ष में प्रभारित किया जाता है।

1.10 आय पर कर

1.10.1 आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार कर योग्य आय के आधार पर चालू आयकर के उपबंध का निर्धारण किया जाता है।

1.10.2 विवेक के अधीन आस्थगित कर को समय के अंतरों पर मान्यता प्रदान की जाती है, जो कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच अंतर है, जो एक अवधि में पैदा होता है और तत्पश्चात् एक या एक से अधिक अवधियों में पुनः पैदा हो सकता है, और कर की दरों का इस्तेमाल करके इसका परिमाण निर्धारित किया जा सकता है और तुलन पत्र की तारीख को विधियां अधिनियमित की जाती हैं या सारतः अधिनियमित की जाती हैं।

1.11 परिसंपत्तियों की क्षति

किसी परिसंपत्ति को उस स्थिति में क्षतिग्रस्त माना जाता है, जब उस परिसंपत्ति को बनाए रखने की लागत उससे प्राप्त होने वाली राशि से ज्यादा हो। क्षति संबंधी हानि को उस वर्ष की लाभ हानि विवरण में आपवादिक मद के रूप में प्रभारित किया जाता है, जिसमें उस परिसंपति की पहचान क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति के रूप में की जाती है।

1.12 विदेशी मुद्रा लेन–देन

1.12.1 आरंभिक मान्यता

विदेशी मुद्रा लेन–देन को आरंभ में उस संव्यवहार की तारीख को लागू विनियम दर पर दर्ज किया जाता है।

1.12.2 संपरिवर्तन

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को तुलन पत्र की तारीख को लागू विनियम दरों का संदर्भ लेते हुए स्थानांतरित किया जाता है। गैर–मौद्रिक मद, जिन्हें किसी विदेशी मुद्रा के रूप में ऐतिहासिक लागत के अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें उस संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दर को इस्तेमाल करते हुए दर्ज किया जाता है और उन गैर–मौद्रिक मदें, जिन्हें उचित मूल्य या उसी प्रकार के किसी विदेशी मुद्रा में मूल्यन पर संचालित किया जाता है उन्हें विनिमय दरों का इस्तेमाल करते हुए दर्ज किया जाता है, जो दर मूल्य निर्धारण के समय विद्यमान थी।

1.12.3 विनिमय अंतर

मौद्रिक मदों के निपटान पर पैदा हुए विनिमय अंतर अथवा रिपोर्टिंग समूह की मौद्रिक मदों को उस भिन्न दर, जो वर्ष के आरंभ में दर्ज हैं अथवा पूर्ववर्ती वित्तीय विवरणों में दर्ज है, को आय के रूप में या उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

1.13 उपबंध, आकस्मिक देयता व आकस्मिक परिसंपत्ति

किसी उपबंध को तब मान्यता दी जाती है, जब किसी पिछली घटना के कारण समूह की वर्तमान बाध्यता होती है और यह भी संभव हो कि उस बाध्यता का निपटान करने के लिए संसाधनों का व्यय करना आवश्यक है और जिसके संबंध में कोई विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। उपबंधों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित प्रबंधन आकलन के आधार पर किया जाता है और वर्तमान मूल्य पर इनका बट्टा नहीं काटा जाता है। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन आकलन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है, न ही इन्हें वित्तीय विवरण में दर्शाया जाता है।

1.14 कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारी हितलाभों में, अन्य बातों के अलावा भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, छुट्टी लाभ और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ शामिल होते हैं।

1.14.1 <u>परिभाषित अंशदायी योजनाएं</u> – वर्ष के दौरान, भविष्य निधि और पेंशन निधि में अदा/देय योग्य समूह के अंशदान को प्रोद्भूत आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई है।

1.14.2 <u>परिभाषित हितलाभ योजनाएं</u> – कंपनी की उपदान, अवकाश लाभों, सेवानिवृत्ति के बाद के हितलाभों के संबंध में देयताएं, अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय वर्ष के अंत में बीमांकन मूल्यन के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। बीमांकन लाभों एवं हानियों को उसके उत्पन्न होने वाले वर्ष की लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

1.14.3 अंशकालिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष की लाभ एवं हानि विवरण में बट्टा न काटी गई राशि के व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

1.14.4 उपदान, अवकाश नकदीकरण और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों की भविष्य निधि के संबंध में देयताएं उनके मूल संगठनों की निबंधनों एवं शर्तों के आधार पर खाते में शामिल किया जाता है।

1.15 पट्टा

पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को ऑपरेटिंग पट्टा कहा जाता है, जहां स्वामित्व के अधिकांश भाग का जोखिम और लाभ पट्टेदार द्वारा रखा जाता है। पट्टा करार के आधार पर पट्टे की अवधि की पट्टे के किरायों को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। आरंभिक प्रत्यक्ष लागत उसी अवधि की लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित की जाती है, जिसमें यह लागत लगती है।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या 2 : शेयर पूंजी (राशि रुपए में)

शेयर पूंजी	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अधिकृत प्रत्येक 1000/–रुपए के इक्विटी शेयर	2,00,00,000	20,00,00,00,000	2,00,00,000	20,00,00,00,000
जारी एवं अभिदत्त* प्रत्येक 1000/–रुपए के इक्विटी शेयर	60,00,000	6,00,00,00,000	60,00,000	6,00,00,00,000
पूर्णप्रदत्त प्रत्येक 1000/–रुपए के इक्विटी शेयर	20,40,000	2,04,00,00,000	10,33,500	1,03,35,00,000
कुल	**20,40,000**	**2,04,00,00,000**	**10,33,500**	**1,03,35,00,000**

* ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम के अंशदाताओं ने प्रत्येक 1000/–रुपए के 60,00,000 इक्विटी शेयरों का अंशदान किया, जिसमें से प्रत्येक 1000/–रुपए के 20,40,000 इक्विटी शेयर अभिदत्त और पूर्णप्रदत्त हैं।

क) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ एवं अंत में बकाया शेयरों का समाधान

विवरण	2015-16		2014-15	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में लंबित शेयर	10,33,500	1,03,35,00,000	4,20,000	42,00,00,000
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	10,06,500	1,00,65,00,000	6,13,500	61,35,00,000
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**20,40,000**	**2,04,00,00,000**	**10,33,500**	**1,03,35,00,000**

ख) कंपनी ने शेयरधारकों की शेयरधारिता के अनुपात पर मत डालने के अधिकार के साथ केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर जारी किए हैं। शेयरधारकों की बैठक में मताधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक, समय–समय पर घोषित किए जाने वाले लाभांश प्राप्ति के भी हकदार हैं (कृपया वित्तीय वर्ष 2014–15 तक लाभांश घोषित करने से संबंधित प्रतिबंध हेतु टिप्पणी संख्या 25.27 देखें क्योंकि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत है)।

ग) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का ब्यौरा

शेयरधारकों का नाम	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	20,40,000	100	10,33,500	100

घ) 31.03.2016 तिथि से तुरंत पांच वर्ष पहले की अवधि के दौरान, अनुबंध (धों) के अनुसरण में, कंपनी ने बिना नकदी भुगतान प्राप्त किए, कोई भी पूर्णतः प्रदत्त शेयर और न ही काई भी पूर्णतः प्रदत्त शेयर बोनस के माध्यम से आवंटित किए हैं और न ही शेयरों के किसी भी वर्ग को वापस खरीदा है।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या 3 : रिजर्व एवं अधिशेष (राशि रुपए में)

रिजर्व एवं अधिशेष	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष/(घाटा)		
वर्ष के आरंभ में शेष	65,30,611	(9,94,39,417)
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	19,10,14,440	10,59,70,028
घटाएं : पिछले वर्षों के अनुदान लेखा में अंतरित	(30,85,276)	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि :	**19,44,59,775**	**65,30,611**
विनियोजन :		
घटाएं : प्रस्तावित लाभांश (राशि 9.36/-रुपए प्रति शेयर)(पिछले वर्ष शून्य रुपए)]	(1,91,01,444)	-
घटाएं : प्रस्तावित लाभांश पर कर	(38,88,605)	-
लाभ एवं हानि विवरण में निवल अधिशेष/(घाटा)	**17,14,69,726**	**65,30,611**

टिप्पणी संख्या 4 : दीर्घावधि उधार

दीर्घावधि उधार	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
प्रतिभूत भारतीय स्टेट बैंक से सावधि ऋण (ब्याज – 9.30 प्रतिशत प्रति वर्ष (एसबीआई का फ्लोटिंग बेस रेट), 30.06.2017 (एक वर्ष की स्थगन अवधि के उपरांत) से 87.5 लाख प्रत्येक 56 समान तिमाही किश्तों में पुनर्भुगतान आरंभ। कंपनी के बड़ी, राजस्थान में 10 मेगावाट सौर पीवी संयंत्र से संबंधित वर्तमान एवं भविष्य से संबंधित स्थायी परिसंपत्तियों (चल एवं अचल), प्राप्यों तथा लेखों के प्रथम चार्ज से बंधक एवं गिरवी से प्रतिभूत ।	24,63,20,000	-
कुल	**24,63,20,000**	**-**

कंपनी को एचडीएफसी बैंक से सभी वर्तमान एवं भविष्य में प्राप्त होने वाले प्राप्यों के मालबंधन की एवज में 50 करोड़ रुपए की गैर निधि सुविधा की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

कंपनी को भारतीय स्टेट बैंक से सभी वर्तमान एवं भविष्य की परिसंपत्तियों, प्रतिभूतियों तथा प्राप्यों के मालबंधन की एवज में 50 करोड़ रुपए की गैर निधि सुविधा की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

टिप्पणी संख्या 5 : अन्य दीर्घावधि देयताएं

अन्य दीर्घावधि देयताएं	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
प्रतिभूति जमा	77,25,128	-
पूंजी ऋणदाता	5,63,03,641	-
कुल	**6,40,28,769**	**-**

टिप्पणी संख्या 6 : दीर्घावधि प्रावधान

दीर्घावधि प्रावधान	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	49,34,407	43,18,431
अर्ध वेतन अवकाश के लिए प्रावधान	21,75,544	17,28,209
उपदान के लिए प्रावधान	29,46,157	17,24,587
अन्य सेवानिवृत्ति उपरांत हितलाभों के लिए प्रावधान	28,99,076	61,40,376
सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना के लिए प्रावधान	9,61,486	6,26,327
कुल	**1,39,16,670**	**1,45,37,930**

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या 7 : व्यापार देय

व्यापार देय	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
व्यापार देय	1,17,46,11,492	2,32,26,577
कुल	**1,17,46,11,492**	**2,32,26,577**

टिप्पणी संख्या 8 : अन्य वर्तमान देयताएं

वर्तमान देयताएं	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
संवितरण के लिए सब्सिडी	2,46,23,34,249	1,17,45,34,001
एमएनआरआई से सब्सिडी	1,28,338	4,88,19,120
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	6,19,85,320	11,97,64,079
शुल्क एवं कर	51,84,639	1,11,69,139
प्रतिभूति जमा	2,21,29,585	66,11,235
देय सब्सिडी	-	4,74,89,080
सौर विद्युत की खरीद के लिए देय	67,23,02,985	7,43,79,648
भुगतान प्रतिभूति निधि	84,13,65,856	5,36,00,900
अन्य देय	20,84,31,049	59,38,302
कुल	**4,27,38,62,021**	**1,54,23,05,504**

टिप्पणी संख्या 8.1 : भुगतान प्रतिभूति निधि

भुगतान प्रतिभूति निधि	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
वर्ष के आरंभ में शेष	5,36,00,900	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	83,62,39,402	5,36,00,900
वर्ष के दौरान समायोजन	(4,84,74,446)	-
वर्ष के अंत में शेष	84,13,65,856	5,36,00,900

टिप्पणी संख्या 9 : अल्पावधि प्रावधान

अल्पावधि प्रावधान	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	11,83,891	6,60,172
अर्ध वेतन अवकाश के लिए प्रावधान	2,72,022	2,58,024
उपदान के लिए प्रावधान	18,351	11,213
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना के लिए प्रावधान	2,071	110
प्रतिनियुक्त कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	11,93,165	6,86,798
कार्यनिष्पादन संबंधित वेतन के लिए प्रावधान	1,64,00,000	-
देय प्रस्तावित लाभांश	1,91,01,444	-
कॉर्पोरेट लाभांश पर देय कर के लिए प्रावधान	38,88,605	-
कुल	**4,20,59,549**	**16,16,317**

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या 10 : स्थायी परिसंपत्तियां

वित्तीय वर्ष 2015–16

(राशि रुपए में)

विवरण	सकल खंड लागत पर				मूल्यह्रास एवं परिशोधन					निवल खंड	
	31.03.2015 को	परिवर्धन	बिक्री / समायोजन	31.03.2016 को कुल	01.04.2015 को	समायोजन	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौती	31.03.2016 को कुल	31.03.2016 को	31.03.2015 को
मूर्त परिसंपत्तियां											
संयंत्र एवं मशीनरी	-	57,68,11,758	-	57,68,11,758	-	-	91,880	-	91,880	57,67,19,878	-
पट्टा भूमि	-	1,92,87,300	-	1,92,87,300	-	-	2,34,095	-	2,34,095	1,90,53,205	-
भवन	-	71,41,553	-	71,41,553	-	-	1,138	-	1,138	71,40,415	-
कंप्यूटर											
कंप्यूटर–प्रयोक्ता	35,66,045	20,94,909	(7,300)	56,53,654	19,55,709	-	12,88,709	(7,300)	32,37,118	24,16,536	16,10,336
कंप्यूटर–सर्वर एवं नेटवर्क	1,00,485	-	-	1,00,485	19,281	-	15,889	-	35,170	65,315	81,204
कार्यालय उपकरण	34,86,394	9,36,304	(81,940)	43,40,758	9,67,581	-	7,93,941	(57,088)	17,04,434	26,36,324	25,18,813
फर्नीचर एवं फिक्सचर	7,49,924	2,66,060	(11,734)	10,04,250	1,19,599	-	87,424	(7,541)	1,99,482	8,04,768	6,30,325
मोटर वाहन	78,84,320	-	-	78,84,320	16,46,553	-	9,57,730	-	26,04,283	52,80,037	62,37,767
(क) कुल मूर्त परिसंपत्तियां	**1,57,87,168**	**60,65,37,884**	**(1,00,974)**	**62,22,24,078**	**47,08,723**	**-**	**34,70,806**	**(71,929)**	**81,07,600**	**61,41,16,478**	**1,10,78,445**
अमूर्त परिसंपत्तियां											
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	41,54,264	9,53,452	(15,977)	50,91,739	12,13,164	3,109	9,17,410	(6,441)	21,27,242	29,64,497	29,41,100
(ख) कुल अमूर्त परिसंपत्तियां	**41,54,264**	**9,53,452**	**(15,977)**	**50,91,739**	**12,13,164**	**3,109**	**9,17,410**	**(6,441)**	**21,27,242**	**29,64,497**	**29,41,100**
कुल योग (क + ख)	**1,99,41,432**	**60,74,91,336**	**(1,16,951)**	**62,73,15,817**	**59,21,887**	**3,109**	**43,88,216**	**(78,370)**	**1,02,34,842**	**61,70,80,975**	**1,40,19,545**

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या 10 : स्थायी परिसंपत्तियां

वित्तीय वर्ष 2014–15

(राशि रुपए में)

विवरण	सकल खंड लागत पर				मूल्यह्रास एवं परिशोधन				निवल खंड	
	01.04.2014 को	परिवर्धन	बिक्री / समायोजन	31.03.2015 को कुल	01.04.2014 को	समायोजन	वर्ष के लिए	31.03.2015 को कुल	31.03.2015 को	31.03.2014 को
मूर्त परिसंपत्तियां										
कंप्यूटर										
कंप्यूटर–प्रयोक्ता	29,65,685	6,00,360	-	35,66,045	5,48,332	-	14,07,377	19,55,709	16,10,336	24,17,353
कंप्यूटर–सर्वर एवं नेटवर्क	1,00,485	-	-	1,00,485	3,392	-	15,889	19,281	81,204	97,093
कार्यालय उपकरण	34,33,509	52,885	-	34,86,394	2,90,361	-	6,77,220	9,67,581	25,18,813	31,43,148
फर्नीचर एवं फिक्सचर	4,82,223	2,67,701	-	7,49,924	53,889	-	65,710	1,19,599	6,30,325	4,28,334
मोटर वाहन	78,84,320	-	-	78,84,320	6,88,823	-	9,57,730	16,46,553	62,37,767	71,95,497
(क) कुल मूर्त परिसंपत्तियां	**1,48,66,222**	**9,20,946**	**-**	**1,57,87,168**	**15,84,797**	**-**	**31,23,926**	**47,08,723**	**1,10,78,445**	**1,32,81,425**
अमूर्त परिसंपत्तियां										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	34,42,165	7,12,099	-	41,54,264	4,71,692	-	7,41,472	12,13,164	29,41,100	29,70,473
(ख) कुल अमूर्त परिसंपत्तियां	**34,42,165**	**7,12,099**	**-**	**41,54,264**	**4,71,692**	**-**	**7,41,472**	**12,13,164**	**29,41,100**	**29,70,473**
कुल योग (क + ख)	**1,83,08,387**	**16,33,045**	**-**	**1,99,41,432**	**20,56,489**	**-**	**38,65,398**	**59,21,887**	**1,40,19,545**	**1,62,51,898**

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या 11 : पूंजीगत कार्य प्रगति में (राशि रुपए में)

पूंजीगत कार्य प्रगति में	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
आवंटन के लिए लंबित व्यय :		
पंजीकरण प्रभार	5,61,800	11,23,600
यात्रा व्यय	-	37,127
कुल	**5,61,800**	**11,60,727**

टिप्पणी संख्या 12 : गैर–वर्तमान निवेश

गैर–वर्तमान निवेश	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
इक्विटी शेयर, पूर्ण–प्रदत्त (अउद्धृत) में व्यापार निवेश		
(संयुक्त उद्यम कंपनी – आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में मूल मूल्य पर 50 प्रतिशत इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10/–रुपए अंकित मूल्य वाले 50,000 शेयर))	5,00,000	5,00,000
(संयुक्त उद्यम कंपनी– रिन्यूबल पावर कारपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड में मूल मूल्य पर 50 प्रतिशत इक्विटी शेयर (प्रत्येक 1000/–रुपए अंकित मूल्य वाले 5,000 शेयर)	50,00,000	-
(संयुक्त उद्यम कंपनी– कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में मूल मूल्य पर 50 प्रतिशत इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10/–रुपए अंकित मूल्य वाले 5,00,000 शेयर))	50,00,000	-
(संयुक्त उद्यम कंपनी– लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में मूल मूल्य पर 50 प्रतिशत इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10/–रुपए अंकित मूल्य वाले 5,00,000 शेयर))	50,00,000	-
(संयुक्त उद्यम कंपनी– रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड में मूल मूल्य पर 50 प्रतिशत इक्विटी शेयर (प्रत्येक 1,000/–रुपए अंकित मूल्य वाले 10,000 शेयर)	1,00,00,000	-
कुल	**2,55,00,000**	**5,00,000**

टिप्पणी संख्या 13 : दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
प्रतिभूत, ठीक माने गए		
ठेकेदारों को अग्रिम	1,18,34,415	-
अप्रतिभूत, ठीक माने गए		
पूंजी अग्रिम	95,33,54,613	69,89,23,319
प्रतिभूति जमा	1,05,200	1,63,29,520
कर जमा	2,56,38,711	3,32,57,503
कुल	**99,09,32,939**	**74,85,10,342**

टिप्पणी संख्या 14 : अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
सावधि जमा उद्दिष्ट (बिक्री कर गारंटी)	3,00,000	3,00,000
कुल	**3,00,000**	**3,00,000**

टिप्पणी संख्या 15 : व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
भुगतान के लिए देय तिथि से छहः महीने से कम अवधि से लंबित व्यापार प्राप्य		
अप्रतिभूत, ठीक माने गए	1,34,15,17,446	9,79,26,123
	-	-
भुगतान के लिए देय तिथि से छहः महीने से अधिक अवधि से लंबित व्यापार प्राप्य		
अप्रतिभूत, ठीक माने गए	21,09,379	24,29,281
कुल	**1,34,36,26,825**	**10,03,55,404**

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या 16 : नकदी एवं बैंक शेष

नकदी एवं बैंक शेष	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
नकदी एवं नकदी समतुल्य		
बैंक में शेष		
बचत खाता	-	27,99,754
चालू खाता	1,25,04,05,691	9,21,52,193
अन्य बैंक शेष		
सावधि जमा	2,55,88,83,497	1,61,76,45,157
कुल	**3,80,92,89,188**	**1,71,25,97,104**

टिप्पणी संख्या 17 : अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
अप्रतिभूत, ठीक माने गए		
ऋण एवं अग्रिम		
स्टाफ अग्रिम	3,91,983	49,000
वसूलीयोग्य राशि	1,98,43,524	1,14,24,748
पूर्वदत्त व्यय	5,72,951	7,12,458
प्रतिभूति जमा	1,62,24,320	-
कर जमा	1,04,37,736	9,16,873
कुल	**4,74,70,514**	**1,31,03,079**

टिप्पणी संख्या 18 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	31.03.2016 को राशि	31.03.2015 को राशि
प्रोदभूत ब्याज परंतु देय नहीं	6,78,30,972	4,23,16,246
राजस्व जिसकी बिलिंग नहीं की गई – सौर विद्युत	1,14,75,34,302	7,50,62,030
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	2,39,92,961	-
कुल	**1,23,93,58,235**	**11,73,78,276**

टिप्पणी संख्या 19 : प्रचालनों से राजस्व

प्रचालनों से राजस्व	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
सौर विद्युत की बिक्री	5,29,47,46,253	7,50,62,030
परामर्शी एवं परियोजना निगरानी फीस	38,74,02,426	25,22,26,554
निष्पादित कार्य परियोजनाएं	35,28,248	4,67,23,464
अन्य प्रचालन आय	5,33,50,558	19,71,782
कुल	**5,73,90,27,485**	**37,59,83,830**

टिप्पणी संख्या 20 : अन्य आय

अन्य आय	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय	5,14,42,988	2,03,18,969
अन्य गैर–प्रचालन आय	7,54,385	46,62,546
कुल	**5,21,97,373**	**2,49,81,515**

टिप्पणी संख्या 21 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

कर्मचारी हितलाभ व्यय	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
वेतन,मजदूरी, भत्ते एवं हितलाभ	6,62,42,625	4,86,17,286
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में योगदान	96,38,361	88,24,101
स्टाफ कल्याण व्यय	8,18,423	7,11,030
कुल	**7,66,99,409**	**5,81,52,417**

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या 22 : वित्तीय लागत

वित्तीय लागत	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
आवधिक ऋण पर ब्याज	62,761	-
कुल	**62,761**	**-**

टिप्पणी संख्या 23 : अन्य व्यय (राशि रुपए में)

अन्य व्यय	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
किराया	4,64,23,183	4,93,41,076
भवन की मरम्मत एवं अनुरक्षण	54,87,052	57,93,816
सुरक्षा एवं श्रमशक्ति व्यय	95,78,955	82,71,043
वाहन रनिंग व्यय	26,82,254	16,32,187
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	20,67,171	10,75,925
यात्रा एवं वाहन व्यय	1,07,32,579	52,47,882
विज्ञापन एवं प्रचार	2,00,20,584	29,09,338
संचार व्यय	21,23,680	22,85,670
अतिथि गृह व्यय	-	3,50,973
पानी, विद्युत व बिजली प्रभार	6,39,944	9,54,885
न्यायिक एवं पेशेवर प्रभार	42,98,691	41,96,947
अन्य मरम्मत एवं अनुरक्षण	19,27,520	9,39,449
मुद्रण, डाक एवं अनुरक्षण	28,12,083	8,00,150
बैठक व्यय	18,10,743	8,84,961
लाइसेंस फीस	18,27,000	6,06,000
बैंक प्रभार	57,502	30,774
बीमा व्यय	2,81,990	1,93,861
व्यावसायिक पुस्तकें व जर्नल्स	53,597	64,525
बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों पर हानि	28,231	-
प्रायोजन व्यय	78,49,238	44,500
एनबीसीसी किदवई नगर को ब्याज	-	47,71,828
स्थापना दिवस व्यय	19,32,946	-
सहायता सेवा प्रभार	80,68,713	-
विविध व्यय	2,84,981	9,16,448
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक		
लेखापरीक्षा फीस	68,700	60,000
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	6,870	6,000
अन्य व्यय के लिए	-	10,000
कुल	**13,10,64,207**	**9,13,88,238**

टिप्पणी संख्या 24 : पूर्व अवधि मदें (निवल)

पूर्व अवधि मदें (निवल)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
यात्रा व्यय	-	4,39,374
कर्मचारी हितलाभ व्यय	36,00,000	-
विविध व्यय (आय)	1,23,109	(2,00,000)
कुल	**37,23,109**	**2,39,374**

25 वित्तीय विवरण टिप्पणियां :

25.1 'लेखांकन नीतियों के प्रकटन पर' लेखांकन मानक (एएस)–1 के अनुसार प्रकटीकरण

क्रम संख्या 1.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.6, 1.9.7, 1.14.3, 1.14.4 तथा 1.15 में दी गई लेखांकन नीतियां लेखांकन मानकों तथा लागू सीईआरसी आदेशों/दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए जोड़ ली गई हैं। इन्हें जोड़े जाने से, लाभ पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं हुआ है।

25.2 'नकदी प्रवाह विवरण' पर लेखांकन मानक (एएस)–3 के अनुसार प्रकटीकरण

लेखांकन मानक (एएस–3) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार नकदी प्रवाह सूचित किए गए हैं।

25.3 'निर्माण संविदाओं' पर लेखांकन मानक (एएस)–7 के अनुसार प्रकटीकरण

क्र.सं.	विवरण	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार
1	अवधि में राजस्व के रूप में मान्य संविदा राजस्व	35,28,248	4,67,23,464
2	परिसंपत्ति के रूप में प्रस्तुत संविदा कार्य के लिए ग्राहकों द्वारा देय सकल धनराशि	शून्य	शून्य
3	देयता के रूप में प्रस्तुत संविदा कार्य के लिए ग्राहकों द्वारा देय सकल धनराशि	11,19,722	11,19,722

25.4 'विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव' पर लेखांकन मानक (एएस)–11 के अनुसार प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार–चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है :–

लाभ एवं हानि विवरण में नामे किए गए विनिमय अंतर (निवल) की राशि 1,729/– रूपए है। (पिछले वर्ष यह 382/– रुपए क्रेडिट (निवल) थी)।

25.5 कर्मचारी हितलाभ पर लेखांकन मानक (एएस)–15 के अनुसार प्रकटीकरण

विविध प्रकार के परिभाषित कर्मचारी हितलाभों का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है :–

25.1.1 परिभाषित अंशदायी योजनाएं :

25.1.1.1 भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान

कंपनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भविष्य निधि के रूप में पूर्व निर्धारित दरों पर नियत अंशदान का भुगतान किया जाता है। लाभ एवं हानि विवरण में निम्नानुसार यह राशि व्यय के रूप में (प्रशासन प्रभार सहित) दर्शाई जाती है :–

(राशि रुपए में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अदा की गई राशि	43,51,796	33,47,825
प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मूल संगठन को अदा की गई राशि	6,11,606	4,84,532
घटाएं : अनुदान / पूंजीयन में अंतरित	7,87,957	–––
लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाई गई राशि	41,75,445	38,32,357

* प्रशासनिक प्रभारों सहित ।

25.5.1.2 सेवानिवृत्ति योजना में नियोक्ता का अंशदान :

कंपनी के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्त योजना 1 जून, 2012 से प्रभावी है तथा वर्तमान वर्ष के दौरान इसका अनुमोदन एमएनआरई द्वारा किया गया है। योजना के अनुसार कंपनी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को पूर्व निर्धारित दरों पर नियत अंशदान का भुगतान किया जाता है। वर्ष के दौरान, भारतीय जीवन बीमा निगम को अदा किए गए 32,40,135/– रुपए (पिछले वर्ष 23,03,133/– रुपए) के भुगतान को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

25.5.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं :

25.5.2.1 उपदान :

कंपनी में परिभाषित उपदान योजना है। पांच वर्ष अथवा अधिक अवधि की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, सेवा त्याग, बर्खास्तगी, अशक्तता अथवा मृत्यु होने की स्थिति में अधिकतम 10 लाख रुपए की सीमा के साथ प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (15/26 गुणा अंतिम प्राप्त मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता) का उपदान प्राप्त करने का हकदार है। उपदान के लिए प्रदान की जाने वाली देयताओं का प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। यह देयता गैर निधियन है।

25.5.2.2 अर्जित अवकाश नकदीकरण

कंपनी में कर्मचारियों के लिए परिभाषित अवकाश नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत कुछ कतिपय सीमाओं एवं इसके लिए निर्धारित अन्य शर्तों पर वे अवकाश का नकदीकरण करवाने के पात्र हैं। अवकाश नकदीकरण के प्रति देयता के प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किए गए हैं। यह देयता गैर निधियन है।

25.5.2.3 अर्द्ध वेतन अवकाश नकदीकरण

कंपनी में कर्मचारियों के लिए अर्द्ध वेतन अवकाश नकदीकरण योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत कुछ कतिपय सीमाओं तथा इसके लिए निर्धारित अन्य शर्तों पर वे अवकाश का नकदीकरण करवाने के पात्र हैं। अवकाश नकदीकरण के प्रति देयता के प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किए गए हैं। यह देयता गैर निधियन है।

25.5.2.4 सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना :

कंपनी द्वारा सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनके जीवन साथी को कंपनी के अस्पताल/ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अर्थात प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। कंपनी द्वारा तय की गई सीमा तक वे बाह्य रोगी के रूप में भी अपना उपचार करवा सकते हैं। सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा व्ययों के प्रति देयताओं को उनके वास्तविक मूल्यांकन (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से अनुमोदन प्रतीक्षित) के आधार पर दर्शाया गया है। यह देयता गैर निधियन है।

25.5.2.5 सेवानिवृत्ति ऊपरांत अधिवर्षिता हितलाभ

कर्मचारियों के वेतनमानों (आईडीए पैटर्न) के संशोधन के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों में मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत तक अधिवर्षिता लाभ प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें सीपीएफ, उपदान, अधिवर्षिता ऊपरांत चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन शामिल है। दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को अपनी योजनाएं स्वयं बनानी होती हैं। सेवानिवृत्ति ऊपरांत अधिवर्षिता लाभ के लिए किए गए 13,02,627/– रुपए (पिछले वर्ष 11,18,239/– रुपए) के प्रावधान में से मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 30 प्रतिशत की बकाया राशि तथा उसमें से 9,03,065/– रुपए इस वर्ष संबंधित अनुदान में अंतरित/पूंजीयन किए गए हैं। यह देयता गैर निधियन है।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग के ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कंपनी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के अलावा अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित कर्मचारी हितलाभ प्रदान किए जा रहे हैं :–

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	2015–16	2014–15
1.	परिभाषित अंशदायी योजना – भविष्य निधि	38,88,161	30,61,400
2.	परिभाषित अंशदायी योजना – पेंशन	32,40,134	23,03,133
3.	परिभाषित लाभ योजना – अधिवर्षिता	9,52,360	8,40,690
4.	परिभाषित लाभ योजना – सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना	3,37,120	3,30,037
5.	सेवानिवृत्ति ऊपरांत अन्य हितलाभ	13,02,627	11,18,239
	मूल + महंगाई भत्ता = 3,24,01,341/– X 30 प्रतिशत (पिछले वर्ष : 2,55,11,663/– X 30 प्रतिशत)	**97,20,402**	**76,53,499**

25.5.3 वास्तविक मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाए गए महत्वपूर्ण पूर्वानुमान निम्नानुसार हैं :

25.5.3.1 आर्थिक पूर्वानुमान

विवरण	अर्जित अवकाश, अर्द्ध वेतन अवकाश, उपदान तथा सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा हितलाभ	
	2015–16	2014–15
i) प्रतिवर्ष (प्रतिशत) रियायत दर	8.00	8.00
ii) प्रतिवर्ष भावी वेतन वृद्धि (प्रतिशत)	6.00	6.00

25.5.3.2 डेमोग्राफिक पूर्वानुमान

i) सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60
ii) मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2006–08)	
iii) आयु	प्रत्याहरण	
	दर (प्रतिशत)	
30 वर्ष तक	3	3
31 से 44 वर्ष तक	2	2
44 वर्ष से अधिक	1	1

भावी वेतन वृद्धि के अनुमान वास्तविक मूल्यांकन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार बाजार में मांग एवं आपूर्ति जैसे अन्य संबधित घटकों पर विचार करते हुए लगाए गए हैं।

25.5.4 लाभ एवं हानि तथा तुलन पत्र में दर्शाए गए विभिन्न परिभाषित हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है :–

25.5.4.1 दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन – अवकाश लाभ

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	अर्जित अवकाश		अर्द्ध वेतन अवकाश	
		2015–16	2014–15	2015–16	2014–15
क)	अवधि के प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	49,78,603	27,12,996	19,86,233	11,93,552
ख)	अधिग्रहण समायोजन	94,407	74,029	9,938	26,488
ग)	ब्याज लागत	3,98,288	2,30,605	1,58,899	1,01,452
घ)	पूर्व सेवा लागत	–	–	–	–
ङ)	वर्तमान सेवा लागत	20,05,956	25,56,710	8,12,893	10,48,759
च)	अदा लाभ	(3,80,633)	(2,73,010)	–	–
छ)	देयताओं पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(9,78,323)	(3,22,727)	(5,20,397)	(3,84,018)
ज)	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	61,18,298	49,78,603	24,47,566	19,86,233

25.5.4.2 तुलन पत्र में दर्शाई जाने वाली राशियां तथा संबंधित विश्लेषण – अवकाश लाभ

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	अर्जित अवकाश		अर्ध वेतन अवकाश	
		2015–16	2014–15	2015–16	2014–15
क)	अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	61,18,298	49,78,603	24,47,566	19,86,233
ख)	अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–
ग)	निधियन स्थिति	(61,18,298)	(49,78,603)	(24,47,566)	(19,86,233)
घ)	तुलन पत्र में दर्शाई गई निवल परिसंपत्तियां/(देयताएं)	(61,18,298)	(49,78,603)	(24,47,566)	(19,86,233)

25.5.4.3 लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाए गए व्यय – अवकाश लाभ

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	अर्जित अवकाश		अर्ध वेतन अवकाश	
		2015–16	2014–15	2015–16	2014–15
क)	चालू सेवा लागत	20,05,956	25,56,710	8,12,893	10,48,759
ख)	पूर्व सेवा लागत	–	–	–	–
ग)	ब्याज लागत	3,98,288	2,30,605	1,58,899	1,01,452
घ)	योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	–	–	–	–
ङ)	अवधि के दौरान मान्य निवल (लाभ)/हानि	(9,78,323)	(3,22,727)	(5,20,397)	(3,84,018)
च)	अनुदान में अंतरित	(61,953)	–	–	–
छ)	परियोजना में पूंजीयन	(2,87,819)	–	–	–
ज)	लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाए गए व्यय	10,76,149	24,64,588	4,51,395	7,66,193

25.5.4.4 देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन – सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना एवं उपदान लाभ

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना		उपदान	
		2015–16	2014–15	2015–16	2014–15
क)	अवधि के प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	6,26,437	2,96,400	17,35,800	8,95,110
ख)	अधिग्रहण समायोजन	–	–	2,76,348	–
ग)	ब्याज लागत	50,115	25,194	1,38,864	76,084
घ)	पूर्व सेवा लागत	–	–	–	–
ङ)	वर्तमान सेवा लागत	3,80,899	2,99,428	11,02,619	8,25,531
च)	अदा लाभ	–	–	–	–
छ)	देयताओं पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(93,894)	5,415	(2,89,123)	(60,925)
ज)	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	9,63,557	6,26,437	29,64,508	17,35,800

25.5.4.5 तुलन पत्र में दर्शाई जाने वाली राशियां तथा संबंधित विश्लेषण – सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना एवं अनुदान लाभ

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना		उपदान	
		2015–16	2014–15	2015–16	2014–15
क)	अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	9,63,557	6,26,437	29,64,508	17,35,800
ख)	अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–
ग)	निधियन स्थिति	(9,63,557)	(6,26,437)	(29,64,508)	(17,35,800)
घ)	तुलन पत्र में दर्शाई गई निवल परिसंपत्तियां/(देयताएं)	(9,63,557)	(6,26,437)	(29,64,508)	(17,35,800)

25.5.4.6 लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाए गए व्यय – सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना एवं अनुदान लाभ

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना		उपदान	
		2015–16	2014–15	2015–16	2014–15
क)	चालू सेवा लागत	3,80,899	2,99,428	11,02,619	8,25,531
ख)	पूर्व सेवा लागत	–	–	–	–
ग)	ब्याज लागत	50,115	25,194	1,38,864	76,084
घ)	योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	–	–	–	–
ङ)	अवधि के दौरान मान्य निवल (लाभ)/हानि	(93,894)	5,415	(2,89,123)	(60,925)
च)	लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाए गए व्यय	3,37,120	3,30,037	9,52,360	10,57,793

25.5.4.7 सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना की चिकित्सा लागत पर एक प्रतिशत प्वाइंट वृद्धि/कमी का प्रभाव निम्नानुसार होगा :

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	2015–16		2014–15	
		वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
क)	सेवा तथा ब्याज लागत	1,83,817	(1,10,170)	1,33,007	(80,075)
ख)	देयता का वर्तमान मूल्य	3,90,419	(2,35,506)	2,61,237	(1,52,634)

25.5.5 अन्य प्रकटीकरण :

25.5.5.1 उपदान

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	29,64,508	17,35,800	8,95,110	1,84,470
योजनागत परिसंपत्तियां	–	–	–	–
अधिशेष/(कमी)	(29,64,508)	(17,35,800)	(8,95,110)	(1,84,470)
योजनागत देयताओं का सक्रिय समायोजन –(हानि)/लाभ	2,89,123	58,811	(19,710)	–
योजनागत परिसंपत्तियों का सक्रिय समायोजन –(हानि)/लाभ	–	–	–	–

25.5.5.2 **अर्जित अवकाश**

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	61,18,298	49,78,603	27,12,996	3,94,186
योजनागत परिसंपत्तियां	–	–	–	–
अधिशेष / (कमी)	(61,18,298)	(49,78,603)	(27,12,996)	(3,94,186)
योजनागत देयताओं का सक्रिय समायोजन –(हानि) / लाभ	9,78,323	3,17,307	22,407	–
योजनागत परिसंपत्तियों का सक्रिय समायोजन –(हानि) / लाभ	–	–	–	–

25.5.5.3 **अर्ध वेतन अवकाश**

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	24,47,566	19,86,233	11,93,552	1,80,984
योजनागत परिसंपत्तियां		–	–	
अधिशेष / (कमी)	(24,47,566)	(19,86,233)	(11,93,552)	(1,80,984)
योजनागत देयताओं का सक्रिय समायोजन –(हानि) / लाभ	5,20,397	3,81,866	54,037	–
योजनागत परिसंपत्तियों का सक्रिय समायोजन –(हानि) / लाभ	–	–	–	–

25.5.5.4 **सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना**

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	9,63,557	6,26,437	2,96,400	91,582
योजनागत परिसंपत्तियां	–	–	–	–
अतिरेक / (न्यूनता)	(9,63,557)	(6,26,437)	(2,96,400)	(91,582)
योजनागत देयताओं का सक्रिय समायोजन –(हानि) / लाभ	93,894	(33,796)	22,159	–
योजनागत परिसंपत्तियों का सक्रिय समायोजन –(हानि) / लाभ	–	–	–	–

25.6 'ऋण लागतों' पर लेखांकन मानक (एएस)–16 के अनुसार प्रकटीकरण:–

वर्ष के दौरान, ऋण लागतों पर किया पूंजीयन 1,89,567/– रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) है।

25.7 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' पर लेखांकन मानक (एएस)–17 के अनुसार प्रकटीकरण:–

सेगमेंट सूचना

25.7.1 व्यवसाय सेगमेंट

कंपनी का मूल व्यवसाय विद्युत ट्रेडिंग है। अन्य व्यवसायों में परामर्श, परियोजना प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण उपलब्ध करवाना शामिल है।

25.7.2 सेगमेंट राजस्व एवं व्यय

सेगमेंट के तौर पर प्रत्यक्ष निश्चित किए जाने वाले राजस्व 'सेगमेंट राजस्व' माना गया है। सेगमेंट से प्रत्यक्ष संबध वाले व्यय एवं औचित्यपरक आधार पर निर्धारित सामान्य व्यय को 'सेगमेंट व्यय' माना गया है।

25.7.3 सेगमेंट परिसंपत्तियां एवं देयताएं

सेगमेंट परिसंपत्तियों में निवल स्थायी परिसंपत्तियों एवं वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों से युक्त संबंधित सेगमेंटों की सभी प्रचालनात्मक परिसंपत्तियां शामिल की गई हैं। सेगमेंट देयताओं में प्रचालनात्मक देयताएं एवं प्रावधान शामिल हैं।

25.7.4 कंपनी का प्रचालन मुख्यत देश में ही किया गया है तथा तदनुसार सूचित किए जाने योग्य कोई भौगोलिक सेगमेंट नहीं है।

25.7.5 सेगमेंट रिपोर्टिंग

विवरण	व्यवसाय सेगमेंट					
	ऊर्जा ट्रेडिंग		परामर्श एवं परियोजना प्रबंधन		कुल	
	2015–16	2014–15	2015–16	2014–15	2015–16	2014–15
सेगमेंट						
प्रचालन से राजस्व	5,29,47,46,150	7,50,62,030	38,74,02,426	25,22,26,554	5,68,21,48,576	32,72,88,584
गैर आवंटित ब्याज एवं अन्य आय					10,90,76,282	7,36,76,761
कुल	**5,29,47,46,150**	**7,50,62,030**	**38,74,02,426**	**25,22,26,554**	**5,79,12,24,858**	**40,09,65,345**
सेगमेंट परिणाम	**3,51,14,329**	**(1,31,608)**	**32,33,78,112**	**18,49,57,093**	**35,84,92,441**	**18,48,25,485**
आवंटित न किए गए व्यय, ब्याज तथा वित्तीय प्रभार					14,28,83,469	13,93,07,864
कर पूर्व लाभ					**32,46,85,254**	**11,91,94,382**
करों के लिए प्रावधान					13,36,70,814	1,32,24,354
कर ऊपरांत लाभ					**19,10,14,440**	**10,59,70,028**
अन्य सूचना:						
सेगमेंट परिसंपत्तियां	2,62,40,93,469	13,00,55,311	1,87,70,16,287	1,40,72,62,739	4,50,11,09,756	1,53,73,18,050
गैर आवंटित परिसंपत्तियां					3,57,30,10,720	1,17,08,98,889
कुल परिसंपत्तियां					**8,07,41,20,476**	**2,70,82,16,939**
सेगमेंट देयताएं	2,69,27,65,494	12,79,80,548	2,46,77,72,001	1,27,08,42,201	5,16,05,37,495	1,39,88,22,749
गैर आवंटित देयताएं					70,21,13,255	18,28,63,579
सकल देयताएं					**5,86,26,50,750**	**1,58,16,86,328**
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	79,810	55,540	39,81,293	38,09,858	40,61,103	38,65,398
गैर आवंटित मूल्यह्रास					3,27,113	–
मूल्यह्रास के अलावा गैर–नकदी व्यय			28,231	–	28,231	–
पूंजी व्यय	–	2,52,000	42,50,725	13,81,045	42,50,725	16,33,045
गैर आवंटित पूंजी व्यय					60,32,40,611	–

25.8 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' पर लेखांकन मानक (एएस) 18 के अनुसार प्रकटीकरण

25.8.1 संबंधित पार्टियां :

25.8.1.1 संयुक्त उद्यम :

आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (एपीएसपीसीपीएल)

रिन्यूबल पावर कारपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड (आरपीसीकेएल)

कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (केएसपीडीसीपीएल)

लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एलएसपीडीसीएल)

रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (आरयूएमएसएल)

25.8.1.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

नाम	पदनाम
डा0 अश्विनी कुमार	प्रबंध निदेशक
श्री राकेश कुमार	निदेशक (विद्युत प्रणाली)
श्री सी0 कन्नन	निदेशक (वित्त)
श्री राजीव भारद्वाज	निदेशक (मानव संसाधन)
श्री शैलेश कुमार गुप्ता	कंपनी सचिव
श्री राजेन्द्र निम्जे	प्रबंध निदेशक *

* 11 दिसम्बर, 2014 तक ।

25.8.2 वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधन कार्मिक पारिश्रमिक 1,87,13,539/–रुपए (पिछले वर्ष 2,09,26,044/–रुपए) है।

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक	वर्तमान वर्ष (रुपए)	पिछले वर्ष (रुपए)
श्री राजेन्द्र निम्जे	–	24,60,360
डा0 अश्विनी कुमार	38,61,607	37,32,942
श्री राकेश कुमार	35,51,991	34,27,023
श्री सी. कन्नन	40,07,823	38,36,462
श्री राजीव भारद्वाज	42,21,954	44,32,379
श्री शैलेश कुमार गुप्ता	30,70,164	30,36,878
कुल	**1,87,13,539**	**2,09,26,044**

25.9 'पट्टों' पर लेखांकन मानक (एएस)–19 के संबंध में प्रकटीकरण

कार्यालय परिसरों तथा कर्मचारियों के आवास प्रयोग के लिए संचलित पट्टों के संबंध में कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाएं की गई हैं।

कर्मचारियों के आवास प्रयोग के संबंध में की गई पट्टा व्यवस्थाएं निरसन योग्य नहीं हैं तथा सामान्यतः आपसी सहमत शर्तों पर इनका नवीकरण किया जाता है। कर्मचारी हितलाभ व्ययों में कर्मचारियों के प्रयोग हेतु परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतान, निवल वसूली के तौर पर 68,51,640/–रुपए (पिछले वर्ष 63,93,259/–रुपए) शामिल हैं।

कार्यालय परिसरों के संबंध में किए गए सकल पट्टा भुगतान की 4,86,72,960/– रुपए (पिछले वर्ष 4,86,72,960/– रुपए) की राशि {सीईएनवीएटी क्रेडिट के पूंजीयन/व्युत्क्रमण के समायोजन के पश्चात् निवल पट्टा भुगतान 4,60,96,134/– रुपए (पिछले वर्ष 4,86,72,960/–रुपए) } किराए में शामिल की गई है।

कार्यालय परिसरों के संबंध में गैर निरसन योग्य प्रचालनात्मक पट्टे के लिए भावी न्यूनतम भुगतान निम्नानुसार हैं :–

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार
एक वर्ष से अधिक नहीं	4,46,16,880	4,86,72,960
एक वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं	–	4,46,16,880
पांच वर्ष से अधिक	–	–
कुल	4,46,16,880	9,32,89,840

कार्यालय परिसर के लिए पट्टा करार 1.3.2014 से प्रभावी 3 वर्ष की अवधि के लिए तैयार किया गया था तथा इसमें प्रत्येक 3 वर्ष की समाप्ति पर 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के विकल्प के साथ अगले 3 वर्ष प्रत्येक के लिए दो बार पट्टे के नवीकरण के प्रावधान किए गए थे।

25.10 'प्रति शेयर आय' पर लेखांकन मानक (एएस)–20 के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर आय आकलन (मूल एवं तनुकृत) के लिए विचार में लाए गए घटक निम्नानुसार हैं:–

(राशि रुपए में)

विवरण	2015–16	2014–15
क) शेयरधारकों के लिए उपलब्ध निवल लाभ	19,10,14,440	10,59,70,028
ख) ईपीएस की गणना के लिए विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की संख्या	12,99,135	7,82,868
ग) डीईपीएस की गणना के लिए विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की संख्या	12,99,135	7,86,186
घ) 1000/–रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य पर प्रति शेयर मूल आय (पिछले वर्ष अंकित मूल्य 1000/– रुपए प्रत्येक)	147.03	135.36
च) 1000/–रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य पर प्रति शेयर तनुकृत आय (पिछले वर्ष अंकित मूल्य 1000/– रुपए प्रत्येक)	147.03	134.79

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए प्रति शेयर मूल एवं तनुकृत आय की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को विभाजक के तौर पर प्रयोग में लाकर किए गए, समाधान का विवरण:–

विवरण	2014–15
ईपीएस की गणना के लिए विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की संख्या	7,82,868
जोड़ें : दिनांक 18.3.2005 को आबंटन के लिए लम्बित 86,500 शेयरों के लिए प्राप्त शेयर आवेदन राशि के संबंध में भारित औसत शेयरों की संख्या	3,318
डीईपीएस की गणना के लिए विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की संख्या	7,86,186

25.11 'आय पर करों के लेखांकन' पर लेखांकन मानक (एएस)–22 के अनुसार प्रकटीकरण

(राशि रुपए में)

निम्नलिखित के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार
मूल्यह्रास	(4,26,97,444)	शून्य
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 43 बी में भुगतान आधार पर अनुमत व्यय	1,14,15,854	शून्य
वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत पूंजी अग्रिम पर दावा की गई निधियों की प्रयोज्यता	(1,65,70,659)	शून्य
कुल	(4,78,52,249)	शून्य

25.12 'संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग' पर लेखांकन मानक (एएस)–27 के अंतर्गत प्रकटीकरण

संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	निगमीकरण का देश	निम्नलिखित तिथि को स्वामित्व हित का अनुपात (शेयर आवेदन राशि को छोड़कर)	
		31.03.2016 (प्रतिशत में)	31.03.2015 (प्रतिशत में)
आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00	50.00
रिन्यूबल पावर कारपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	भारत	50.00	0
कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00	0
लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	भारत	50.00	0
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	भारत	50.00	0

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों, देयताओं, आकस्मिक देयताओं तथा पूंजीगत वचनबद्धता का अंशभाग तथा लेखापरीक्षित खातों के आधार पर संयुक्त उद्यम के संबंध में वर्ष के दौरान आय एवं व्यय (कंपनी तथा संयुक्त उद्यम यूनिटों के मध्य लेन–देन के प्रत्येक प्रभाव का निरसन किए बिना) का विवरण निम्न प्रकार है:#

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
क. परिसंपत्तियां		
• गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	88,16,79,684	73,38,700
• वर्तमान परिसंपत्तियां	1,32,61,69,932	60,84,10,902
कुल		
ख. देयताएं		
• गैर वर्तमान देयताएं	22,900	शून्य
• वर्तमान देयताएं	1,06,23,26,715	12,47,751
कुल		
ग. आकस्मिक देयताएं	1,75,00,000	शून्य
घ. पूंजीगत प्रतिबद्धता	शून्य	शून्य
च. आय	शून्य	25,62,851
छ. व्यय	शून्य	13,67,140

संयुक्त उद्यम कंपनी रिन्यूबल पावर कारपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड के प्रकटीकरण के संबंध में 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियां, देयताओं, आकस्मिक देयताओं तथा पूंजीगत प्रतिबद्धता का अंशभाग तथा वर्ष के दौरान आय एवं व्यय विवरण इस तथ्य को ध्यान में रखकर नहीं दिया गया है कि संयुक्त उद्यम कंपनी का प्रथम लेखांकन अवधि 15.1.2016 से 31.3.2017 तक होगी।

25.13 'परिसंपत्तियों की हानि' पर लेखांकन मानक (एएस)–28 के अंतर्गत प्रकटीकरण

प्रबंधन के मतानुसार, वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति में महत्वपूर्ण हानि का कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की हानि नहीं हुई है।

25.14 आकस्मिक देयताएं :

कंपनी द्वारा एनबीसीसी में वाणिज्यिक एवं आवासीय स्थानों की दिनांक 20.11.2013 के आवंटन पत्र के अनुसार बुकिंग किए जाने के संबंध में एनबीसीसी द्वारा अपनी भुगतान अनुसूची में कंपनी द्वारा 31.3.2016 तक अदा की गई 7वीं किश्त तक 12.36 प्रतिशत की दर से 3,50,96,520/–रुपए की राशि के सेवा कर का उल्लेख किया गया है। तथापि, इसकी मांग अभी एनबीसीसी द्वारा नहीं की गई है। एनबीसीसी द्वारा जब कभी भी इसके लिए मांग की जाएगी तो लागू सेवा कर की दरों के अनुसार एनबीसीसी को भुगतान कर दिया जाएगा।

25.15 पूंजीगत एवं अन्य प्रतिबद्धताएं

25.15.1 प्रावधान न किए गए तथा पूंजी खाते में से निष्पादित किए जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि 38,33,81,933/– रुपए है (पिछले वर्ष 61,23,58,766/–रुपए)।

25.15.2 लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कम्पनियों के शेयरों में किया गया निवेश संबंधित संयुक्त उद्यम कंपनी के निगमीकरण की तिथि से 5 वर्ष की लॉक इन अवधि की शर्त पर है तथा इस अवधि के दौरान कंपनी संयुक्त उद्यम कंपनी में अपने शेयर बेच अथवा स्थानांतरित नहीं कर सकती है।

25.16 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथापेक्षित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सबंध में 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार सूचनाः–

विवरण	राशि (रुपए में)	
	31.03.2016	31.03.2015
क) किसी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई राशि :	शून्य	शून्य
मूल राशि	3,94,320	99,59,741
उस पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
ख) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित तिथि के बाद अदा की गई राशि सहित ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अंतर्गत ब्याज को जोड़े बिना भुगतान करने की विलम्बित अवधि के लिए देय राशि (जिसका निर्धारित तिथि के पश्चात् वर्ष के दौरान भुगतान कर दिया गया है)	शून्य	शून्य
घ) देय ब्याज और अदा न की गई शेष राशि	शून्य	शून्य
च) आगे के अनुवर्ती वर्षों के लिए भी उस तारीख तक देय ब्याज की राशि जब तक देय बकाया राशि का भुगतान ऊपरोक्तानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य ब्याज के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु छोटे उद्यमियों को वास्तविक रूप से अदा नहीं किया जाता है।	शून्य	शून्य

25.17 एम0 पी0 पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ दिनांक 22 जनवरी, 2016 को हस्ताक्षर किए गए पावर बिक्री करार के अंतर्गत एमपीपीएमसीएल से 1.4.2015 से 21.5.2015 की अवधि के दौरान 85,17,750 किलोवाट यूनिट की 2.79 रुपए प्रति किलोवाट की औसत पूल मूल्य दर के आधार पर 2,37,64,523/– रुपए की राशि प्राप्त की गई है। 2,26,57,215/– रुपए की अंतर की राशि (5.45 रुपए तथा 2.79 रुपए के बीच) को 'सौर ऊर्जा बिक्री' में क्रेडिट किया गया है तथा इसका समायोजन जेएनएनएसएम चरण–2 बैच–I के अंतर्गत 750 मेगावाट की ग्रिड सम्बद्ध सौर पीवी परियोजना की स्थापना किए जाने की योजना के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में समिति की दिनांक 1.5.2015 को आयोजित 5वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भुगतान सुरक्षा निधि के माध्यम से किया गया है।

25.18 3 मेगावाट दिल्ली आईपीटीएस सचिवालय परियोजना के संबंध में सौर ऊर्जा का क्रय एसपीडी के साथ हस्ताक्षरित किए गए पीपीए के अनुबंधों के अनुसार 24,18,739/– रुपए के लिए बुक किया गया है। क्रेता अर्थात दिल्ली सचिवालय की ओर से सीपीडब्ल्यूडी के साथ पीएसए को अंतिम रूप दिया जाना अभी शेष है तथा अनुवर्ती बिक्री किसी ट्रेडिंग मार्जिन को विचार में लाए बिना 24,18,739/– रुपए निश्चित की गई है। मामले के निपटान के पश्चात् ट्रेडिंग मार्जिन पर विचार किया जाएगा।

25.19 सौर ऊर्जा का क्रय (राजस्थान की विभिन्न परियोजनाओं के लिए) तथा विक्रय 28.4.2015 से 15.1.2016 की अवधि के दौरान 4,80,16,000/– रुपए की राशि सीटीयू के साथ दीर्घावधि ओपन एक्सेस करार हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व की समरूपी अवधि सहित है। दीर्घावधि ओपन एक्सेस उपलब्ध न होने के कारण समरूपी अवधि के दौरान ऊर्जा की शैड्यूलिंग प्रारम्भ नहीं हो पाई थी तो यह मामला राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था तथा इसके निपटान, यदि कोई हो, को अनुवर्ती तिथि में पीएसएफ में नामे किया जाएगा। इस लेन–देन के लिए ट्रेडिंग मार्जिन पर विचार नहीं किया गया है।

25.20 औचित्यपरक निश्चितता उपलब्ध न होने के कारण, मामला चूंकि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए संदर्भित किया गया था अतः 2000 मेगावाट योजना के अधीन एक एसपीडी के संबंध में 1,08,00,000/– रुपए के राजस्व (अर्थसिद्धि शुल्क) का अभिज्ञान नहीं किया जा सका है तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 19.7.2016 के पत्र के माध्यम से कुछ अनुपालन किए जाने का स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसके संबंध में कंपनी में जांच की जा रही है।

25.21 कंपनी द्वारा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से कंपनी के निदेशक मंडल के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए जाने का अनुरोध किया गया है तथा नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों से युक्त पारिश्रमिक समिति का गठन लम्बित रखते हुए, कंपनी ने अनुग्रह एवं निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी) के संबंध में 1,64,00,000/– रुपए के प्रावधान किए गए हैं। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात्, यह भुगतान जारी कर दिया जाएगा। इस नियुक्ति के पश्चात् लेखापरीक्षा समिति का भी पुनर्गठन किया जाएगा।

25.22 कंपनी द्वारा बड़ी सिद, बाप गांव, जोधपुर जिला, राजस्थान में दिनांक 31.3.2016 को 10 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना प्रारम्भ की गई है तथा इससे ऊर्जा उत्पादन 31.3.2016 को ही प्रारम्भ हो गया है। तदनुसार कंपनी द्वारा 31.3.2016 को वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के तौर पर विचार किया गया है।

25.23 निदेशक मंडल द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार कंपनी में उपलब्ध अतिरिक्त गैर–संवितरित निधियों एवं उपलब्ध अनुदानों को इस उद्देश्य से सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में अल्पावधि आवधिक जमा के तौर पर रखा गया है।

25.24 निदेशक मंडल के मतानुसार स्थायी परिसंपत्तियों तथा गैर–स्थायी निवेशों के अतिरिक्त सभी परिसंपत्तियों, यदि अन्यथा उल्लिखित न की गई हों, का साधारण व्यवसाय क्रियाओं में कम से कम उतना तो मूल्य होता है, जितना लेखा बहियों में उल्लिखित किया गया है।

25.25 व्यवसाय/अन्य प्राप्तियों/देयताओं तथा ऋणों एवं अग्रिम के कुछ शेष पुष्टि/समाधान की शर्त पर हैं। इसके लिए किया जाने वाला किसी प्रकार का समायोजन संबंधित पक्षकारों से पुष्टि/ समाधान होने पर किया जाएगा, जिससे प्रंबधन के मतानुसार किसी प्रकार का वस्तुगत प्रभाव नहीं है।

25.26 **प्रचालन चक्र**

कंपनी के कार्य की प्रकृति तथा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण एवं उनके प्रति प्राप्त नकदी अथवा नकदी तुल्य के बीच लगे सामान्य समय के आधार पर कंपनी द्वारा अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को वर्तमान अथवा गैर–वर्तमान के तौर वगीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन क्रम 12 माह निर्धारित किया गया है।

25.27 कंपनी की मूल स्थापना, कंपनी अधिनियम, 1956 (वर्तमान में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) की धारा 25 के प्रावधानों के अधीन एक गैर–लाभ कंपनी के रूप में दिनांक 20 सितम्बर, 2011 को गई थी। इसके पश्चात्, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 से धारा 3 में परिवर्तित किए जाने का एक प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2014 के पत्र के माध्यम से प्रशासनिक मंत्रालय (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) को भेजा गया था। कंपनी को स्व–पोषित एवं स्व–आश्रित बनाकर वाणिज्यिक संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए तथा सौर ऊर्जा के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा यथा जियोथर्मल, अपतटीय विन्ड, ज्वारीय इत्यादि, के सभी घटकों के विकास के कार्य करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा परिवर्तित किए जाने के अनुमोदन की सूचना दिनांक 15 जुलाई, 2015 के पत्र संख्या : 30/040/2011–12/एनएसएम (खंड–2) के माध्यम से दी गई थी। इसके पश्चात् दिनांक 19 अक्तूबर, 2015 को कंपनी द्वारा क्षेत्रीय निदेशक–उत्तर, कारर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के सम्मुख कंपनी के परिवर्तन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रीय निदेशक के दिनांक 4 नवम्बर, 2015 के आदेश के माध्यम से परिवर्तन का अनुमोदन प्राप्त हुआ था। कंपनी पंजीयक द्वारा परिवर्तन प्रमाण पत्र दिनांक 9 नवम्बर, 2015 को जारी किया। कंपनी द्वारा चूंकि ऊर्जा ट्रेडिंग के लिए वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ कर दिए थे तथा तदनुसार वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के पश्चात् इसके लिए बिलिंग वाणिज्यिक आधार पर की जानी प्रारम्भ की गई। इसे ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा अपने कार्यकलापों को वाणिज्यिक रूप से प्रारम्भ किए जाने की तिथि 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी मानी गई है।

25.28 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–3 के अनुसार अन्य प्रकटीकरण

विवरण	वर्तमान वर्ष (रुपए)	पिछले वर्ष (रुपए)
सीआईएफ आधार पर आकलन किए गए आयात का मूल्य		
–पूंजीगत सामान	–	2,92,462
कुल	**–**	**2,92,462**
विदेशी मुद्रा में व्यय		
– यात्रा व्यय	16,03,888	7,84,455
– प्रशिक्षण व्यय	–	1,27,731
कुल	**16,03,888**	**9,12,186**

25.29 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के साथ तुलनात्मक बनाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार पुनः व्यवस्थित अथवा पुनः समूहबद्ध किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–	**ह0/–**	**ह0/–**
(एस0 के0 गुप्ता)	**(सी0 कन्नन)**	**(डॉ0 अश्विनी कुमार)**
कंपनी सचिव	**निदेशक (वित्त)**	**प्रबंध निदेशक**
सदस्यता संख्या : 10840	**डीआईएन : 06458185**	**डीआईएन : 03547234**

28 जुलाई, 2016 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 005524एन

ह0/–
(जितेन्द्र साराओगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 502337

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2016

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)
वित्तीय वर्ष 2015–16
फार्म एओसी–1

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)

सहायक/संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

भाग – क : सहायक

(प्रत्येक सहायक के संबंध में सूचना राशि रुपये में प्रस्तुत की जाएगी)

क्र. सं.	विवरण	ब्योरा
1	सहायक कंपनी का नाम	लागू नहीं
2	सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो	
3	विदेशी सहायक कंपनी की स्थिति में, संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर	
4	शेयर पूंजी	
5	रिजर्व एवं आरक्षित	
6	कुल परिसंपत्तियां	
7	कुल देयताएं	
8	निवेश	
9	टर्नओवर	
10	कर पूर्व लाभ	
11	कर के लिए प्रावधान	
12	कर ऊपरांत लाभ	
13	प्रस्तावित लाभांश	
14	शेयरधारिता का प्रतिशत	

टिप्पणी : विवरण के अंत में निम्नलिखित सूचना दी जाए :–

(1) सहायक कंपनी का नाम, जिसने अभी प्रचालन शुरू करना है।

(2) सहायक कंपनी का नाम, जिसका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया या बेचा गया।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

वित्तीय वर्ष 2015–16

भाग – ख : संबद्ध एवं संयुक्त उद्यम

संबद्ध कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण

संयुक्त उद्यम का नाम	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	रिन्यूबल पावर कारपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड
1. अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	लागू नहीं
2. कंपनी द्वारा वर्ष की समाप्ति पर संयुक्त उद्यम में धारित शेयर	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
संख्या	50,000	5,00,000	5,00,000	10,000	5,000
संयुक्त उद्यम में निवेशित राशि	5,00,000 रुपए	50,00,000 रुपए	50,00,000 रुपए	1,00,00,000 रुपए	50,00,000 रुपए
धारिता की सीमा प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
3. उल्लेख करें कि कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव है	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी का 20 प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी का 20 प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी का 20 प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी का 20 प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी का 20 प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण
4. संयुक्त उद्यम को समेकित न करने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पहला लेखांकन वर्ष 15 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2017 है। अतः संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किया गया है।
5. अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता में नियोजित राशि का निवल मूल्य	225,10,00,000 रुपए	1,00,00,000 रुपए	1,00,00,000 रुपए	2,00,00,000 रुपए	लागू नहीं
6. वर्ष के लिए लाभ/हानि					
(i) समेकन में शामिल किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
(ii) समेकन में शामिल नहीं किया गया					लागू नहीं

1 संबद्ध या संयुक्त उद्यम का नाम, जिसने अभी प्रचालन शुरू करना है।

(क) आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

(ख) कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

(ग) लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

(घ) रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड

(च) रिन्यूबल पावर कारपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड

2 सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम का नाम, जिसका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया या बेचा गया।

लागू नहीं ।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–	**ह0/–**	**ह0/–**
(एस0 के0 गुप्ता)	**(सी0 कन्नन)**	**(डॉ0 अश्विनी कुमार)**
कंपनी सचिव	**निदेशक (वित्त)**	**प्रबंध निदेशक**
सदस्यता संख्या : 10840	**डीआईएन : 06458185**	**डीआईएन : 03547234**

28 जुलाई, 2016 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 005524एन

ह0/–
(जितेन्द्र साराओगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 502337

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)
31 मार्च, 2016 को समेकित तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2016 को
इक्विटी एवं देयताएं		
शेयरधारक निधि		
शेयर पूंजी	2	2,04,00,00,000
रिजर्व एवं अधिशेष	3	99,11,27,557
		3,03,11,27,557
गैर–वर्तमान देयताएं		
दीर्घावधि उधार	4	24,63,20,000
आस्थगित कर देयताएं (निवल)		4,78,52,249
अन्य दीर्घावधि देयताएं	5	6,40,28,769
दीर्घावधि प्रावधान	6	1,39,39,570
		37,21,40,588
वर्तमान देयताएं		
व्यापार देय	7	1,17,46,11,492
अन्य वर्तमान देयताएं	8	5,33,55,57,421
अल्पावधि प्रावधान	9	4,23,89,360
		6,55,25,58,273
कुल		**9,95,58,26,418**
परिसंपत्तियां		
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां		
स्थायी परिसंपत्तियां		
मूर्त परिसंपत्तियां	10	61,64,29,924
अमूर्त परिसंपत्तियां	10	38,72,620
पूंजीगत कार्य प्रगति में	11	57,34,28,744
गैर–वर्तमान निवेश	12	50,00,000
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	99,11,81,939
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	14	3,00,000
		2,19,02,13,227
वर्तमान परिसंपत्तियां		
व्यापार प्राप्य	15	1,34,36,26,825
नकदी एवं बैंक शेष	16	5,05,22,67,201
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	17	5,87,70,344
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	18	1,31,09,48,821
		7,76,56,13,191
कुल		**9,95,58,26,418**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	**1**	
लेखों पर टिप्पणियां	**2 - 26**	

टिप्पणियां इन समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(एस0 के0 गुप्ता)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : 10840

ह0/–
(सी0 कन्नन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 06458185

ह0/–
(डॉ0 अश्विनी कुमार)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03547234

28 जुलाई, 2016 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 005524एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2016

ह0/–
(जितेन्द्र साराओगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 502337

सेकी SECI सूर्य सदैव SUN FOR EVER

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(राशि रुपए में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
	राजस्व		
	प्रचालनों से राजस्व	19	5,73,90,27,485
	अन्य आय	20	5,21,97,373
I	कुल राजस्व		**5,79,12,24,858**
	व्यय		
	सौर विद्युत की खरीद		5,24,74,92,331
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	21	7,66,99,409
	वित्तीय लागत	22	62,761
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	23	43,88,216
	उप–ठेका व्यय		31,09,571
	अन्य व्यय	24	13,10,64,207
	पूर्व अवधि मदें (निवल)	25	37,23,109
II	कुल व्यय		**5,46,65,39,604**
III	अपवादिक एवं असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ **(I - II)**		32,46,85,254
IV	अपवादिक मदें		-
V	असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ **(III - IV)**		**32,46,85,254**
VI	असाधारण मदें		-
VII	कर पूर्व लाभ **(V - VI)**		**32,46,85,254**
VIII	कर व्यय		
	(1) वर्तमान कर		8,58,18,565
	(2) आस्थगित कर		4,78,52,249
IX	अवधि के लिए लाभ **(VII-VIII)**		**19,10,14,440**
X	प्रति इक्विटी शेयर आयः		
	(1) मूल		147.03
	(2) तनुकृत		147.03
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	**1**	
	लेखों पर टिप्पणियां	**2 - 26**	

टिप्पणियां इन समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(एस0 के0 गुप्ता)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : 10840

ह0/–
(सी0 कन्नन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 06458185

ह0/–
(डॉ0 अश्विनी कुमार)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03547234

28 जुलाई, 2016 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 005524एन

ह0/–
(जितेन्द्र साराओगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 502337

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2016

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपए में)

विवरण		31.03.2016 को समाप्त वर्ष
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ		32,46,85,254
निम्न के लिए समायोजनः	-	
जोड़ें	-	
मूल्यह्रास एवं परिशोधन		43,88,216
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		28,231
ब्याज व्यय		62,761
घटाएं	-	
प्राप्त ब्याज		5,01,59,210
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		6,635
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		**27,89,98,617**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
प्रचालन परिसंपत्तियों के लिए समायोजन	-	
घटाएं	-	
व्यापार प्राप्यों में वृद्धि		1,24,32,71,421
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि		4,59,31,019
अन्य परिसंपत्तियों में वृद्धि		1,19,33,06,789
जोड़ें		
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम में कमी		1,28,50,226
प्रचालन देयताओं के लिए समायोजन		
जोड़ें		
व्यापार देय में वृद्धि		1,15,13,84,915
अन्य वर्तमान देयताओं में वृद्धि		3,78,86,62,600
अल्पावधि प्रावधानों में वृद्धि		1,78,05,894
दीर्घावधि प्रावधानों में वृद्धि		(6,21,260)
अन्य दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि		77,25,128
कर पूर्व प्रचालनों से नकदी अंतःप्रवाह/निर्गम प्रवाह		**2,77,42,96,891**
घटाएं : अग्रिम कर एवं वसूलीयोग्य टीडीएस		8,72,89,226
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**2,68,70,07,665**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
जोड़ें		
ब्याज आय		5,01,59,210
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति		16,985
घटाएं		
स्थायी परिसंपत्तियों/पूंजीगत कार्य प्रगति में वृद्धि		87,54,78,132
किदवई नगर बिल्डिंग के लिए अग्रिम भुगतान		25,38,02,162
जेसीई में इक्विटी निवेश		2,50,00,000
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि		37,500
मियादी जमा में निवेश		1,18,13,70,873
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**(2,28,55,12,472)**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
घटाएं		
ब्याज व्यय		(2,52,328)
जोड़ें		
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्ति		94,00,00,000
पूंजी अनुदान		20,67,32,831
भारतीय स्टेट बैंक से सावधि ऋण से प्राप्ति		24,63,20,000

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपए में)

विवरण		31.03.2016 को समाप्त वर्ष
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**1,39,28,00,503**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल (कमी)/वृद्धि	(क)	**1,79,42,95,696**
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	(ख)	12,40,30,053
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	(क+ख)	**1,91,83,25,749**
नकदी एवं नकदी समतुल्य का समाधान		
बैंकों के बचत खातों में शेष		12,620
बैंकों के चालू खातों में शेष		1,91,83,13,129
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**1,91,83,25,749**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां		**1**
लेखों पर टिप्पणियां		**2 - 26**

टिप्पणियां इन समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/-
(एस0 के0 गुप्ता)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : 10840

ह0/-
(सी0 कन्नन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 06458185

ह0/-
(डॉ0 अश्विनी कुमार)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03547234

28 जुलाई, 2016 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 005524एन

ह0/-
(जितेन्द्र साराओगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 502337

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में टिप्पणियां

1. महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां:

1.1 लेखा तैयार करने का आधार:

ये समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू सीमा तक) के उपबंधों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत लागू विहित लेखाकरण मानकों के अनुरूप यथा लागू सीमा तक भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं का अनुपालन करते हुए ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लेखाकरण के प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं।

समूह द्वारा ये लेखाकरण नीतियां लगातार लागू की जाती हैं और एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा यथा स्वीकार टिप्पणी 26.27 में स्पष्ट की गई लेखाकरण नीति में किए गए बदलाव के सिवाय पूर्ववर्ती वर्ष में इस्तेमाल हुई नीतियों से संगत हैं। बेहतर प्रकटन के लिए, कुछ लेखाकरण नीतियों के शब्दों में फेरबदल/पुनःसमूहन किया गया है,जिसका समूह के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पडता।

1.2 समेकन के सिद्धांत:

ये वित्तीय विवरण सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी (सामूहिक रूप से "समूह" के रूप में निर्देशित) से संबंधित हैं। समेकन में इस्तेमाल की गई संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के वित्तीय विवरण, रिन्यूबल पावर कारपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड के उन वित्तीय विवरण, जिन्हें समेकित नहीं किया गया है क्योंकि संयुक्त उद्यम का प्रथम लेखाकरण वर्ष 15.01.2016 से 31.03.2017 की अवधि के लिए होगी, के सिवाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की रिपोर्टिंग तारीख को ही तैयार की गई हैं। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं :–

1.2.1 सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और संयुक्त उद्यमों (अनुपातिक आधार पर) की वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्ययों जैसी समान मदों के बही मूल्य के साथ जोड़कर रेखा–दर–रेखा आधार पर अंतरा–समूह बकाया, अंतरा–समूह लेन–देनों और लेखाकरण मानक–27 में विहित उगाहे न गए लाभ/हानियों, यथा लागू कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में विहित "संयुक्त उद्यम में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" को हटाकर संयुक्त किया गया है।

1.2.2 जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरणों को एक समान लेन–देनों और एक जैसी परिस्थितियों में समान घटनाओं के लिए मौजूदा एकरूप लेखाकरण नीतियों का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है और, जहां जरुरी हो, वहां आंकडों का पुनःसमूहन, पुनःतैयार या पुनःव्यवस्थित करके सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की अलग वित्तीय विवरणों के रूप में समान रीति से प्रस्तुत किया गया है। अंतरा–समूह की उन सारभूत त्रुटियों को, जिनका परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सका, लेखाकरण नीति संख्या 1.11.9, 1.5.1.1 और 1.16.2.1. में विहित किया गया है।

1.2.3 संयुक्त उद्यम कंपनी में समूह के इक्विटी शेयर के ऊपर अधिग्रहण की तारीख को संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में इसके निवेश की आधिक्य लागत को 'समेकन पर साख' के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो समेकित वित्तीय विवरणों में एक परिसंपत्ति है। दूसरी ओर, जहां निवेश की तारीख को संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में इक्विटी शेयर, समूह के निवेश की लागत से अधिक हो गये हैं, उन्हें 'पूंजी रिजर्व' के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों में 'रिजर्व और अधिशेष' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

1.2.4 लेखाकरण मानक–21 के संक्रमणकालीन उपबंधों के अनुसार, "समेकित वित्तीय विवरण" वित्तीय वर्ष 2015–16 पहला ऐसा अवसर है, जब समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए हैं और पूर्ववर्ती वर्ष के लिए तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए।

1.3 आकलनों का प्रयोग :

सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन से यह अपेक्षा है कि वो ऐसे आकलन और अनुमान करे, जो वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट में दर्ज परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रचालनों के परिणाम को प्रभावित करे। हालांकि, ये अनुमान, प्रबंधन के वर्तमान घटनाओं और कार्यों के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित हैं, परंतु वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और आकलनों के बीच के अंतरों को उस अवधि में भविष्यलक्षी प्रभाव से मान्यता दी गई है, जिसमें उन्हें साकार किया गया है।

1.4 स्थायी परिसंपत्ति

1.4.1 मूर्त परिसंपत्तियां संचित मूल्यह्रास और त्रुटि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाई गई हैं।

1.4.2 अधिग्रहण की लागत में क्रय मूल्य, आयात शुल्क और अन्य गैर–वापसी योग्य कर और चंदे और कोई अन्य लागत, विनिर्माण के दौरान ब्याज, शुल्क, भाडा, और परिसंपत्तियों को अपेक्षित इस्तेमाल के लिए चालू हालत में लाने के लिए विनिर्माण/अधिग्रहण के दौरान संस्थापन और आवंटित आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

1.4.3 अमूर्त परिसंपत्तियां, संचित परिशोधन और त्रुटि हानि, यदि कोई हो, घटाकर उनकी अधिग्रहण लागत पर दर्शाई गई हैं।

1.4.4 परिसंपत्तियों की उन दशाओं में, जहां ठेकेदारों से बिलों का अंतिम निपटान अभी होना है लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण एवं इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां अंतिम निपटान के वर्ष में जरुरी समायोजनों के अधीन पूंजीकरण अनंतिम आधार पर किया गया है।

1.5 वर्तमान पूंजीगत कार्य

1.5.1 वर्तमान पूंजीगत कार्य लागत पर किए जाते हैं। खपत किए गए माल की लागत, विनिर्माण के दौरान इस्तेमाल हुई स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास सहित उत्थापन प्रभारों के साथ परियोजना के लिए किए गए अन्य खर्च, पूंजीकरण की तारीख को पूंजीगत वर्तमान कार्य शीर्ष के अंतर्गत "विनिर्माण अवधि के दौरान व्यय" के हिस्से के रूप में दिखाया गए हैं, जो परियोजना की शुरुआत पर बडी परिसंपत्तियों पर आवंटित किए जाएंगे।

1.5.1.1 प्रारंभिक व्यय, प्रशासन और अन्य सामान्य ऊपरी व्ययों को संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के पूंजीकरण की तारीख को वर्तमान पूंजीगत कार्य शीर्ष के अंतर्गत "विनिर्माण अवधि के दौरान व्यय" में अंतरित कर दिया गया है।

1.5.2 स्थायी परिसंपत्तियों के विनिर्माण के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय और अन्य प्रशासनिक एवं सामान्य ऊपरी व्यय संबंधित परिसंपत्ति की लागत पर व्यवस्थित तरीके से पहचान कर आवंटित कर दिए गए हैं।

1.5.3 विनिर्माण अवधि के दौरान जमाओं पर अर्जित ब्याज आय वर्तमान पूंजीगत कार्यों से बढ़ी है।

1.5.4 आपूर्ति–सह–उत्थापन संविदाओं के संबंध में, कार्यस्थल पर प्राप्त एवं स्वीकृत आपूर्तियों के मूल्य को वर्तमान पूंजीगत कार्य माना गया है।

1.6 मूल्यह्रास और परिशोधन

1.6.1 समूह की ऊर्जा उत्पादक यूनिटों की मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को, प्रशुल्क के नियतन के लिए सीईआरसी द्वारा यथा अधिसूचित दरों और क्रियाविधि का पालन करते हुए सीधी–रेखा पद्धति पर लाभ एंव हानि विवरण पर प्रभारित किया गया है।

1.6.2 पट्टा धारित जमीन को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा पद्धति आधार पर परिशोधित किया गया है।

1.6.3 नीति संख्या 1.6.1 और 1.6.2 में विहित परिसंपत्तियों के अलावा, परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में विहित उपयोगी जीवन अवधि का पालन करते हुए, सीधी रेखा पद्धति पर उपबंधित किया गया है।

1.6.4 सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों द्वारा यथा अंगीकृत अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवन अवधि पर लेखाकरण मानक 26 के अनुसार सीधी रेखा पद्धति के आधार पर अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना की गई है।

1.6.5 यथानुपात के आधार पर मूल्यह्रास/परिशोधन की व्यवस्था उस तारीख से/तक की गई है, जिसको परिसंपत्तियां इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध हो पाईं।

1.6.6 परिसंपत्तियों पर घोषित/अप्रचलित मूल्यह्रास की व्यवस्था उस माह के अंत तक की गई है, जिसमें ऐसी घोषणा की गई है।

1.6.7 5,000 रुपए अथवा उससे कम की परिसंपत्ति को भौतिकता के कारण उसके अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है।

1.7 अनुदान

1.7.1 सोलर पार्क के विकास हेतु व्यय से संबंधित केंद्रीय वित्तीय सहायता/अनुदानों अथवा विहित परिसंपत्तियों के क्रय/अधिग्रहण को केंद्रीय अनुदान माना जाता है और उसे सोलर पार्क के विकास पर सोलर पार्क अथवा स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय में से घटा दिया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों (परिसंपत्ति की लागत के 0.1 प्रतिशत के बराबर) की पहचान के लिए नगण्य मूल्य को खाते में शामिल किया गया है।

1.7.2 उपर्युक्त केंद्रीय वित्तीय सहायता/अनुदानों को "रिजर्व और अधिशेष"/"अन्य वर्तमान देयता" के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान के रूप में समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, जैसा संबंधित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की उत्कृष्ट वित्तीय विवरणों में प्रकट होता है।

1.8 निवेश

1.8.1 दीर्घावधि निवेश लागत के आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों में गिरावट, अस्थायी से भिन्न को देखते हुए कमी की व्यवस्था की जाती है।

1.8.2 वर्तमान निवेशों का मूल्य निर्धारण एकल निवेश के आधार पर निम्न लागत और उचित मूल्य पर किया जाता है।

1.9 उधारी लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा विनिर्माण के लिए उधारी लागतों को ऐसी परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति होती है, जो अपने आशायित इस्तेमाल के लिए तैयार होने में काफी लंबा समय लेती है। अन्य सभी उधारी लागतों को उस अवधि के व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वो व्यय किए जाते हैं।

1.10 मालसूची

मालसूचियों का मूल्य निर्धारण निम्न लागत और आकलित निवल उगाही योग्य मूल्य पर किया जाता है।

1.11 राजस्व और व्यय मान्यता

राजस्व और व्ययों को नीचे प्रकट किए गए प्राप्ति/भुगतान आधार पर खातों में लिए गए कुछ आय और व्ययों के सिवाय, लेखाकरण की प्रोद्भूत विधि के आधार पर खातों में लिया जाता है।

1.11.1 सौर ऊर्जा का क्रय और विक्रय

ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व को राज्य क्रेता कंपनियों के साथ हुए ऊर्जा विक्रय करारों (पीएसए) और उपभोक्ताओं के साथ सहमत हुई दरों के अनुसार मान्यता दी जाती है। वितरण कंपनियों/क्रेता कंपनियों के लिए इनवॉयस तैयार करने के लिए यूनिटों (किलोवाट घंटा) को अंतरा-राज्य ऊर्जा विक्रय की दशा में संयुक्त मीटर रीडिंग/राज्य ऊर्जा लेखाकरण (जेएमआर)(एसईए) और अंतर्राज्यीय लेन-देनों की दशा में क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाकरण (आरईए) के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

ऊर्जा के क्रय को संयुक्त मीटर रीडिंग/राज्य ऊर्जा लेखाकरण/क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाकरण (जेएमआर/एसईए/आरईए) के आधार पर सौर ऊर्जा विकासकों (एसपीडी) के साथ निष्पादित ऊर्जा क्रय करारों (पीपीए) की शर्तों के अनुसार खातों में लिया जाता है।

व्यापारित यूनिटों के साथ समाशोधन करने के लिए, क्रय एवं विक्रय के लेन-देनों को नियमित अंतरालों पर समाशोधित किया जाता है।

पीएसए की शर्तों के अनुसार, वितरण कंपनियों पर ऊर्जा के विक्रय के लिए लगाए जाने वाले विलंब भुगतान पर सरचार्ज को प्राप्ति आधार पर मान्यता दी जाती है और इसी प्रकार, पीपीए की शर्तों के अनुसार, विलंब भुगतान पर सरचार्ज को वितरण कंपनियों से वसूली के आधार पर खातों में लिया जाता है।

क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र (आरएलडीसी)/राज्य लोड डिस्पैच केंद्र (एसएलडीसी)/ केंद्रीय प्रेषण कंपनियों (सीटीयू) द्वारा लगाया गया प्रभार, जो एजेंसी द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया है, पीपीए/पीएसए की यथा लागू शर्तों के अनुसार वसूल कर लिया जाता है/एसपीडी/वितरण कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है और ऐसे प्रभारों को प्राप्ति/भुगतान के आधार पर खातों में लिया जाता है।

1.11.2 जेएनएनएसएम चरण-2, बैच-1 के अधीन 750 मेगावाट ग्रिड-कनेक्टिड सोलर पीवी पावर परियोजना के बारे में सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, विकासकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) स्थापित की गई है। बैंक गारंटियों के नकदीकरण से प्राप्त धन, इस निधि पर अर्जित ब्याज, समय पूर्व भुगतान के लिए प्रोत्साहनों, अतिरिक्त मूल्यह्रास का दावा करने वाले विकासकों को 10 प्रतिशत कम शुल्क से आने वाली अतिरिक्त धनराशि और सरकार/एनसीईएफ से प्राप्त अनुदानों को इस निधि का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उपर्युक्त कारणों से प्राप्त होने वाली राशि को दिशानिर्देशों के अनुसार सीधे पीएसएफ में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

जेएनएनएसएम चरण-2, बैच-1 के अधीन 750 मेगावाट ग्रिड-कनेक्टिड सोलर पीवी पावर परियोजना की स्थापना के लिए कार्यान्वयन योजना में आने वाली दिक्कतों को हटाने के लिए 01 मई, 2015 को हुई पांचवी बैठक में उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप, पीएसएफ का इस्तेमाल उन व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जो क्रेता कंपनियों द्वारा अपने गृह राज्यों में तत्समय प्रवृत्त ऊर्जा इत्यादि की अंतर्राज्यीय

अनुसूची बनाने के कारण खाते में न लेने वाले अल्पावधि ओपन एक्सेस प्रभार, यूआई प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों को खाते में न लिए जाने के कारण क्रेता कंपनियों से वसूल नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा, ऐसे व्यय आदि की क्षतिपूर्ति अतिरिक्त ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त अर्जनों से की जाती है, जो 3 रुपए किलोवाट/घंटा की दर पर उपलब्ध होगी।

विभिन्न एसपीडी के साथ हस्ताक्षरित पीपीए की शर्तों के अनुसार, कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें प्रशुल्क को 5.45/किलोवाट घंटा से कम कर दिया गया था। शुल्क में कमी के कारण सौर ऊर्जा के क्रय में किसी धनराशि की कमी को पीएसएफ में सीधे क्रेडिट कर दिया जाता है।

नीति/विनियामक मुद्दों और प्रेषण निष्क्रमण/ओपन एक्सेस बाधाओं आदि के कारण औसत पूल मूल्य निर्धारण पर क्रय करने वाली उपयोगिता कंपनियों/वितरण कंपनियों से प्रशुल्क की कम वसूली की दशा में सहमत पीपीए में से विकासकों को विभेदीकृत भुगतान सीधे पीएसएफ को डेबिट कर दिए जाते हैं।

1.11.3 राज्य ऊर्जा लेखाकरण (एसईए)/क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाकरण (आरईए)/संयुक्त मीटर रीडिंग (जेएमआर) को ऊर्जा के विक्रय और क्रय में पैदा हुए अंतर को खातों में उपयुक्त रीति से शामिल किया जाता है। क्रय की गई यूनिटों से ज्यादा बेची गई यूनिटों की दशा में, उत्पन्न होने वाला अंतर पीएसएफ को क्रेडिट कर दिया जाता है। वितरण कंपनियों के लिए तैयार बिलों के ऊपर क्रय की गई यूनिटों की दशा में उसे एसपीडी से वसूल किया जाता है।

1.11.4 परामर्शी सेवाओं से प्राप्त राजस्व को संबंधित परामर्शी संविदाओं की शर्तों के अनुरूप सेवाओं की पूर्णता के स्तर के साथ अनुपातिक आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। उन मामलों में, जहां दावे के समय अंतिम उगाही युक्तियुक्त निश्चितता के साथ नहीं हो पाती, वहां मान्यता को उगाही होने तक स्थगित कर दिया जाता है।

1.11.5 ग्रिड–कनेक्टिड रूफटॉप परियोजनाओं के मामलों में राजस्व मान्यता

एमएनआरई द्वारा रूफटॉप परियोजनाओं के प्रचार, अभिमुखीकरण, जागरुकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं, फील्ड दौरों, निगरानी और तकनीकी मार्गदर्शन आदि के निमित्त केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) की 3 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है।

रूफटॉप परियोजनाओं के संबंध में परियोजना निगरानी और तकनीकी मार्गदर्शन से राजस्व–ग्रिड/ऑफ ग्रिड को परियोजनाओं को निम्नलिखित वर्णित प्रगति चरणों के आधार पर मान्यता प्रदान की गई हैः–

चरण	आवंटन का प्रतिशत	आवंटन की संचयी प्रतिशतता
आवंटन	1.50 प्रतिशत	1.50 प्रतिशत
मंजूर	0.25 प्रतिशत	1.75 प्रतिशत
शुरुआत	0.25 प्रतिशत	2.00 प्रतिशत
ऑपरेशन एंड निगरानी– प्रथम वर्ष	0.50 प्रतिशत	2.50 प्रतिशत
ऑपरेशन एंड निगरानी– द्वितीय वर्ष	0.50 प्रतिशत	3.00 प्रतिशत
	3.00 प्रतिशत	

प्रचार, अभिमुखीकरण, जागरुकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं और फील्ड दौरों के निमित्त किए गए वास्तविक व्यय की, उपर्युक्त मान्यता प्राप्त राजस्व में से कटौती कर दी गई है और निवल आय को प्रकट कर दिया गया है।

उपर्युक्त के संबंध में रूफटॉप परियाजनाओं के अंतर्गत विकासक से प्राप्त सेवा प्रभारों को उस वर्ष की आय में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें परियोजना की क्षमता को मंजूरी दी गई है। सेवा प्रभारों के विलंब भुगतान पर लगने वाले प्रभारों को प्राप्ति आधार पर खाते में लिया गया है।

1.11.6 विभिन्न एमएनआरई योजनाओं के अंतर्गत निधि रख–रखाव प्रभारों को एमएनआरई द्वारा जारी अनुमति पत्र के अनुसार वितरित निधियों के अनुपात में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.11.7 2000 मेगावाट की राज्य विशिष्ट योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजना के संबंध में अनुमानित पूंजीगत लागत के 0.2 प्रतिशत की दर से सफलता फीस सौर ऊर्जा विकासकों से वसूली जाती है। इस 0.2 प्रतिशत के 90 प्रतिशत को तकनीकी आकलनों के अनुसार संपन्न गतिविधियों/दी गई सेवाओं के समापन पर एलओआई जारी करने के समय और 0.2 प्रतिशत के बकाया 10 प्रतिशत को सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत के समय की आय

के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.11.8 विनिर्माण संविदाओं के अंतर्गत राजस्व मान्यता

संविदा राजस्व में संविदा के अनुसार संपन्न किए गए कार्य की लागत और समापन विधि की प्रतिशतता का इस्तेमाल करते हुए अनुपातिक लाभ शामिल होता है। समापन प्रतिशतता का निर्धारण नियत तारीख को कुल आकलित संविदा लागत के अनुपात में संपन्न कार्य के अनुपात में किया जाता है।

परियोजना और विनिर्माण से संबंधित प्रगतिशील कार्य को लागत के आधार पर उस काम, जिसे युक्तियुक्त रीति से निश्चित नहीं किया जा सकता, के परिणाम तक और उसके बाद उगाही योग्य मूल्य पर दर्शाया जाता है।

उन संविदाओं के दशा में जहां संविदा की लागत, संविदा के राजस्व से बढ़ जाती है, वहां अनुमानित हानि को तुरंत मान्यता प्रदान कर दी जाती है।

1.11.9 संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा स्थापित/स्थापित होने वाले सोलर पार्कों के संबंध में:

1.11.9.1 सौर ऊर्जा विकासकों से अपफ्रंट फीस के राजस्व को उस तारीख से पट्टे की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की जाती है, जिस पर आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सोलर पार्क इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है, जबकि कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के बाद मान्यता प्रदान की जाती है।

1.11.9.2 सौर ऊर्जा विकासकों से भूमि पट्टा प्रभारों और ऑपरेशन एवं रख–रखाव से आय को आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, जब ऐसी आय संबंधित करारों की शर्तों के अंतर्गत आश्वस्त और निर्धारण योग्य हो जबकि कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में इसे सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के बाद मान्यता प्रदान की जाती है।

1.11.10 ग्राहकों के साथ की गई संविदा में बढ़ोतरी और अतिरिक्त कार्यों का उपबंध नहीं किया गया, माध्यस्थम् पंचाट से उपजे दावों और बीमा दावों को प्राप्ति आधार पर खाते में लिया गया है।

1.11.11 विवादित/सुलह वाली संविदाओं के संबंध में संविदात्मक बाध्यताओं से पैदा हुए पूर्वनिर्धारित हर्जानों और देय/प्राप्ति योग्य के रूप में उचित न माने जाने वालों को, अंतिम निपटान तक खातों में नहीं लिया जाता।

1.11.12 100,000/–रुपए और उससे नीचे की मदों के पूर्वप्रदत्त व्ययों और पूर्व अवधि के व्ययों/आय को भुगतान/प्राप्ति के वर्ष में स्वाभाविक लेखा शीर्ष में प्रभारित किया जाता है।

1.12 आय पर कर

1.12.1 आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार, कर योग्य आय के आधार पर वर्तमान आयकर के उपबंध का निर्धारण किया जाता है।

1.12.2 विवेक के अधीन, आस्थगित कर को, समय के अंतरों पर, मान्यता प्रदान की जाती है जो कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच अंतर है, जो एक अवधि में पैदा होता है और तत्पश्चात् एक या एक से अधिक अवधियों में पुनः पैदा हो सकता है, और कर की दरों का इस्तेमाल करके इसका परिमाण निर्धारित किया जा सकता है और तुलन पत्र की तारीख को विधियां अधिनियमित की जाती हैं या सारतः अधिनियमित की जाती हैं।

1.13 परिसंपत्तियों की क्षति

किसी परिसंपत्ति को उस स्थिति में क्षतिग्रस्त माना जाता है, जब उस परिसंपत्ति को बनाए रखने की लागत उससे प्राप्त होने वाली राशि से ज्यादा हो। क्षति संबंधी हानि को उस वर्ष की लाभ हानि विवरण में आपवादिक मद के रूप में प्रभारित किया जाता है, जिसमें उस परिसंपति की पहचान क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति के रूप में की जाती है।

1.14 विदेशी मुद्रा लेन–देन

1.14.1 आरंभिक मान्यता

विदेशी मुद्रा लेन–देनों को आरंभ में उस संव्यवहार की तारीख को लागू विनियम दर पर दर्ज किया जाता है।

1.14.2 संपरिवर्तन

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को तुलन पत्र की तारीख को लागू विनियम दरों का संदर्भ लेते हुए स्थानांतरित किया जाता है। गैर–मौद्रिक मद, जिन्हें किसी विदेशी मुद्रा के रूप में ऐतिहासिक लागत के अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें उस संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दर को इस्तेमाल

करते हुए दर्ज किया जाता है और उन गैर–मौद्रिक मदें, जिन्हें उचित मूल्य या उसी प्रकार के किसी विदेशी मुद्रा में मूल्यन पर संचालित किया जाता है, उन्हें विनिमय दरों का इस्तेमाल करते हुए दर्ज किया जाता है, जो दर मूल्य निर्धारण के समय विद्‌यमान थी।

1.14.3 विनिमय अंतर

मौद्रिक मदों के निपटान पर पैदा हुए विनिमय अंतर अथवा रिपोर्टिंग समूह की मौद्रिक मदों को उस भिन्न दर, जो वर्ष के आरंभ में दर्ज हैं अथवा पूर्ववर्ती वित्तीय विवरणों में दर्ज, को आय के रूप में या उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

1.15 उपबंध, आकस्मिक देयता व आकस्मिक परिसंपत्ति

किसी उपबंध को तब मान्यता दी जाती है, जब किसी पिछली घटना के कारण समूह की वर्तमान बाध्यता होती है और यह भी संभव हो कि उस बाध्यता का निपटान करने के लिए संसाधनों का व्यय करना आवश्यक है और जिसके संबंध में कोई विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। उपबंधों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित प्रबंधन आकलन के आधार पर किया जाता है और वर्तमान मूल्य पर इनका बट्‌टा नहीं काटा जाता है। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन आकलन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है, न ही इन्हें वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

1.16 कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारी हितलाभों में, अन्य बातों के अलावा भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, अवकाश लाभ और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ शामिल होते हैं।

1.16.1 परिभाषित अंशदायी योजनाएं – वर्ष के दौरान, भविष्य निधि और पेंशन निधि में अदा/देय योग्य समूह के अंशदान को प्रोद्‌भूत आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई है।

1.16.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं – सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की उपदान, अवकाश हितलाभों, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के संबंध में देयताएं, अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय वर्ष के अंत में बीमांकन मूल्यन के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। बीमांकन लाभों और हानियों को उसके उत्पन्न होने वाले वर्ष की लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

1.16.2.1 कर्नाटक सोलर पावर डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, पेंशन/उपदान/छुट्‌टी अंशदान का उपबंध बीमांकन मूल्यन पर आधारित है, यह उपबंध नियत प्रतिशतता आधार पर मूल वेतन, महंगाई वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर किया गया है (पेंशनः 33.02 प्रतिशत, उपदानः 6.06 प्रतिशत, छुट्‌टीः 11 प्रतिशत)

1.16.3 अंशकालिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष की लाभ एवं हानि विवरण में बट्‌टा न काटी गई राशि के व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

1.16.4 उपदान, अवकाश नकदीकरण और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों की भविष्य निधि के संबंध में देयताएं उनके मूल संगठनों की निबंधनों एवं शर्तों के आधार पर खाते में शामिल किया जाता है।

1.17 पट्‌टा

1.17.1 पट्‌टे पर ली गई परिसंपत्तियों को ऑपरेटिंग पट्‌टा कहा जाता है, जहां स्वामित्व के अधिकांश भाग का जोखिम और लाभ पट्‌टेदार द्‌वारा रखा जाता है। पट्‌टा करार के आधार पर पट्‌टे की अवधि को पट्‌टे के किरायों को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। आरंभिक प्रत्यक्ष लागत उसी अवधि की लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित की जाती है, जिसमें यह लागत लगती है।

1.17.2 संयुक्त उद्‌यम कंपनियों द्‌वारा स्थापित सोलर पार्कों के संबंध में भूमि पट्‌टों के भुगतान को सोलर पार्क स्थापित होने तक आरंभिक अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय माना जाता है और तद्‌नुसार, लागत को चालू पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत खाते में लिया गया है।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां :

(राशि रुपए में)

टिप्पणी संख्या 2 : शेयर पूंजी

शेयर पूंजी	31.03.2016 को	
	संख्या	राशि
अधिकृत		
प्रत्येक 1000/–रुपए के इक्विटी शेयर	2,00,00,000	20,00,00,00,000
जारी एवं अभिदत्त *		
प्रत्येक 1000/–रुपए के इक्विटी शेयर	60,00,000	6,00,00,00,000
पूर्ण प्रदत्त		
प्रत्येक 1000/–रुपए के इक्विटी शेयर	20,40,000	2,04,00,00,000
कुल	**20,40,000**	**2,04,00,00,000**

* ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम के अंशदाताओं ने प्रत्येक 1000/–रुपए के 60,00,000 इक्विटी शेयरों का अंशदान किया, जिसमें से प्रत्येक 1000/–रुपए के 20,40,000 इक्विटी शेयर अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त हैं।

क) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ एवं अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान

विवरण	2015-16	
	संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	10,33,500	1,03,35,00,000
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	10,06,500	1,00,65,00,000
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**20,40,000**	**2,04,00,00,000**

ख) कंपनी ने शेयरधारकों की शेयरधारिता के अनुपात पर मत डालने के अधिकार के साथ केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर जारी किए हैं। शेयरधारकों की बैठक में मताधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक, समय–समय पर घोषित किए जाने वाले लाभांश प्राप्ति के भी हकदार हैं (कृपया वित्तीय वर्ष 2014–15 तक लाभांश घोषित करने से संबंधित प्रतिबंध हेतु टिप्पणी संख्या 26.27 देखें क्योंकि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत थी) ।

ग) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का ब्यौरा

शेयरधारकों का नाम	31.03.2016 को	
	धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारिता का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	20,40,000	100

घ) 31.03.2016 तिथि से तुरंत पांच वर्ष पहले की अवधि के दौरान, अनुबंध (धों) के अनुसरण में, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बिना नकदी भुगतान प्राप्त किए, कोई भी पूर्णतः प्रदत्त शेयर और न ही काई भी पूर्णतः प्रदत्त शेयर बोनस के माध्यम से आवंटित किए हैं और न ही शेयरों के किसी भी वर्ग को वापस खरीदा है।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां :

(राशि रुपए में)

टिप्पणी संख्या 3 : रिजर्व एवं अधिशेष

रिजर्व एवं अधिशेष	31.03.2016 को राशि
लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष/(घाटा)	
वर्ष के आरंभ में शेष	65,30,611
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	19,10,14,440
घटाएं : पिछले वर्षों के अनुदान लेखा में अंतरित	(30,85,276)
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि :	**19,44,59,775**
घटाएं : प्रस्तावित लाभांश (राशि 9.36/–रुपए प्रति शेयर)(पिछले वर्ष शून्य रुपए)]	(1,91,01,444)
घटाएं : प्रस्तावित लाभांश पर कर	(38,88,605)
लाभ एवं हानि विवरण में निवल अधिशेष/(घाटा)	**17,14,69,726**
संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में हिस्सेदारी (संदर्भ टिप्पणी संख्या 26.1)	
प्रतिनिधित्व पूंजीगत अनुदान	**81,96,57,831**
कुल	**99,11,27,557**

टिप्पणी संख्या 4 : दीर्घावधि उधार

दीर्घावधि उधार	31.03.2016 को राशि
प्रतिभूत	
भारतीय स्टेट बैंक से सावधि ऋण (ब्याज – 9.30 प्रतिशत प्रति वर्ष (एसबीआई का फ्लोटिंग बेस रेट), 30.06.2017 (एक वर्ष की स्थगत अवधि के उपरांत) से 87.5 लाख प्रत्येक 56 समान तिमाही किश्तों में पुनर्भुगतान आरंभ। कंपनी के बड़ी, राजस्थान में 10 मेगावाट सौर पीवी संयंत्र से संबंधित वर्तमान एवं भविष्य से संबंधित स्थायी परिसंपत्तियों (चल एवं अचल), प्राप्यों तथा लेखों के प्रथम चार्ज से बंधक एवं गिरवी से प्रतिभूत।	24,63,20,000
कुल	**24,63,20,000**

कंपनी को एचडीएफसी बैंक से सभी वर्तमान एवं भविष्य में प्राप्त होने वाले प्राप्यों के मालबंधन की एवज में 50 करोड़ रुपए की गैर निधि सुविधा की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
कंपनी को भारतीय स्टेट बैंक से सभी वर्तमान एवं भविष्य की परिसंपत्तियों, प्रतिभूतियों तथा प्राप्यों के मालबंधन की एवज में 50 करोड़ रुपए की गैर निधि सुविधा की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

टिप्पणी संख्या 5 : अन्य दीर्घावधि देयताएं

अन्य दीर्घावधि देयताएं	31.03.2016 को राशि
प्रतिभूति जमा	77,25,128
पूंजी ऋणदाता	5,63,03,641
कुल	**6,40,28,769**

टिप्पणी संख्या 6 : दीर्घावधि प्रावधान

दीर्घावधि प्रावधान	31.03.2016 को राशि
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	49,34,407
अर्ध वेतन अवकाश के लिए प्रावधान	21,75,544
उपदान के लिए प्रावधान	29,46,157
अन्य सेवानिवृत्ति उपरांत हितलाभों के लिए प्रावधान	28,99,076
सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना के लिए प्रावधान	9,61,486
	1,39,16,670
संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में हिस्सेदारी (संदर्भ टिप्पणी संख्या 26.1)	**22,900**
कुल	**1,39,39,570**

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां :

(राशि रुपए में)

टिप्पणी संख्या 7 : व्यापार देय

व्यापार देय	31.03.2016 को राशि
व्यापार देय	1,17,46,11,492
कुल	**1,17,46,11,492**

टिप्पणी संख्या 8 : अन्य वर्तमान देयताएं

अन्य वर्तमान देयताएं	31.03.2016 को राशि
संवितरण के लिए सब्सिडी	2,46,23,34,249
एमएनआरआई से प्राप्त अनुदान	1,28,338
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	6,19,85,320
शुल्क एवं कर	51,84,639
प्रतिभूति जमा	2,21,29,585
सौर विद्युत की खरीद के लिए देय	67,23,02,985
भुगतान प्रतिभूति निधि	84,13,65,856
अन्य देय	20,83,93,298
	4,27,38,24,270
संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में हिस्सेदारी (संदर्भ टिप्पणी संख्या 26.1)	1,06,17,33,151
कुल	**5,33,55,57,421**

टिप्पणी संख्या 8.1 : भुगतान प्रतिभूति निधि

भुगतान प्रतिभूति निधि	31.03.2016 को राशि
वर्ष के आरंभ में शेष	5,36,00,900
वर्ष के दौरान परिवर्धन	83,62,39,402
वर्ष के दौरान समायोजन	(4,84,74,446)
वर्ष के अंत में शेष	84,13,65,856

टिप्पणी संख्या 9 : अल्पावधि प्रावधान

अल्पावधि प्रावधान	31.03.2016 को राशि
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	11,83,891
अर्ध वेतन अवकाश के लिए प्रावधान	2,72,022
उपदान के लिए प्रावधान	18,351
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना के लिए प्रावधान	2,071
प्रतिनियुक्त कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	11,93,165
कार्यनिष्पादन संबंधित वेतन के लिए प्रावधान	1,64,00,000
देय प्रस्तावित लाभांश	1,91,01,444
कॉर्पोरेट लाभांश पर देय कर के लिए प्रावधान	38,88,605
	4,20,59,549
संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में हिस्सेदारी (संदर्भ टिप्पणी संख्या 26.1)	3,29,811
कुल	**4,23,89,360**

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां :

(राशि रुपए में)

टिप्पणी संख्या 10 : स्थायी परिसंपत्तियां

विवरण	लागत पर सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास एवं परिशोधन					निवल ब्लॉक
	01.04.2015 को	परिवर्धन	बिक्री/समायोजन	31.03.2016 को कुल	01.04.2015 को	समायोजन	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौती	31.03.2016 को कुल	31.03.2016 को
मूर्त परिसंपत्तियां										
संयंत्र एवं मशीनरी	-	57,68,11,758	-	57,68,11,758	-		91,880		91,880	57,67,19,878
पट्टा भूमि	-	1,92,87,300	-	1,92,87,300	-		2,34,095		2,34,095	1,90,53,205
भवन	-	71,41,553	-	71,41,553	-		1,138		1,138	71,40,415
कंप्यूटर										
कंप्यूटर–प्रयोक्ता उपकरण	35,66,045	20,94,909	(7,300)	56,53,654	19,55,709	-	12,88,709	(7,300)	32,37,118	24,16,536
कंप्यूटर–सर्वर एवं नेटवर्क	1,00,485	-	-	1,00,485	19,281	-	15,889	-	35,170	65,315
कार्यालय उपकरण	34,86,394	9,36,304	(81,940)	43,40,758	9,67,581	-	7,93,941	(57,088)	17,04,434	26,36,324
फर्नीचर एवं फिक्सचर	7,49,924	2,66,060	(11,734)	10,04,250	1,19,599	-	87,424	(7,541)	1,99,482	8,04,768
मोटर वाहन	78,84,320	-	-	78,84,320	16,46,553	-	9,57,730	-	26,04,283	52,80,037
मूर्त परिसंपत्तियां	**1,57,87,168**	**60,65,37,884**	**(1,00,974)**	**62,22,24,078**	**47,08,723**	**-**	**34,70,806**	**(71,929)**	**81,07,600**	**61,41,16,478**
संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों* में हिस्सेदारी (संदर्भ टिप्पणी संख्या 26.1)	64,24,661	30,29,68,580	-	30,93,93,241	7,276	30,68,27,269	2,45,250	-	30,70,79,795	23,13,446
(क) कुल मूर्त परिसंपत्तियां	**2,22,11,829**	**90,95,06,464**	**(1,00,974)**	**93,16,17,319**	**47,15,999**	**30,68,27,269**	**37,16,056**	**(71,929)**	**31,51,87,395**	**61,64,29,924**
अमूर्त परिसंपत्तियां										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	41,54,264	9,53,452	(15,977)	50,91,739	12,13,164	3,109	9,17,410	(6,441)	21,27,242	29,64,497
अमूर्त परिसंपत्तियां	**41,54,264**	**9,53,452**	**(15,977)**	**50,91,739**	**12,13,164**	**3,109**	**9,17,410**	**(6,441)**	**21,27,242**	**29,64,497**
संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में हिस्सेदारी (संदर्भ टिप्पणी संख्या 26.1)	9,01,800.00	1,27,600	-	10,29,400	13,849	-	1,07,428	-	1,21,277	9,08,123
(ख) कुल अमूर्त परिसंपत्तियां	**50,56,064**	**10,81,052**	**(15,977)**	**61,21,139**	**12,27,013**	**3,109**	**10,24,838**	**(6,441)**	**22,48,519**	**38,72,620**
कुल योग (क + ख)	**2,72,67,893**	**91,05,87,516**	**(1,16,951)**	**93,77,38,458**	**59,43,012**	**30,68,30,378**	**47,40,894**	**(78,370)**	**31,74,35,914**	**62,03,02,544**

* संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की हिस्सेदारी के संबंध में समायोजन, केन्द्रीय वित्तीय सहायता/अनुदान से निर्दिष्ट परिसंपत्तियों की लागत कटौती को दर्शाता है।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां :

(राशि रुपए में)

टिप्पणी संख्या 11 : पूंजीगत कार्य प्रगति में

पूंजीगत कार्य प्रगति में	31.03.2016 को राशि
आवंटन के लिए लंबित व्यय	
पंजीकरण प्रभार	5,61,800
	5,61,800
निमार्ण अवधि के दौरान व्यय	
संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में हिस्सेदारी (संदर्भ टिप्पणी संख्या 26.1)	57,28,66,944
कुल	**57,34,28,744**

टिप्पणी संख्या 12 : गैर–वर्तमान निवेश

गैर–वर्तमान निवेश	31.03.2016 को राशि
इक्विटी शेयर, पूर्ण–प्रदत्त (अनुद्धृत) में व्यापार निवेश	
(जेसीई– रिन्यूबल पावर कारपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड में मूल मूल्य पर 50 प्रतिशत इक्विटी शेयर (प्रत्येक 1000/–रुपए अंकित मूल्य वाल 5,000 शेयर))	50,00,000
कुल	**50,00,000**

टिप्पणी संख्या 13 : दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	31.03.2016 को राशि
प्रतिभूत, ठीक माने गए	
ठेकेदारों को अग्रिम	1,18,34,415
अप्रतिभूत, ठीक माने गए	
पूंजी अग्रिम	95,33,54,613
प्रतिभूति जमा	1,05,200
कर जमा	2,56,38,711
	99,09,32,939
संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में हिस्सेदारी (संदर्भ टिप्पणी संख्या 26.1)	2,49,000
कुल	**99,11,81,939**

टिप्पणी संख्या 14 : अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	31.03.2016 को राशि
सावधि जमा उद्धिष्ट (बिक्री कर गारंटी)	3,00,000
कुल	**3,00,000**

टिप्पणी संख्या 15 : व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य	31.03.2016 को राशि
भुगतान के लिए देय तिथि से छहः महीने से कम अवधि के लिए लंबित व्यापार प्राप्य – अप्रतिभूत, ठीक माने गए	1,34,15,17,446
भुगतान के लिए देय तिथि से छहः महीने से अधिक अवधि के लिए लंबित व्यापार प्राप्य – अप्रतिभूत, ठीक माने गए	21,09,379
कुल	**1,34,36,26,825**

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां :

(राशि रुपए में)

टिप्पणी संख्या 16 : नकदी एवं बैंक शेष

नकदी एवं बैंक शेष	31.03.2016 को राशि
नकदी एवं नकदी समतुल्य	
बैंकों में शेष	
चालू खाता	1,25,04,05,691
संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में हिस्सेदारी (संदर्भ टिप्पणी संख्या 26.1)	66,79,20,058
	1,91,83,25,749
अन्य बैंक शेष	
सावधि जमा	2,55,88,83,497
संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में हिस्सेदारी (संदर्भ टिप्पणी संख्या 26.1)	57,50,57,955
	3,13,39,41,452
कुल	**5,05,22,67,201**

टिप्पणी संख्या 17 : अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	31.03.2016 को राशि
अप्रतिभूत, ठीक माने गए	
ऋण एवं अग्रिम	
स्टाफ अग्रिम	3,91,983
वसूलीयोग्य राशि	1,95,79,770
पूर्वदत्त व्यय	5,72,951
प्रतिभूति जमा	1,62,24,320
कर जमा	1,04,37,736
	4,72,06,760
संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में हिस्सेदारी (संदर्भ टिप्पणी संख्या 26.1)	1,15,63,584
कुल	**5,87,70,344**

टिप्पणी संख्या 18 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	31.03.2016 को राशि
प्रोदभूत ब्याज परंतु देय नहीं	6,78,30,972
राजस्व जिसकी बिलिंग नहीं की गई – सौर विद्युत	1,14,75,34,302
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	2,39,92,961
	1,23,93,58,235
संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में हिस्सेदारी (संदर्भ टिप्पणी संख्या 26.1)	7,15,90,586
कुल	**1,31,09,48,821**

टिप्पणी संख्या 19 : प्रचालनों से राजस्व

प्रचालनों से राजस्व	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
सौर विद्युत की बिक्री	5,29,47,46,253
परामर्शी एवं परियोजना निगरानी फीस	38,74,02,426
निष्पादित कार्य परियोजनाएं	35,28,248
अन्य प्रचालन आय	5,33,50,558
कुल	**5,73,90,27,485**

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां :

(राशि रुपए में)

टिप्पणी संख्या 20 : अन्य आय

अन्य आय	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय	5,14,42,988
अन्य गैर–प्रचालन आय	7,54,385
कुल	**5,21,97,373**

टिप्पणी संख्या 21 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

कर्मचारी हितलाभ व्यय	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं हितलाभ	6,62,42,625
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	96,38,361
स्टाफ कल्याण व्यय	8,18,423
कुल	**7,66,99,409**

टिप्पणी संख्या 22 : वित्तीय लागत

वित्तीय लागत	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
सावधि ऋण पर ब्याज	62,761
कुल	**62,761**

टिप्पणी संख्या 23 : मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
मूर्त संपत्तियों पर मूल्यह्रास	37,16,056
अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन	10,24,838
	47,40,894
घटाएं : पूंजीगत कार्य प्रगति में अंतरण	3,52,678
कुल	**43,88,216**

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां :

(राशि रुपए में)

टिप्पणी संख्या 24 : अन्य व्यय

अन्य व्यय	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
किराया	4,64,23,183
भवन की मरम्मत एवं अनुरक्षण	54,87,052
सुरक्षा एवं जनशक्ति व्यय	95,78,955
वाहन रनिंग व्यय	26,82,254
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	20,67,171
यात्रा एवं वाहन व्यय	1,07,32,579
विज्ञापन एवं प्रचार	2,00,20,584
संचार व्यय	21,23,680
पानी, विद्युत व बिजली प्रभार	6,39,944
न्यायिक एवं पेशेवर प्रभार	42,98,691
कार्यालय मरम्मत एवं अनुरक्षण	19,27,520
मुद्रण, डाक एवं अनुरक्षण	28,12,083
बैठक व्यय	18,10,743
लाइसेंस फीस	18,27,000
बैंक प्रभार	57,502
बीमा व्यय	2,81,990
व्यावसायिक पुस्तकें व जर्नल्स	53,597
बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों पर हानि	28,231
प्रायोजन व्यय	78,49,238
स्थापना दिवस व्यय	19,32,946
सहायता सेवा प्रभार	80,68,713
विविध व्यय	2,84,981
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	
लेखापरीक्षा फीस	68,700
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	6,870
कुल	**13,10,64,207**

टिप्पणी संख्या 25 : पूर्व अवधि मदें (निवल)

पूर्व अवधि मदें (निवल)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी हितलाभ व्यय	36,00,000
विविध व्यय (आय)	1,23,109
कुल	**37,23,109**

26 वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां :

26.1 समेकित वित्तीय विवरणों में विचार में लाए गए कंपनी तथा इसके संयुक्त उद्यम (एतदद्वारा संयुक्त तौर पर 'समूह' के रूप में संदर्भित) निम्नानुसार हैं

संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	निगमीकरण का देश	निगमीकरण की तिथि	निम्नलिखित तिथि को स्वामित्व हित का अनुपात	
			31.03.2016 (प्रतिशत में)	31.03.2015 (प्रतिशत में)
आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	भारत	26.11.2014	50.00	50.00
कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	भारत	12.03.2015*	50.00	0
लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	भारत	21.07.2015*	50.00	0
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	भारत	10.07.2015*	50.00	0

* संयुक्त उद्यम यूनिटों द्वारा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अपने प्रथम वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

सभी परिसम्पतियों, देयताओं इत्यादि के संबंध में समूह का अंश भाग (कंपनी तथा संयुक्त उद्यम यूनिटों के मध्य लेन–देन के प्रत्येक प्रभाव का निरसन किए बिना तथा समेकित समायोजन किए जाने के ऊपरांत) संयुक्त नियंत्रित यूनिटों में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निम्नलिखित है :–

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2016 को
1	**परिसम्पतियां**	
क)	स्थायी परिसम्पतियां	3,221,569
ख)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	57,28,66,944
ग)	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	249,000
घ)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	66,79,20,058
ङ)	अन्य बैंक शेष	57,50,57,955
च)	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	1,15,63,584
छ)	अन्य वर्तमान परिसम्पतियां	7,15,90,586
2	**देयताएं**	
क)	पूंजी अनुदान	81,96,57,831
ख)	दीर्घावधि प्रावधान	22,900
ग)	अन्य वर्तमान देयताएं	1,06,17,33,151
घ)	अल्पावधि प्रावधान	329,811

26.2 'नकदी प्रवाह विवरण' के संबंध में लेखांकन मानक (एएस)–3 के अंतर्गत प्रकटीकरण

नकदी प्रवाह विवरण का निर्माण लेखांकन मानक (एएस)–3, 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

26.3 'निर्माण संविदाओं' के संबंध में लेखांकन मानक (एएस)–7 के अंतर्गत प्रकटीकरण

क्र.सं.	विवरण	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार
1	अवधि में राजस्व के रूप में मान्य संविदा राजस्व	35,28,248
2	परिसंपत्ति के रूप में प्रस्तुत संविदा कार्य के लिए ग्राहकों द्वारा देय सकल धनराशि	शून्य
3	संविदा कार्य के लिए ग्राहकों द्वारा देय सकल धनराशि देयता के रूप में प्रस्तुत	11,19,722

26.4 'विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव' के संबंध में लेखांकन मानक (एएस)–11 के अंतर्गत प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा विनिमय दर में हुए उतार–चढ़ाव के प्रभाव निम्नानुसार हैं:–

लाभ एवं हानि विवरण में नामे किए गए विनिमय अंतर (निवल) की राशि 1,729/– रुपए है। (पिछले वर्ष यह 382/– रुपए क्रेडिट (निवल) थी)।

26.5 'कर्मचारी हितलाभ' के संबंध में लेखांकन मानक (एएस)–15 के अंतर्गत प्रकटीकरण

विविध प्रकार के परिभाषित कर्मचारी हितलाभों का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है :

26.5.1 परिभाषित अंशदायी योजनाएं :–

26.5.1.1 भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान :

समूह द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भविष्य निधि के रूप में पूर्व निर्धारित दरों पर नियत अंशदान का भुगतान किया जाता है। लाभ एवं हानि विवरण में निम्नानुसार यह राशि व्यय के रूप में (प्रशासन प्रभार सहित) दर्शाई जाती है :–

(राशि रुपए में)

विवरण *	31.3.2016 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अदा की गई राशि	43,51,796
प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मूल संगठन को अदा की गई राशि	6,11,606
घटाएं : अनुदान /पूंजीयन में अंतरित	7,87,957
लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाई गई राशि	41,75,445

* प्रशासनिक प्रभारों सहित।

26.5.1.2 सेवानिवृत्ति योजना में नियोक्ता का अंशदान :

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्ति योजना 01 जून, 2012 से प्रभावी है तथा वर्तमान वर्ष के दौरान इसका अनुमोदन एमएनआरई द्वारा किया गया है। योजना के अनुसार, कंपनी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को पूर्व निर्धारित दरों पर नियत अंशदान का भुगतान किया जाता है। वर्ष के दौरान, भारतीय जीवन बीमा निगम को अदा किए गए 32,40,135/– रुपए के भुगतान को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

26.5.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं – सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

26.5.2.1 उपदान :

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में परिभाषित उपदान योजना है। पांच वर्ष अथवा अधिक अवधि की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, सेवा त्याग, बर्खास्तगी, अशक्तता अथवा मृत्यु होने की स्थिति में अधिकतम 10 लाख रुपए की सीमा के साथ प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (15/26 गुणा अंतिम प्राप्त मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता) का उपदान प्राप्त करने का हकदार है। उपदान के लिए प्रदान की जाने वाली देयताओं का प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। यह देयता गैर निधियन है।

26.5.2.2 अर्जित अवकाश नकदीकरण

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कर्मचारियों के लिए परिभाषित अवकाश नकदीकरण योजना है। वे इस योजना के अंतर्गत कुछ कतिपय सीमाओं एवं इसके लिए निर्धारित अन्य शर्तों पर अवकाश का नकदीकरण करवाने के पात्र हैं। अवकाश नकदीकरण के प्रति देयता के प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किए गए हैं। यह देयता गैर निधियन है।

26.5.2.3 अर्ध वेतन अवकाश नकदीकरण

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कर्मचारियों के लिए अर्ध वेतन अवकाश नकदीकरण योजना लागू है। वे इस योजना के अंतर्गत कुछ कतिपय सीमाओं एवं इसके लिए निर्धारित अन्य शर्तों पर अवकाश का नकदीकरण करवाने के पात्र हैं। अवकाश नकदीकरण के प्रति देयता के प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किए गए हैं। यह देयता गैर निधियन है।

26.5.2.4 सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना :

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनके जीवन साथी को कंपनी के अस्पताल/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अर्थात प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। कंपनी द्वारा तय की गई सीमा तक वे बाहय रोगी के रूप में भी अपना उपचार करवा सकते हैं। सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा व्ययों के प्रति देयताओं को उनके वास्तविक मूल्यांकन (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से अनुमोदन प्रतीक्षित) के आधार पर दर्शाया गया है। यह देयता गैर निधियन है।

26.5.2.5 सेवानिवृत्ति ऊपरांत अधिवर्षिता हितलाभ

कर्मचारियों के वेतनमानों (आईडीए पैटर्न) के संशोधन के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत तक अधिवर्षिता हितलाभ प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें सीपीएफ, उपदान, अधिवर्षिता के बाद की चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन शामिल है। दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को अपनी योजनाएं स्वयं बनानी होती हैं। सेवानिवृत्ति ऊपरांत अधिवर्षिता हितलाभ के लिए किए गए 13,02,627/– रुपए के प्रावधान में से मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 30 प्रतिशत की बकाया राशि तथा उसमें से 9,03,065/– रुपए इस वर्ष संबंधित अनुदान में अंतरित/पूंजीयन किए गए हैं। यह देयता गैर निधियन है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग के ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसरण में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के अलावा अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित कर्मचारी हितलाभ प्रदान किए जा रहे हैं:–

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	2015–16
1.	परिभाषित अंशदायी योजना – भविष्य निधि	38,88,161
2.	परिभाषित अंशदायी योजना – पेंशन	32,40,134
3.	परिभाषित लाभ योजना – उपदान	9,52,360
4.	परिभाषित लाभ योजना – सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना	3,37,120
5.	सेवानिवृत्ति ऊपरांत अन्य लाभ	13,02,627
	मूल + महंगाई भत्ता = 3,24,01,341/– X 30 प्रतिशत	**97,20,402**

26.5.3 सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में वास्तविक मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाए गए महत्वपूर्ण पूर्वानुमान निम्नानुसार हैं :

26.5.3.1 आर्थिक पूर्वानुमान

विवरण	अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश, उपदान तथा सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा लाभ
	2015–16
1) प्रतिवर्ष रियायत दर (प्रतिशत)	8.00
2) प्रतिवर्ष भावी वेतन वृद्धि (प्रतिशत)	6.00

26.5.3.2 डेमोग्राफिक पूर्वानुमान

1) सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60
2) मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2006–08)
3) आयु	प्रत्याहरण
	दर (प्रतिशत)
30 वर्ष तक	3
31 से 44 वर्ष तक	2
44 वर्ष से अधिक	1

भावी वेतन वृद्धि के अनुमान वास्तविक मूल्यांकन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार बाजार में मांग एवं आपूर्ति, जैसे अन्य संबधित घटकों पर विचार करते हुए लगाए गए हैं।

26.5.4 सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की लाभ एवं हानि विवरण तथा तुलन पत्र में दर्शाए गए विभिन्न परिभाषित हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:–

26.5.4.1 दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (वित्तीय वर्ष 2015–16):–

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	अर्जित अवकाश	अर्ध वेतन अवकाश	सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना	उपदान
क)	अवधि के प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	49,78,603	19,86,233	6,26,437	17,35,800
ख)	अधिग्रहण समायोजन	94,407	9,938	–	2,76,348
ग)	ब्याज लागत	3,98,288	1,58,899	50,115	1,38,864
घ)	पूर्व सेवा लागत	–	–	–	–
ङ)	वर्तमान सेवा लागत	20,05,956	8,12,893	3,80,899	11,02,619
च)	अदा किए गए लाभ	(3,80,633)	–	–	–
छ)	दायित्वों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(9,78,323)	(5,20,397)	(93,894)	(2,89,123)
ज)	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	61,18,298	24,47,566	9,63,557	29,64,508

26.5.4.2 तुलन पत्र में दर्शाई जाने वाली राशियां तथा संबंधित विश्लेषण – (वित्तीय वर्ष 2015–16):–

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	अर्जित अवकाश	अर्ध वेतन अवकाश	सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना	उपदान
क)	अवधि के प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	61,18,298	24,47,566	9,63,557	29,64,508
ख)	अवधि के अंत में योजनागत परिसम्पतियों का उचित मूल्य	–	–	–	–
ग)	निधियन स्थिति	(61,18,298)	(24,47,566)	(9,63,557)	(29,64,508)
घ)	तुलन पत्र में दर्शाई गई सकल/परिसम्पतियां (देयताएं)	(61,18,298)	(24,47,566)	(9,63,557)	(29,64,508)

26.5.4.3 लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाए गए व्यय (वित्तीय वर्ष 2015–16) :–

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	अर्जित अवकाश	अर्ध वेतन अवकाश	सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना	उपदान
क)	वर्तमान सेवा लागत	20,05,956	8,12,893	3,80,899	11,02,619
ख)	पूर्व सेवा लागत	––	––	––	––
ग)	ब्याज लागत	3,98,288	1,58,899	50,115	1,38,864
घ)	योजनागत परिसम्पतियों पर संभावित लाभ	––	––	––	––
ङ)	अवधि के दौरान मान्य निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	(9,78,323)	(5,20,397)	(93,894)	(2,89,123)
च)	अनुदान में स्थानांतरित	(61,953)	––	––	––
छ)	परियोजना में पूंजीयन	(2,87,819)	––	––	––
ज)	लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाए गए व्यय	10,76,149	4,51,395	3,37,120	9,52,360

26.5.4.4 सेवानिवृत्ति ऊपरांत चिकित्सा योजना की चिकित्सा लागत में एक प्रतिशत प्वाइंट वृद्धि/कमी का प्रभाव निम्नानुसार होगा :–

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	2015–16	
		वृद्धि	कमी
क)	सेवा तथा ब्याज लागत	1,83,817	(1,10,170)
ख)	देयता का वर्तमान मूल्य	3,90,419	(2,35,506)

नोटः उपर्युक्तानुसार 'कर्मचारी लाभ' के संबंध में एएस–15 के अंतर्गत किया गया प्रकटीकरण सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए किए गए प्रकटन तक ही सीमित है क्योंकि संयुक्त उद्यम यूनिटों से संबंधित सूचना एवं विवरण उपलब्ध नहीं है। संयुक्त उद्यम यूनिटों के मामले में वास्तविक मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भी उपलब्ध नहीं है।

26.6 'उधार लागतों' पर लेखांकन मानक (एएस)–16 के अंतर्गत प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, पूंजीयन की गई उधार लागतें 4,34,633/– रुपए हैं।

26.7 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' पर लेखांकन मानक (एएस)–17 के अंतर्गत प्रकटीकरण

सेगमेंट सूचना

26.7.1 व्यवसाय सेगमेंट

समूह का मूल व्यवसाय ऊर्जा ट्रेडिंग है। अन्य व्यवसायों में परामर्श, परियोजना प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण उपलब्ध करवाना शामिल है।

26.7.2 सेगमेंट राजस्व एवं व्यय

सेगमेंट के तौर पर प्रत्यक्ष निश्चित किए जाने वाले राजस्व 'सेगमेंट राजस्व' माना गया है। सेगमेंट से प्रत्यक्ष संबध वाले व्यय एवं औचित्यपरक आधार पर निर्धारित सामान्य व्यय को 'सेगमेंट व्यय' माना गया है।

26.7.3 सेगमेंट परिसम्पतियां एवं देयताएं

सेगमेंट परिसम्पतियों में निवल स्थायी परिसम्पतियों एवं वर्तमान परिसम्पतियों, ऋणों तथा अग्रिमों से युक्त संबंधित सेगमेंटों की सभी प्रचालनात्मक परिसम्पतियां शामिल की गई हैं। सेगमेंट देयताओं में प्रचालनात्मक देयताएं एवं प्रावधान शामिल हैं।

26.7.4 समूह का प्रचालन मुख्यत देश में ही किया गया है तथा तदनुसार सूचित किए जाने योग्य कोई भौगोलिक सेगमेंट नहीं है।

26.7.5 वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सेगमेंट रिपोर्टिंग

विवरण	व्यवसाय सेगमेंट		
	ऊर्जा ट्रेडिंग	परामर्श एवं परियोजना प्रबंधन	कुल
सेगमेंट राजस्व			
प्रचालन से राजस्व	5,29,47,46,150	38,74,02,426	5,68,21,48,576
गैर आवंटित ब्याज एवं अन्य आय			10,90,76,282
योग	**5,29,47,46,150**	**38,74,02,426**	**5,79,12,24,858**
सेगमेंट परिणाम	**3,51,14,329**	**32,33,78,112**	**35,84,92,441**
आवंटित न किए गए व्यय , ब्याज तथा वित्तीय प्रभार			14,28,83,469
कर पूर्व लाभ			**32,46,85,254**
करों के लिए प्रावधान			13,36,70,814
कर ऊपरांत लाभ			**19,10,14,440**
अन्य सूचनाः			
सेगमेंट परिसम्पतियां	2,62,40,93,469	1,87,70,16,287	4,50,11,09,756
गैर आवंटित परिसम्पतियां			5,45,47,16,662
कुल परिसम्पतियां			**9,95,58,26,418**
सेगमेंट देयताएं	2,69,27,65,494	2,46,77,72,001	5,16,05,37,495
गैर आवंटित देयताएं			1,76,41,61,366
सकल देयताएं			**6,92,46,98,861**
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	79,810	39,81,293	40,61,103
गैर आवंटित मूल्यह्रास			3,27,113
मूल्यह्रास के अलावा गैर–नकदी व्यय		28,231	28,231
पूंजी व्यय	–	42,50,725	42,50,725
गैर आवंटित पूंजी व्यय			90,63,36,791

26.8 'सबंधित पार्टी प्रकटीकरण पर लेखांकन मानक (एएस)–18 के अनुसार प्रकटीकरण

26.8.1 नियत्रण करने वाली संबंधित पार्टियों तथा जिन संबंधित पार्टियों ने व्यवसाय संव्यवहार किया गया है तथा उनके संबध :–

क्र.संख्या	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध
1	डॉ0 अश्विनी कुमार	केएमपी – सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (प्रबंध निदेशक)
2	श्री राकेश कुमार	केएमपी – सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (निदेशक – (विद्युत प्रणाली))
3	श्री सी0 कन्नन	केएमपी – सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (निदेशक – (वित्त))
4	श्री राजीव भारद्वाज	केएमपी – सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (निदेशक – (मानव संसाधन))
5	श्री शैलेश कुमार गुप्ता	केएमपी – सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी सचिव)
6	श्री गोपालम आदिसेशु*	केएमपी – आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
7	श्री जी0 वी0 बालाराम	केएमपी – कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (अध्यक्ष)
8	श्री एन0 सुरेश	केएमपी – कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (निदेशक)

*आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में फरवरी 2016 तक प्रबंध निदेशक तथा तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदनामित

26.8.2 वर्ष के दौरान संबद्ध पार्टी संव्यवहार (पुनर्भुगतान के अतिरिक्त)

विवरण	वर्तमान वर्ष (रुपए)
(1) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक	
डॉ0 अश्विनी कुमार	38,61,607
श्री राकेश कुमार	35,51,991
श्री सी0 कन्नन	40,07,823
श्री राजीव भारद्वाज	42,21,954
श्री शैलेश कुमार गुप्ता	30,70,164
श्री गोपालम आदिसेशु*	6,00,000
(2) सिटिंग फीस	
श्री जी0 वी0 बालाराम*	1,000
श्री एन0 सुरेश	500

* परिमाण के लिए समेकित नहीं किया गया

26.9 'पट्टों' पर लेखांकन मानक (एएस)–19 के संबंध में प्रकटीकरण

कार्यालय परिसरों तथा कर्मचारियों के आवास प्रयोग के लिए संचलित पट्टों के संबंध में समूह द्वारा महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाएं की गई हैं।

कर्मचारियों के आवास प्रयोग के संबंध में की गई पट्टा व्यवस्थाएं निरसन योग्य नहीं हैं तथा सामान्यतः आपसी सहमत शर्तों पर इनका नवीकरण किया जाता है। कर्मचारी लाभ व्ययों में कर्मचारियों के प्रयोग हेतु परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतान, निवल वसूली के तौर पर 68,51,640/–रुपए शामिल हैं। यह सूचना सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित है क्योंकि संयुक्त उद्यम यूनिटों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

कार्यालय परिसरों के संबंध में किए गए सकल पट्टा भुगतान की 5,14,32,511/– रुपए की राशि {सीईएनवीएटी क्रेडिट के पूंजीयन/व्युत्क्रमण के समायोजन के ऊपरांत निवल पट्टा भुगतान 4,60,96,134/–रुपए} किराए में शामिल की गई है।

कार्यालय परिसरों के संबंध में गैर निरसन योग्य प्रचालनात्मक पट्टे के लिए भावी न्यूनतम भुगतान सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं (संयुक्त उद्यम यूनिटों के संबंध मं यह सूचना उपलब्ध नहीं है) :–

(राशि रुपए में)

विवरण	**31.03.2016 की स्थिति के अनुसार**
एक वर्ष से अधिक नहीं	4,46,16,880
एक वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं	–
पांच वर्ष से अधिक	–
कुल	**4,46,16,880**

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यालय परिसर के लिए पट्टा करार 1.3.2014 से प्रभावी 3 वर्ष की अवधि के लिए तैयार किया गया था (संयुक्त उद्यम यूनिटों के संबंध में यह सूचना उपलब्ध नहीं है) तथा इसमें प्रत्येक 3 वर्ष की समाप्ति पर 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के विकल्प के साथ अगले 3 वर्ष प्रत्येक के लिए दो बार पट्टे के नवीकरण के प्रावधान किए गए थे।

26.10 'प्रति शेयर आय' पर लेखांकन मानक (एएस)–20 के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर आय आकलन (मूल एवं तनुकृत) के लिए विचार में लाए गए घटक निम्नानुसार हैं :–

(राशि रुपए में)

विवरण	**2015–16**
क) शेयरधारकों के लिए उपलब्ध निवल लाभ	19,10,14,440
ख) ईपीएस की गणना के लिए विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की संख्या	12,99,135
ग) डीईपीएस की गणना के लिए विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की संख्या	12,99,135
घ) प्रत्येक 1000/–रुपए के अंकित मूल्य पर प्रति शेयर मूल आय	147.03
च) प्रत्येक 1000/–रुपए के अंकित मूल्य पर प्रति शेयर तनुकृत आय	147.03

26.11 'आय पर करों के लेखांकन' पर लेखांकन मानक (एएस)–22 के अनुसार प्रकटीकरण

(राशि रुपए में)

निम्नलिखित के लिए आस्थगित कर परिसम्पतियां/(देयताएं)	**31.03.2016 की स्थिति के अनुसार**
मूल्यह्रास	(4,26,97,444)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी में भुगतान आधार पर अनुमत्त व्यय	1,14,15,854
वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत पूंजी अग्रिम पर दावा की गई निधियों की प्रयोज्यता	(1,65,70,659)
कुल	**(4,78,52,249)**

26.12 'परिसम्पतियों की हानि' पर लेखांकन मानक (एएस)–28 के अंतर्गत प्रकटीकरण

प्रबंधन के मतानुसार, वर्ष के दौरान किसी परिसम्पति में महत्वपूर्ण हानि का कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार वर्ष के दौरान परिसम्पतियों की हानि नहीं हुई है।

26.13 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–3 के अंतर्गत अपेक्षित उद्यमों की अतिरिक्त सूचना संयुक्त नियंत्रित यूनिटों में समेकित की गई है।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार

उद्यम का नाम	निवल परिसम्पतियां (कुल परिसम्पतियां – कुल देयताएं)		लाभ अथवा हानि में अंशभाग	
	निवल परिसम्पतियां का समेकित प्रतिशत	(राशि रुपए में)	समेकित लाभ एवं हानि का प्रतिशत	(राशि रुपए में)
मूल कंपनी				
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	72.28 प्रतिशत	2,19,07,43,723	100.00 प्रतिशत	19,10,14,440
संयुक्त उद्यम यूनिट				
1. आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	27.06 प्रतिशत	82,01,20,080	–	–
2. रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	0.33 प्रतिशत	1,00,00,000	–	–
3. लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड लिमिटेड	0.17 प्रतिशत	52,63,754	–	–
4. कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	0.16 प्रतिशत	50,00,000	–	–

26.14 आकस्मिक देयताएं :

26.14.1 सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा एनबीसीसी में वाणिज्यिक एवं आवासीय स्थानों की दिनांक 20.11.2013 के आवंटन पत्र के अनुसार बुकिंग किए जाने के संबंध में एनबीसीसी द्वारा अपनी भुगतान अनुसूची में कंपनी द्वारा 31.3.2016 तक अदा की गई 7वीं किश्त तक 12.36 प्रतिशत की दर से 3,50,96,520/–रुपए की राशि के सेवा कर का उल्लेख किया गया है। तथापि, इसकी मांग अभी एनबीसीसी द्वारा नहीं की गई है। एनबीसीसी द्वारा जब कभी भी इसके लिए मांग की जाएगी तो लागू सेवा कर की दरों के अनुसार एनबीसीसी को भुगतान कर दिया जाएगा।

26.14.2 संयुक्त उद्यम यूनिटों की आकस्मिक देयताओं का अंश भाग – संयुक्त उद्यम यूनिटों द्वारा बैंक गारंटी के रूप में 1,75,00,000/– रुपए की प्रदान की गई गारंटी के संबंध में।

26.15 पूंजीगत एवं अन्य प्रतिबद्धताएं

26.15.1 प्रावधान न किए गए तथा पूंजी खाते में से निष्पादित किए जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि 38,33,81,933/– रुपए है।

26.15.2 सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनियों के शेयरों में किया गया निवेश संबंधित संयुक्त उद्यम कंपनी के निगमीकरण की तिथि से 5 वर्ष की लॉक इन अवधि की शर्त पर है तथा इस अवधि के दौरान कंपनी संयुक्त उद्यम कंपनी में अपने शेयर बेच अथवा स्थानांतरित नहीं कर सकती है।

26.15.3 संयुक्त उद्यम यूनिटों का पूंजी प्रतिबद्धता अंशभाग – शून्य

26.16 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथापेक्षित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार सूचना

विवरण	राशि (रुपए में)
	31.03.2016
क) किसी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई राशि :	शून्य
मूल राशि	3,94,320
उस पर देय ब्याज	शून्य
ख) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित तिथि के बाद अदा की गई राशि सहित ब्याज की राशि	शून्य
ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अंतर्गत ब्याज को जोड़े बिना भुगतान करने की विलम्बित अवधि के लिए देय राशि (जिसका निर्धारित तिथि के ऊपरांत वर्ष के दौरान भुगतान कर दिया गया है)	शून्य
घ) देय ब्याज और अदा न की गई शेष राशि	शून्य
च) आगे के अनुवर्ती वर्षों के लिए भी उस तारीख तक देय ब्याज की राशि जब तक देय बकाया राशि का भुगतान ऊपरोक्तानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य ब्याज के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु छोटे उद्यमियों को वास्तविक रूप से अदा नहीं किया जाता है।	शून्य

26.17 सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा एम0 पी0 पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ दिनांक 22 जनवरी, 2016 को हस्ताक्षर किए गए पावर बिक्री करार के अंतर्गत एमपीपीएमसीएल से 1.4.2015 से 21.5.2015 की अवधि के दौरान 85,17,750 किलोवाट यूनिट की 2.79 रुपए प्रति किलोवाट की औसत पूल मूल्य दर के आधार पर 2,37,64,523/– रुपए की राशि प्राप्त की गई है। 2,26,57,215/– रुपए की अंतर की राशि (5.45 रुपए तथा 2.79 रुपए के बीच) को 'सौर ऊर्जा बिक्री' में क्रेडिट किया गया है तथा इसका समायोजन जेएनएनएसएम चरण–2 के अंतर्गत 750 मेगावाट की ग्रिड सम्बद्ध सौर पीवी परियोजना की स्थापना किए जाने की योजना के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में समिति की दिनांक 1.5.2015 को आयोजित 5वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भुगतान सुरक्षा निधि के माध्यम से किया गया है।

26.18 सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 3 मेगावाट दिल्ली आईपीटीएस सचिवालय परियोजना के संबंध में सौर ऊर्जा का क्रय एसपीडी के साथ हस्ताक्षरित किए गए पीपीए के अनुबंधों के अनुसार 24,18,739/– रुपए के लिए बुक किया गया है। क्रेता अर्थात दिल्ली सचिवालय की ओर से सीपीडब्ल्यूडी के साथ पीएसए को अंतिम रूप दिया जाना अभी शेष है तथा अनुवर्ती बिक्री किसी ट्रेडिंग मार्जिन को विचार में लाए बिना 24,18,739/– रुपए निश्चित की गई है। मामले के निपटान के ऊपरांत ट्रेडिंग मार्जिन को विचार में लाया जाएगा।

26.19 सौर ऊर्जा का क्रय (राजस्थान की विभिन्न परियोजनाओं के लिए) तथा विक्रय 28.4.2015 से 15.1.2016 की अवधि के दौरान 4,80,16,000/– रुपए की राशि सीटीयू के साथ दीर्घावधि ओपन एक्सेस करार हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व की समरूपी अवधि सहित है। दीर्घावधि ओपन एक्सेस उपलब्ध न होने के कारण समरूपी अवधि के दौरान ऊर्जा की शैड्यूलिंग प्रारम्भ नहीं हो पाई थी तो यह मामला राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था तथा इसके निपटान, यदि कोई हो, को अनुवर्ती तिथि में पीएसएफ में नामे किया जाएगा। इस लेन–देन के लिए ट्रेडिंग मार्जिन को विचार में नहीं लाया गया है।

26.20 औचित्यपरक निश्चितता उपलब्ध न होने के कारण, मामला चूंकि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए संदर्भित किया गया था। अतः 2000 मेगावाट योजना के अधीन एक एसपीडी के संबंध में 1,08,00,000/– रुपए के राजस्व (अर्थसिद्धि शुल्क) का अभिज्ञान नहीं किया जा सका है तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 19.7.2016 के पत्र के माध्यम से कुछ अनुपालन किए जाने का स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसके संबंध में कंपनी में जांच की जा रही है।

26.21 कंपनी द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से कंपनी के निदेशक मंडल के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए जाने का अनुरोध किया गया है तथा नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों से युक्त पारिश्रमिक समिति का गठन लम्बित रखते हुए कंपनी ने अनुग्रह एवं निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी) के संबंध में 1,64,00,000/– रुपए के

प्रावधान किए गए हैं। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्ति के ऊपरांत यह भुगतान जारी कर दिया जाएगा। इस नियुक्ति के ऊपरांत लेखापरीक्षा समिति का भी पुनर्गठन किया जाएगा।

26.22 कंपनी द्वारा बड़ी सिद, बाप गांव, जोधपुर जिला, राजस्थान में दिनांक 31.3.2016 को 10 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना प्रारम्भ की गई है तथा इससे ऊर्जा उत्पादन 31.3.2016 को ही प्रारम्भ हो गया है। तदनुसार, कंपनी द्वारा 31.3.2016 को वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के तौर पर विचार किया गया है।

26.23 निदेशक मंडल द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार, कंपनी में उपलब्ध अतिरिक्त गैर–संवितरित निधियों एवं उपलब्ध अनुदानों को इस उद्देश्य से सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में अल्पावधि आवधिक जमा के तौर पर रखा गया है।

26.24 निदेशक मंडल के मतानुसार स्थायी परिसम्पतियों तथा गैर–स्थायी निवेशों के अतिरिक्त सभी परिसम्पतियों, यदि अन्यथा उल्लिखित न की गई हों, का साधारण व्यवसाय क्रियाओं में कम से कम उतना तो मूल्य होता है, जितना लेखा बहियों में उल्लिखित किया गया है।

26.25 व्यवसाय/अन्य प्राप्तियों/देयताओं तथा ऋणों एवं अग्रिम के कुछ शेष पुष्टि/समाधान की शर्त पर हैं। इसके लिए किया जाने वाला किसी प्रकार का समायोजन संबंधित पक्षकारों से पुष्टि/समाधान होने पर किया जाएगा, जिससे प्रबंधन के मतानुसार किसी प्रकार का वस्तुगत प्रभाव नहीं है।

26.26 <u>प्रचालन चक्र</u>

कंपनी के कार्य की प्रकृति तथा परिसम्पतियों के अधिग्रहण एवं उनके प्रति प्राप्त की गई नकदी अथवा नकदी समतुल्य के बीच लगे सामान्य समय के आधार पर कंपनी द्वारा अपनी परिसम्पतियों एवं देयताओं को वर्तमान अथवा गैर–वर्तमान के तौर वगीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 माह निर्धारित किया गया है।

26.27 सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मूल स्थापना, कंपनी अधिनियम, 1956 (वर्तमान में कंपनी अधिनियम, 2013 का खंड 8) के खंड 25 के प्रावधानों के अधीन एक गैर–लाभकारी कंपनी के रूप में दिनांक 20 सितम्बर, 2011 को गई थी। इसके ऊपरांत, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 8 से खंड 3 में परिवर्तित किए जाने का एक प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2014 के पत्र के माध्यम से प्रशासनिक मंत्रालय (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) को भेजा गया था। कंपनी को स्व–पोषित एवं स्व–आश्रित बनाकर वाणिज्यिक संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए तथा सौर ऊर्जा के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा यथा जियोथर्मल, अपतटीय विन्ड, ज्वारीय इत्यादि के सभी घटकों के विकास के कार्य करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा परिवर्तित किए जाने के अनुमोदन की सूचना 15 जुलाई, 2015 के पत्र संख्या 30/040/2011–12/एनएसएम (खंड–2) के माध्यम से दी गई थी। इसके ऊपरांत, दिनांक 19 अक्तूबर, 2015 को कंपनी द्वारा क्षेत्रीय निदेशक – उत्तर, कारर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के सम्मुख कंपनी के परिवर्तन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रीय निदेशक के दिनांक 4 नवम्बर, 2015 के आदेश के माध्यम से परिवर्तन का अनुमोदन प्राप्त हुआ था। कंपनी पंजीयक द्वारा परिवर्तन प्रमाण पत्र दिनांक 9 नवम्बर, 2015 को जारी किया गया। कंपनी द्वारा चूंकि ऊर्जा ट्रेडिंग के लिए वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ कर दिए थे तथा तदनुसार वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के ऊपरांत, इसके लिए बिलिंग वाणिज्यिक आधार पर की जानी प्रारम्भ की गई। इसे ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा अपने कार्यकलापों को वाणिज्यिक रूप से प्रारम्भ किए जाने की तिथि 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी मानी गई है।

26.28 चूंकि वर्ष के दौरान, आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड तथा लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ नहीं किए गए थे तथा वर्ष के दौरान किए गए सभी व्ययों का पूंजीयन कर लिया गया था। अतः इन कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लाभ एवं हानि विवरण तैयार नहीं किए गए हैं।

26.29 <u>लेखांकन नीति में परिवर्तन :</u> वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने क्रियाकलाप पूरी तरह से प्रारम्भ न किए जाने के कारण पूंजी अनुदानों को ''वर्तमान देयताओं'' के रूप में दर्शाया गया है। अतः सौर पार्कों पर व्यय अथवा विनिर्दिष्ट स्थायी परिसम्पतियों के क्रय/अधिग्रहण से संबंधित योजना के अंतर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सेकी (सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)से प्राप्त अनुदान/केन्द्रीय वित्तीय सहायता को पूंजी अनुदान के रूप में लिया गया है और इसे सौर पार्क पर व्यय अथवा विनिर्दिष्ट स्थायी परिसम्पतियों के क्रय/अधिग्रहण में से घटा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से अनुदान/केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ''पूंजी अनुदान'' के रूप में प्रकटीकरण करने तथा पूंजी अनुदान के प्रयोग से जिन स्थायी परिसम्पतियां का अधिग्रहण/क्रय किया गया था, उन्हें ''पूंजीगत अनुदान से अधिगृहित की गई स्थायी परिसम्पतियों'' के रूप में उनके पूरे मूल्य पर स्थायी परिसम्पति अनुसूची में दर्शाने का निर्णय लिया गया है। इन परिसम्पतियों से मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाएगा।

26.30 आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जीओ के माध्यम से एनआरईडीसीएपी/एनआरईडीसीएपी को भूमि सौंपी गई हैं, जो बाद में सौर पार्कों के विकास के लिए आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दी गई हैं। इन भूमियों को सौंपे जाने की तिथि से कंपनी द्वारा राज्य सरकार को पट्टा किराए का भुगतान किया जाएगा। सौर पार्क विकास अवधि के दौरान, कंपनी को चूंकि किसी प्रकार ओ एंड एम आय प्राप्त नहीं होती है। अतः कंपनी ने राज्य सरकार से विकास स्तर की अवधि के लिए पट्टा किराया न लिए जाने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार से अनुमोदन प्रतीक्षित है तथा समूह की लेखा बहियों में पट्टा किराए के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं।

26.31 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–3 के अंतर्गत अन्य प्रकटीकरण

विवरण	2015–16 (रुपए)
विदेशी मुद्रा में व्यय	
– यात्रा व्यय	16,03,888
कुल	**16,03,888**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–	**ह0/–**	**ह0/–**
(एस0 के0 गुप्ता)	**(सी0 कन्नन)**	**(डॉ0 अश्विनी कुमार)**
कंपनी सचिव	**निदेशक (वित्त)**	**प्रबंध निदेशक**
सदस्यता संख्या : 10840	**डीआईएन : 06458185**	**डीआईएन : 03547234**

28 जुलाई, 2016 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या : 005524एन

ह0/–

(जितेन्द्र साराओगी)

साझेदार

सदस्यता संख्या : 502337

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 जुलाई, 2016

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)
वित्तीय वर्ष 2015–16
फार्म एओसी–1

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)

सहायक/संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

भाग – क : सहायक

(प्रत्येक सहायक के संबंध में सूचना राशि के साथ रुपये में प्रस्तुत की जानी है)

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
1	सहायक कंपनी का नाम	लागू नहीं
2	सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो	
3	विदेशी सहायक कंपनी की स्थिति में, संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर	
4	शेयर पूंजी	
5	रिजर्व एवं आरक्षित	
6	कुल परिसंपत्तियां	
7	कुल देयताएं	
8	निवेश	
9	टर्नओवर	
10	कर पूर्व लाभ	
11	कर के लिए प्रावधान	
12	कर ऊपरांत लाभ	
13	प्रस्तावित लाभांश	
14	शेयरधारिता का प्रतिशत	

टिप्पणी : विवरण के अंत में निम्नलिखित सूचना दी जाए :–

(1) सहायक कंपनी का नाम, जिसने अभी प्रचालन शुरू करना है।

(2) सहायक कंपनी का नाम, जिसका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया या बेचा गया।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)
वित्तीय वर्ष 2015–16

भाग – ख : संबद्ध एवं संयुक्त उद्यम

संबद्ध कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण

संयुक्त उद्यम का नाम	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	रिन्यूबल पावर का. रपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड
1. अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	लागू नहीं
2. कंपनी द्वारा वर्ष की समाप्ति पर संयुक्त उद्यम में धारित शेयर	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
संख्या	50,000	5,00,000	5,00,000	10,000	5,000
संयुक्त उद्यम में निवेशित राशि	5,00,000 रुपए	50,00,000 रुपए	50,00,000 रुपए	1,00,00,000 रुपए	50,00,000 रुपए
धारिता की अधिकतम सीमा प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
3. उल्लेख करें कि कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव है	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी का 20 प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी का 20 प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी का 20 प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी का 20 प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी का 20 प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण
4. संयुक्त उद्यम को समेकित न करने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पहला लेखांकन अवधि 15 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2017 है। अतः संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किया गया है।
5. अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता में नियोजित राशि का निवल मूल्य	225,10,00,000 रुपए	1,00,00,000 रुपए	1,00,00,000 रुपए	2,00,00,000 रुपए	लागू नहीं
6. वर्ष के लिए लाभ/हानि					
(i) समेकन में शामिल किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
(ii) समेकन में शामिल नहीं किया गया					लागू नहीं

1 संबद्ध या संयुक्त उद्यम का नाम, जिसने अभी प्रचालन शुरू करना है।

(क) आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

(ख) कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

(ग) लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

(घ) रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड

(ङ) रिन्यूबल पावर कारपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड

2 सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम का नाम, जिसका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया या बेचा गया।

लागू नहीं ।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–	**ह0/–**	**ह0/–**
(एस0 के0 गुप्ता)	**(सी0 कन्नन)**	**(डॉ0 अश्विनी कुमार)**
कंपनी सचिव	**निदेशक (वित्त)**	**प्रबंध निदेशक**
सदस्यता संख्या : 10840	**डीआईएन : 06458185**	**डीआईएन : 03547234**

28 जुलाई, 2016 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 005524एन
ह0/–
(जितेन्द्र साराओगी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 502337

बैंकरों, लेखापरीक्षकों, कंपनी सचिव के ब्यौरे तथा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय का पता

बैंकर्स:

एक्सिस बैंक लिमिटेड

केनरा बैंक

एचडीएफसी बैंक

आईसीआईसीआई बैंक

इन्डुसिंड बैंक लिमिटेड

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सांविधिक लेखापरीक्षक

एल0 डी0 साराओगी एंड कंपनी,

(चार्टर्ड एकाउटेंट्स)

101–104, बसंत कॉम्प्लेक्स,

38, वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपूर,

दिल्ली–110092

कंपनी सचिव :

श्री शैलेश कुमार गुप्ता

कार्पोरेट कार्यालय

डी–3, प्रथम तल, विंग–ए,

रेलीगेयर बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर,

साकेत, नई दिल्ली

दिल्ली–110017